खण्ड-380, अंक-4
गुरूवार, 4 आषाढ़, शक संवत् 1909
(25 जून, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 25 जून, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
औसान सिंह, श्री	इटावा	मोहम्मद अबरार अहमद, इंजीनियर, श्री	बदायूं
किशोरी लाल सकलानी, श्री	देहरादून	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
गौरी शंकर, श्री	इटावा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	श्याम लाल, चौधरी	जालौन
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री	बाराबंकी
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	हरदेव, श्री	बलिया
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर		

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 25 जून, 1987

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

(मा0 अध्यक्ष के आने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरठ दंगे के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय में मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता हूं । प्रश्न हो जायं तब आप बोलें । आप बैठ जांय ।

प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव समय बद्ध कार्यक्रम की तिथि की घोषणा की मांग

**1–श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में स्थित सहकारी समितियों के चुनाव एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई, 1987 तक पूर्ण करा दिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

जी नहीं। प्रदेश में स्थित सहकारी समितियों के चुनाव जुलाई, 87 से समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित है । न्याय पंचायत स्तरीय समितियों से लेकर राज्य स्तरीय समितियों तक के चुनाव कराने में लगभग नौ माह का समय लगता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या प्रदेश में स्थित सहकारी समितियों के चुनाव एक समय कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई, 1987 तक पूर्ण करा दिये जायेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके संबंध में उत्तर दिया गया है कि "जी नहीं" । जुलाई में वह चुनाव कराने की घोषणा इस उत्तर के माध्यम से की है। क्या उसकी एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करेंगे कि किस तिथि से चुनाव करा-येंगे और कब तक पूर्ण करा देंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रश्न के उत्तर में ही निवेदन किया कि जुलाई से यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी । उसके लिये अग्रिम तिथि निश्चित कर दी जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जून का महीना चला गया और जुलाई में चुनाव प्रारम्भ करायेंगे साधन सहकारी समितियों के, तो इस समय तिथि न घोषित करने का क्या कारण है । क्या सदन में आज ही तिथि घोषित करेंगे कि किस तिथि से समितियों के चुनाव प्रारम्भ हो जायेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, साधन सहकारी समितियों के चुनाव की तिथि जुलाई में निश्चित कर देंगें जिसकी घोषणा हो जायेगी ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जब सेशन होता है तो मंत्री एलान कर देते हैं कि चुनाव करा दिये जायेंगे। पिछली बार सेशन हुआ तब यही कहा, उसके पहले भी यही हुआ और कहा कि चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी और चुनाव हो जायेंगें लेकिन हर बार चुनाव स्थगित हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार की इनकी घोषणा क्या पूर्व घोषणाओं के समान है या ईमानदारी से चुनाव कराना चाहते हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि पिछली बार जो चुनाव की तिथि निश्चित की गयी थी वह सचिवों की प्रदेश व्यापी हड़ताल हो जाने के कारण, चुनाव की प्रक्रिया काफी पूर्ण हो जाने के बावजूद, चुनाव संभव नही हो सके लेकिन आने वाले समय में चुनाव जरुर करा दिये जायेंगें ।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव जिन जिलों में उच्च न्यायालय के आदेश से साधन सहकारी समितियों के हो रहे हैं वहां शीर्ष क्रय-विक्रय समितियों के चुनाव की तिथि निर्णारित करने की घोषणा करेंगे चूंकि 4-5 जिले ऐसे हैं जहां यह चुनाव होने हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, वह भी उसी चुनाव के समय हो जायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी बतायेंगें कि पिछली जो चुनाव की प्रक्रिया शुरु हुई थी बहुत से जिलों में परचे दाखिल हुये थे और आपके आदेश से चुनाव रोक दिये गये, तो क्या वह परचे जायज माने जायेंगे और अगले चुनाव में उनकी जमानत वापस कर दी जायेगी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

वह जो धनराशि ली जाती है, उसका तो चुनाव की पहली प्रक्रिया में ही समावेश हो जाता है । तो जब नये चुनाव कराए जाएंगे, तो नये सिरे से सारी प्रक्रियाओं के साथ जमानत राशि भी जमा कराई जाएगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मंत्री जी ने कई बार घोषणा की, कहा, किन्तु चुनाव टल गये, तो क्या इस बार वह इस सदन को आश्वस्त करेंगे और वह इस सदन के सत्र के बीच में विधान सभा में घोषणा करेंगे कि कब-किस तारीख को यह चुनाव कराये जाएंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मैंने पहले भी कहा, सदन के माननीय सदस्यों से कहा और फिर कहता हूं कि जुलाई में पूरी प्रक्रिया के बारे में निश्चित करके प्रक्रिया की तारीख निश्चित कर दी जाएगी ।

श्री राम शरण दास–

जुलाई में आप चुनाव की प्रक्रिया शुरु कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया कब खत्म करेंगे, इसकी डेट आप बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष–

शुरू की सब पूछते हैं आप खत्म की पूछ रहे हैं, पहले शुरू तो होने दीजिए ।

श्री रामशरण दास–

इसी का जवाब मंत्री जी दे दें या फिर यह बता दें कि यह अपने कार्यकाल में शूरू करेंगे या किसी और के कार्यकाल में ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

प्रधान प्रभु दयाल–

यह चुनाव होने से पहले प्रशासक आदि जो तमाम अधिकारी हैं, यह हट जाएंगे या इनके रहते ही चुनाव होंगे और यह बाद में हटेगें ।

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं बुलाया गया ।)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया कितने दिन चलेगी, जुलाई में तो शुरु हो जाएगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, अपने उत्तर में ही हमने इसके बारे में लिखा है । हमारे माननीय सदस्य सहकारिता आन्दोलन के पुराने जानकार हैं, उनको सारी प्रक्रिया का ज्ञान है कि किस प्रक्रिया में कितना समय लगता है (व्यवधान) 9 महीने, मान्यवर, मैंने पहले ही यह निवेदन किया था ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं यह जानना चाहता हूं, पिछले तीन वर्ष में कई दफा चुनाव प्रारम्भ कराकर स्थगित किये गये और पिछले साल इस लिए चुनाव स्थगित कर दिये गये थे कि उस दिन प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हो रही थी, और इस साल भी आप यही समय इनके लिए रखें हैं कि नया साल भी आप बरसात की वजह से चुनाव स्थगित करेंगे या करायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, दैवी आपदा तो समाज के साथ जुड़ी हुई है, वह बरसात नहीं भयंकर बाढ़ थी और उस लिहाज से आवागमन में भारी बाधा उपस्थित हो गई थी, सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया था, समितियों तक पहुंचना बहुत कठिन हो गया था यों बारिश में चुनाव सम्पन्न हो सकते हैं और कराये जायेंगे ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

अध्यक्ष जी, सदन के किसी आदमी को इनकी इस बात पर भरोसा नहीं है, तो आपसे हमारा कहना है कि क्या आपकी ओर से कोई ऐसा निर्देश दिया जा सकता है कि यह दिए गये टाईम में चुनाव करा दें ?

श्री अध्यक्ष–

वह अधिकार आप हमें दे दें, तो देखा जाए ।

श्री सूर्य प्रताप साही–

इस वर्ष मार्च, अप्रैल महीनें में प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि डेलीगेट्स के निर्वाचन के पश्चात् क्या कारण था कि उस प्रक्रिया को रोका गया ? क्या इसको बताने की मंत्री जी कृपा करेंगे।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, यह फरवरी से निरन्तर प्रयास किया गया, मार्च में भी तारीख दी गई थी, उस समय भी प्रदेश व्यापी हड़ताल कर्मचारियों ने की थी, इस वजह से बाद में वह तिथि स्थगित करनी पड़ी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने किरन पाल सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में चुनाव की प्रक्रिया शुरु हुई नामांकन पत्र भर दिये गये थे और तारीख आने पर चुनाव टाल दिये गये। लोगों ने जो पैसा जमा किया था उसके आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे या उस पैसे को वापस करेंगे । किस फंड में आपने वह पैसा जमा किया है। दूसरी बात यह है कि आपने जो प्रशासन नियुक्त किये हैं वह अपने विरोधियों को तरह-तरह से तंग कर रहे हैं । इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि सदस्य कम बनें और जो सदस्य बन गये हैं उनको लिस्ट से काट सकें । तो चुनाव के एक महीने पहले या 15 दिन पहले इन प्रशासनों को हटाकर निष्पक्ष चुनाव करायेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि यह धन जो चुनाव की प्रक्रिया में व्यय किया गया है, उसको लौटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट बिल्डर्स को भूमि विकास एवं भवन निर्माण हेतु आवन्टन तथा मुआवजे का भुगतान

***2–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगरवासियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ नगर के आस-पास के गरीब किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया गया था? यदि हां, तो क्या इस अधिग्रहीत भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं भवन न बनाकर इस भूमि की बिक्री व्यवसायिक संस्थानों को कर दी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या इस अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

जी नहीं ।

किसी भी बिल्डर को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है वरन् भूमि प्राईवेट बिल्डर्स को लाइसेन्स के आधार पर भूमि का विकास तथा भवनों के निर्माण हेतु आवंटित की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुआवजे का भुगतान सम्बन्धित व्यक्ति को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है/किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, विकास प्राधिकरण द्वारा जब भूमि को अधिगृहीत किया गया तो यह उद्देश्य था कि इस भूमि को उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्लाट या भवन बनाकर देने हेतु अधिगृहीत की जा रही है। लेकिन इस भूमि को प्राइवेट बिल्डर्स को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का क्या कारण रहा है । किसानों को जो भूमि की कीमत दी जा रही है उससे 20 गुनी ज्यादा कीमत प्राइवेट बिल्डर्स उपभोक्ताओं से वसूल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्राविधान के अन्तर्गत उनको भूमि दी गयी है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विद्वान सदस्य को स्वयं जानकारी है कि जो भूमि किसानों से ली जाती है वह दूसरे लोगों की मकानों की आवश्यकता को देखते हुये और वर्ग विशेष को उपलब्ध कराने के लिये ली जाती है ताकि जिनके पास अपने मकान नहीं है वह मकान बना सकें । मकानों की आवश्यकता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। सरकार के पास सीमित संसाधन है। अगर सरकार अपनी एजेंसियों से इस भूमि का विकास कराये तो खर्च कई गुना होगा । इसलिये भूमि का विकास करने के लिये और विकास करने के बाद मकान बनाकर आवंटित करने के लिये निजी एजेंसियों, लाइसेंसी एजेंसियों को आवंटित की जाती है बेची नहीं जाती है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जब विकास प्राधिकरण मकान नहीं बना सकता है तो इतनी भूमि अधिगृहीत करने की क्या आवश्यकता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि प्राइवेट बिल्डर्स को भवन बनाने है तो वह बाजार की कीमत पर जमीन किसानों से खरीद सकते है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले । विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता से अधिक भूमि अधिगृहीत करने का क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न अधिग्रहण की आवश्यकता का नहीं है। प्रश्न मकान बनाने की दूसरी एजेंसियों की क्षमता का हो सकता है। आम जनता की आवश्यकता तो मकान के लिए और बढ़ती जा रही है । यह बात और है कि जमीन लेने के बाद उस आवश्यकता के अनुसार भूमि का विकास नहीं हो पा रहा है या भूमि का विकास नहीं कर पा रहे है । इसलिये विभिन्न एजेंसियों को भूमि दी जाती है आवंटन के दर पर।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, जहां-जहां पर किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है उसका पूरा पैसा उन्हें नहीं मिला है। जो आज चालू बाजार भाव है उसके ऊपर जमीन की कीमत नहीं दी गयी है, श्रीमन्, भूमि विकास प्राधिकरण ने भूमि ले लिया है लेकिन इसका पूरा पैसा किसानों को नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि विकास प्राधिकरण जिस भूमि को अधिगृहीत कर रहा है उस भूमि का मुआवजा चालू बाजार भाव से एक मुश्त नकद किया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विकास प्राधिकरण खुद मुआवजा तय नहीं करता वह अधिग्रहण अधिकारी द्वारा तय किया जाता है वही मुआवजे की धनराशि तय करता है। मुआवजे की धनराशि जहां-जहां जो दर है उसी अनुपात में तय की हुई है । जहां तक विकास प्राधिकरण का प्रश्न है वह मुआवजा तय करने के बीच में नहीं आता है ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण में किसानों से जमीन लेकर महंगी दर पर दूसरे लोगों को दी जाती है उसी प्रकार से पूरे कबाल टाउन में भी हो रहा रहा है। कानपुर में किसानों की जमीन ले ली गयी और मुआवजा नहीं दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि कबाल टाउन में जो प्रशासन लोग है वह लोग करोड़ों रुपये की जमीन प्राइवेट बिल्डर्स से मिलकर दिये दे रहे हैं । कानपुर में 6 करोड़ रुपये की जमीन अंसारी ने बेच दी है जो 20 करोड़ रुपये की है। तो मान्यवर, जिन किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है या जो प्राइवेट बिल्डर्स को सस्ती दर पर जमीने प्रशासक लोग दे रहे हैं उनकी जांच करवायेंगे और किसानों को बाजार भाव पर मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आज का प्रश्न केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण से संबंधित है । इसलिए दूसरे प्राधिकरण के सम्बन्ध में जानकारी देना सम्भव नहीं है माननीय सदस्य यदि शिकायत को देना चाहेंगे तो उसकी जांच अवश्य करायी जायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने अनुपूरक उत्तर में यह कहा कि हमने सस्ती दर पर गरीबों के भवन बनाने के लिए अधिग्रहीत किया है भूमि को । अब अगर विकास प्राधिकरण उसका निर्माण कराता है तो उस पर लागत ज्यादा आती है इसलिए गरीबों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया है । इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण के बाद प्राइवेट बिल्डर्स को दी गयी । तो प्राइवेट बिल्डर्स में और इनमें कितनी विषमता है ? इसके अलावा क्या आवंटियों को सस्ती दर पर जैसा कहा गया है, उसी दर पर मुहैया कराया गया है या मार्केट वैल्यू पर, यदि मार्केट वैल्यू पर मुहैया कराया गया है तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सरकार के पास में या जितने प्राधिकरण है उनके पास में अपने सीमित संशाधन है । अगर वे विकास के सारे कार्य करेंगे तो इम्पलाइज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और समय भी लगेगा । मान्यवर, भूमि अर्जन अधि-

नियम के अन्तर्गत यह प्राविधान कर दिया गया है कि 2 वर्ष के अन्दर अगर विकास का कार्य नहीं होता तो अर्जन समाप्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जिस परियोजना के लिए भूमि ली गयी है उस पर विकास का कार्य शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाय।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर ,मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों से भूमि ली और इसको प्राइवेट बिल्डर्स को बेची तो पिछले 5 सालों में अलग-अलग बताने की कृपा करेंगे कि भूमि की दलाली में कितना पैसा सरकार को मिला है?

श्री अध्यक्ष–

इसकी तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन अधिग्रहीत की गयी, और उसके बाद प्राइवेट बिल्डर्स को दी गयी, वह कितने रुपये वर्ग फीट के हिसाब से अधिग्रहीत की गयी थी और किस दर पर प्राइवेट बिल्डर्स को दी गयी ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि भवन बनाने के बाद में आवंटन दूसरे लोगों को किया गया है? इस संदर्भ की पूरी जांच माननीय मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे कि जमीन किस भाव में ली गयी और कितना लाभ लेकर, कितने रुपये में बेंच दी गयी? माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा कर, इसकी पुनः जानकारी देने की कृपा करेंगे ? इसमें मान्यवर, लाखों रुपये अधिकारियों ने पैदा किया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी भूमि की दर हर एक स्थान पर एक सी नहीं है । प्रत्येक स्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हर एक स्थान की जमीन की दर अलग-अलग होती है । माननीय गुप्ता जी किसी विशिष्ट स्थान की जानकारी चाहते हों, तो वह लिख कर दे दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अलग-अलग स्थानों की दर बता दें ?

(व्यवधान) (कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर के आस-पास के किसानों की जमीन बहुत सस्ते दामों में ले ली गयी। उसके कुछ समय बाद एक एरिया कुछ लोगों को दे दी गयी और यह कहा गया कि उस एरिया में कुछ अधिकारियों की सोसाइटी का पहले से रजिस्ट्रेशन था । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य किसी विशिष्ट स्थान के बारे में लिखकर सूचना देंगे, तो इसकी अवश्य जांच करा ली जायेगी ।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई ओपेन विज्ञापन हुआ था ? क्या लखनऊ में आशियाना नाम से अन्शल बिल्डर्स जो कालोनी बना रहे हैं, उसमें जो जमीन आवंटित हुई, उसका मूल्य लखनऊ विकास प्राधिकरण को अदा किये बिना ही उन्होंने बेचने का काम किया है और इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने लम्बा रकम रिश्वत के रूप में लिया है। इसकी जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

वह आपके लिए आशियाना का इन्तजाम कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का साफ उत्तर नहीं दिया है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें । यह मान्यवर, जनहित का सवाल है। इसमें अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है । इसे मान्यवर, प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें ।

श्री हुकुम सिंह–

अभी मान्यवर, माननीय हर्ष वर्धन ने यह प्रश्न किया है कि इसके लिए क्या कोई ओपेन विज्ञापन हुआ था कि नहीं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके लिए विज्ञापन किया जाता है और उसके बाद ही आवंटन की प्रक्रिया की जाती है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में जितने भी विकास प्राधिकरण हैं उनमें से एक विकास प्राधिकरण की घटना आज हमारे सामने आई और मैं समझता हूं कि शायद सभी माननीय सदस्य जो चाहे इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं सबकी यह राय है कि जो विकास प्राधिकरण हैं, उसमें जितना भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त है वह किसी से छुपा नहीं है। गरीबों की, किसानों की बेशकीमती बहुत सी जमीन सस्ते दामों में खरीद ली गई और फिर उसे आने-पौने दामों में बेच दिया गया ।यह किसी से छिपा नहीं है। श्रीमन् जितने भी माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं, उनमें से किसी का भी स्पष्ट उत्तर नहीं आया है इसलिए मैं चाहता था कि इस प्रश्न को आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दें और अगर यह न करें तो इस पर चर्चा करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

तारांकित प्रश्न

बृहस्पतिवार, दिनांक 25 जून, 1987 हेतु निर्धारित

*1–श्री कौशिक राम शंकर, श्री गोपाल दास यादव तथा श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[2रे मंगलवार के सा0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला ग्रामीण विकास योजना की भांति जिला शहरी विकास योजना समिति के गठन की मांग

*2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि शहरी निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु संबंधित सदस्यों की कोई सलाह नहीं ली जाती है? यदि हां, तो क्या जिला ग्रामीण विकास (डी0 आर0 डी0) योजना समिति की ही तरह जिला शहरी विकास योजना समिति का गठन किया जायगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं। जिला ग्रामीण विकास योजना समिति/एजेन्सी भारत सरकार के निर्देशों तथा सहयोग से गठित की गयी है। शहरी निकाय स्वायत्त शासी संस्थायें होती हैं, जिनका गठन निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा होती है, अतः शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु किसी अन्य सीमित एजेन्सी के गठन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि शहरी निकाय स्वायत्त शासी संस्थायें होती हैं, जिनका गठन निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा होता है। आप जानते हैं कि पिछला सदन इसी निर्वाचन के कारण नहीं हो सका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शहरी निकाय में जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए यह निर्वाचन कब तक करायेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि चुनाव यथाशीघ्र करवा दिये जायेंगे।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, ग्रामीण विकास के लिए विधायकों का योगदान लिया जाता है लेकिन शहरी विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विधायकों का योगदान नहीं लेती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसमें केन्द्र सरकार की सिफारिश पर काम करती है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं नहीं समझता कि इसमें केन्द्र सरकार की सिफारिश करने का कोई सम्बन्ध है। यह कार्य पूर्णतया प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें निर्वाचित संस्थायें नहीं हैं और जो सत्ता पक्ष के चमचे लोग हैं विकास प्राधिकरण और महापालिका में उन्हीं लोगों को मनोनीत किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मनोहर लाल जी, आप अपना प्रश्न कर लें।

श्री मनोहर लाल–

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जो कांग्रेस सत्ता पक्ष के विधायकों के चमचे लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा प्रशासकों को राय दी जाती है? क्या इस सम्बन्ध में शहरी क्षेत्र के विधायकों से भी राय ली जायेगी?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय, डी0 आर0 डी0 ए0 के समकक्ष जो योजना है उसका सम्बन्ध ग्राम्य विकास से है और यह 50 फीसदी तक पोषित योजना है केन्द्र सरकार की। इस प्रकार की कोई योजना शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है, इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय, जैसा कि माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मैं उसके संदर्भ में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नगर विकास एवं ग्रामीण विकास दोनों क्षेत्रों में विकास कार्य अति आवश्यक हैं। ग्रामीण विकास कार्य भारत के नियंत्रण में होने के कारण जब भी वहां पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो क्षेत्रीय विधायकों से उस सम्बन्ध में सलाह ली जाती है। इसी प्रकार से जब तक आप शहरी क्षेत्र का चुनाव आप नहीं करा पा रहे हैं तब तक क्या आप क्षेत्रीय संबंधित विधायकों की सहायता से उनके विचार विमर्श से विकास कार्यों को करने पर विचार करेंगे और शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु आप ने जैसा अभी कहा कि चुनाव शीघ्र ही कराने जा रहे हैं तो क्या उसकी कोई तारीख आप देंगे और जब तक इस चुनाव की आप कोई तारीख निश्चित न कर सके तो क्या उस समय तक विधायकों की समिति बनायेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं उस रोज घोषणा की है कि हम चुनाव शीघ्र ही कराने जा रहे हैं दूसरे माननीय, डी0 आर0 डी0 योजना सक्षम है अपने समस्त कार्यों के लिए उसके द्वारा नगर क्षेत्रों के विकास कार्य भी हो रहे हैं वैसे दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यों की समस्याएं अलग-अलग हैं। इसलिए जहां तक माननीय विधायकों को शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों के साथ जोड़ने का प्रश्न है वैसे इस बात की सभी को जानकारी है कि विधायकगण ऐसी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं और जहां तक चुनाव की बात है वह मैं पहले भी कह चुका हूं कि नगर पालिकाओं, टाउन एरियाज आदि सभी के चुनाव शीघ्र होने जा रहे हैं, जिनसे समस्त समस्याओं का हल स्वयं निकल आयेंगे।

(घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर- यह चुनाव कब कराये जायेंगे इसकी कोई तिथि निश्चित करेंगे)

(शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि सरकार प्रदेश के अन्दर के नगर पालिकाओं के चुनाव कब तक करा देगी और क्या इसकी घोषणा माननीय मंत्री जी सदन के अंदर करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी परसों स्वयं इसकी घोषणा सदन में कर चुके हैं कि चुनाव नगर पालिका व टाउन एरिया आदि के शीघ्र ही करायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

नत्थी "ख" प्रश्न संख्या-3

(इस पर विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो गये, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह सरकार हत्यारी है, किसानों और गरीबों की हत्या करने वाली है और चुनाव न कराकर खुलेआम समस्त जनता की भी हत्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें, यह मुनासिब नहीं है, मा0 जयदीप सिंह बरार . . .

(घोर व्यवधान)

(विरोधी पक्ष के कई सदस्य तथा मा0 नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता जब खड़े हैं, तब भी आप लोग बैठ नहीं रहे हैं, यह बात मुनासिब नहीं है। आप तो नियमों का पालन करने वाले हैं, बैठ जाइये।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण इसलिए भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी चुनाव की बगैर कोई तारीख की घोषणा किये हुए सिर्फ यह कह रहे हैं कि सरकार शीघ्र ही चुनाव कराने जा रही है। इस संबंध में हमारा आपसे कहना यह है कि एक तरफ तो प्रत्येक म्यूनिसिपिलिटी, टाउन एरियाज व नगर पालिकाओं में किसी भी जगह पर कोई विकास कार्य नही हो रहे हैं। मान्यवर, न तो चुनाव कराने की तारीख दे रहे हैं और न ही विधायकों की जन-प्रतिनिधियों की समिति बना रहे हैं जो शहरों, कस्बों के अंदर विकास का कार्य कर सके, उसे देख सके। मा0 मंत्री जी अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मैं संरक्षण चाहता हूं कि या तो मंत्री जी घोषणा करें चुनाव कराने की या मा0 सदस्यों की समिति बनाकर जिले के विकास के लिये कार्य करायें। सारी जनता परेशान है- सड़कें नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी या तो चुनाव की तिथि घोषित करें या सदन के सदस्यों की समिति।

श्री हुकुम सिंह–

मा0 नेता विरोधी दल ने चिन्ता व्यक्त की है। यह सही है, मैं उनकी भावना से शत-प्रति-शत सहमत हूं, नगर पालिकाओं के चुनाव होने चाहिये। जनप्रतिनिधियों के अभाव में जो विकास कार्य होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। हम कृत संकल्प हैं शीघ्र से शीघ्र चुनाव करायेंगे।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये। सभी लोग बैठ जांये। इतने लोग खड़े रहेंगे तो सदन कैसे चलेगा। आप लोग बैठ जांये।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता परेशान है। सदन में भी इस विषय पर गर्मागर्मी से चर्चा हुई है। उच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला दिया है कि 6 माह के अन्दर सरकार को स्थानीय निकायों के चुनाव करा देना चाहिये।। आप कृपया यह बता दें कि वह तिथि कौन सी है तथा सरकार क्या यह आश्वासन देगी कि उस तिथि तक चुनाव हो जायेंगे। पुनः वह कोई ऐसा अध्यादेश तो नहीं लायेगी जिससे चुनाव न हो पाये।

श्री हुकुम सिंह–

सम्मानित उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, पालन किया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, स्पष्ट तारीख दें।

श्री कल्यान सिंह–

मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, मान्यवर । मा0 मंत्री जी गोल-मोल उत्तर देते हैं। हम यह जानना चाहते है कि उच्च न्यायालय का फैसला किस तारीख को मिला था। उसके हिसाब से 6 महीने की अवधि किस तारीख तक पूरी हो जायेगी । मा0 मंत्री जी उस अवधि के अन्दर चुनाव करा देंगे और कोई अध्यादेश नहीं लायेंगे चुनाव संबंधी ।। इतनी सी बात है, मंत्री जी कह रहे हैं जल्दी करा देंगे। स्पष्ट उत्तर दें, मान्यवर।

श्री हुकुम सिंह–

जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया। इस समय तो वह है नहीं। मैं देख लूंगा कि न्यायालय के आदेश कब आये हैं। उस आदेश के हिसाब से आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(शोर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, पिछले कई सत्रों से ऐसा हुआ । दुर्भाग्य कहिये या घटनाक्रम कह लीजिये। कुछ घटनायें ऐसी हुई कि विधान सभा में जैसे ही किसी ने घोषणा की कि स्वायत्त-शासी संस्थाओं के चुनाव कराये जायेंगे, उसके बाद वह मंत्री नहीं रहा। आज सारे प्रदेश में यह अन्धविश्वास जोर पकड़ता जा रहा है कि सरकार स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव इसलिये नहीं करा रही है कि जो सरकार इस चुनाव को कराने की घोषणा करेगी, वह चली जायगी। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार भी उसी की शिकार न हो, इसलिये मा0 मंत्री जी इसकी घोषणा करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपके कहने का मतलब तो यह हुआ कि कोई भी सरकार आए चुनाव कराएगी ही नहीं।

(तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ यह कोई तरीका नहीं है।

(श्री गोपाल दास यादव, श्री मनोहर लाल, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री बदन सिंह एवं अन्य कुछ मा0 सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आए)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेहरबानी करके अपनी सीट पर बैठें।

(घोर व्यवधान)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, फ्लोर से कहते रहे कि मेरा मूल प्रश्न है, आप मुझे प्रश्नोत्तर का अवसर नहीं दे रहे हैं। श्री गोपाल दास यादव फ्लोर से यह कहते रहे कि आप स्पष्ट आश्वासन दिलाएं कि चुनाव कब तक होंगे। यदि चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं होगी तो चाहे आप मार्शल से मुझे उठवाकर बाहर फिंकवा दें, मैं सीट पर नहीं जाऊंगा। हमें जनता के बीच जाना होता है। हमारे यहां अमिताभ बच्चन के कहने पर विकास होता है। वास्तव में जहां गन्दगी है, जहां विकास की आवश्यकता है, वहां पर विकास नहीं होता है। इस बीच सदन में घोर व्यवधान रहा।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री अध्यक्ष–

माननीय गोपाल दास यादव जी, आप कृपया अपनी सीट पर जायें।

श्री गोपाल दास यादव–

(सदन के फ्लोर पर से ही खड़े होकर) मान्यवर, पहले आप सरकार को इस संबंध में निर्देश दें कि वे तिथि घोषित

श्री अध्यक्ष–

आप तो स्पोर्ट्समैन हैं। आपसे मैंने बहैसियत स्पोर्ट्समैन अनुरोध किया है। आप अपनी सीट पर जायं।

(श्री गोपाल दास यादव के अपनी सीट पर जाने एवं श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लिया जाने पर)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं। आपने अगला प्रश्न पुकार लिया। पहले मेरी बात सुन लें

मान्यवर, अभी इसी विषय पर नेता भारतीय जनता पार्टी और माननीय तिवारी जी ने अपने विचार रखे। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय का इस संबंध में निर्णय भी हो चुका है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा दिये जायं। उस 6 महीने में 3 महीने व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन, फिर भी माननीय मंत्री जी उसका गोल-मोल जवाब दे रहे हैं। मान्यवर, बजाय गोल-मोल जवाब देने के कोशिश इस बात की करनी चाहिये कि जो माननीय सदस्यों की इच्छा है और जो न्यायसंगत भी है, उसके अनुरूप निश्चित तिथि की घोषणा हो। मान्यवर, जब माननीय उच्च न्यायालय का इस संबंध में आदेश है तो इनका

कर्तव्य हो जाता है कि निश्चित तारीख की घोषणा हो । यह कहें कि हम उस 6 महीने की अवधि में चुनाव करा देंगे, यह निश्चित घोषणा करें । कोई कठिनाई हो, तो इस बात का वचन दें कि माननीय सदस्यों की समिति बनायी जायेगी । उस समिति के माध्यम से माननीय सदस्य अपने शहरों के विकास में हिस्सा ले सकें ।

मान्यवर, संरक्षण आपको देना है । यह अगर निश्चित कोई बात नहीं कहेंगे, तो आये दिन इस तरह की गड़बड़ी होती रहेगी । हम और हमारे विधायक कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं, जो न्यायसंगत न हो । यह बात उच्च-न्यायालय के निर्णय के बाबत भी है । इसलिए आप सरकार से कोई निश्चित घोषणा कराने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी-आपको हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक कोई दिक्कत . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इन्हें हाईकोर्ट का डिसीजन मालूम ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं बोल रहा हूं तो बात पूरी कर लेने दें । आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सरकार तो उस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोच रही है । यह तो गोल मटोल ही जवाब दे रहे हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक यह उस चुनाव को कराने के लिये कटिबद्ध हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं पहले से खड़ा हुआ हूं । मैं भी इस सदन का सदस्य हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आप एक मिनट के लिये बैठ जायं, मैंने माननीय मंत्री जी को बुलाया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सम्मानित नेता, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्पष्ट प्रश्न किया, उसका मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया । हाईकोर्ट का जजमेंट अभी मेरे पास नहीं है । जजमेंट के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, हाईकोर्ट, उ0 प्र0 ने यह निर्णय दिया कि 6 महीने के अंदर नगरपालिका के चुनाव करा दिये जायं । उस निर्णय को दिये हुए 3 महीने व्यतीत भी हो चुके हैं, अगर यह सच है, तो मेरी सूचना को आधार मानकर सरकार तीन महीने के अंदर चुनाव कराने के लिये घोषणा करे । 6 महीने में 3 महीने गुजर गये । पिछली बार माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने यह सवाल उठाया था हमारी पार्टी के वकील श्री सीताराम ने वहां मुकदमा लड़ा था । इसके बावजूद क्या सरकार 6 महीने के समय को देखते हुए और उसमें से 3 महीने का समय व्यतीत हो चुका है, शेष के तीन महीनों में चुनाव कराने की घोषणा करेगी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि उच्च न्यायालय के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी। काल्पनिक बात पर सदन में उत्तर देना उचित नहीं है।

श्री शतरूद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की व्यक्तिगत जानकारी है और श्री गोपाल दास यादव जी को व्यक्तिगत जानकारी है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि काल्पनिक बात है। हमारी बात ठोस तथ्यों पर आधारित है। क्या हमारी सूचना को सही मानते हुए माननीय मंत्री जी बचे हुये 3 महीने में चुनाव कराने की घोषणा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बहुत ही सीधा सा प्रश्न था। इसमें आक्रोश करने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, उच्च न्यायालय का निर्णय तो तभी से लागू होगा जिस तिथि में वह निर्णय हुआ है। हमें जानकारी मिली है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है अपितु उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वह उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहती है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगें कि सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में नहीं जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने पूर्व में भी कह दिया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी। किसी भी काल्पनिक प्रश्न का उत्तर तथ्यात्मक नहीं हो सकता है। पहले निर्णय को देख लेंगे उसके बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर, प्रश्नकर्ता सदन में उपस्थित नहीं थे। श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-4 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदन में उपस्थित नहीं थे।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-6 पुकारे जाने पर)

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी, आप कृपया इन्हें बैठायें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

(श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डे के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बैठें ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा चिल्ला-चिल्लाकर बोलते रहने से घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, एक-एक बाल्टी पानी 20-20 रु0 में बिक रहा है . . .

श्री अध्यक्ष–

अगर आप नहीं बैठेंगे तो सदन छोड़ें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शतरुद्र प्रकाश जी को सदन की सदस्यता से आज के लिये निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से, जिसे उन्होंने अभी प्रस्तुत किया है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, अब आप सदन छोड़ें ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव सदन के "फ्लोर" पर आ गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं 12.30 बजे तक सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी गई ।)

श्री राम निवाज सिंह भण्डार नायक पी0 सी0 एफ0 फर्टीप्लान्ट, बाराबंकी के विरुद्ध जांच पूर्ण होने तक निलम्बन की वापसी

*3–श्री मयंकर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नि0 भण्डार नायक पी0 सी0 एफ0 फर्टी प्लांट, बाराबंकी (श्री राम निवाज सिंह) को दिनांक 13-9-83 को निलम्बित कर दिया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या चार्जेज थे ? क्या उनके विरुद्ध लगाये गये चार्जेज की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो इतनी

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लम्बी अवधि तक निलंबित रखने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक 13-9-83 का निलम्बन पत्र उन्हें दिनांक 10-6-85 को दिया गया जोकि नियमतः स्वतः निरस्त हो जाता है ? ऐसी स्थिति में क्या सरकार श्री सिंह का निलम्बन तत्काल निरस्त करके उन्हें पुनः सेवा में बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री राम निवाज सिंह भंडार नायक पी0सी0एफ0 फर्टीप्लान्ट, बाराबंकी को आदेश दिनांक 13-9-83 द्वारा निलम्बित किया गया था जो दिनांक 10-6-85 को उन्हें प्राप्त कराये जाने की तिथि से प्रभावी हुआ ।

श्री राम निवाज सिंह के विरुद्ध उर्वरक संभार में 577 मै0 टन कमी की सूचना प्राप्त हुई थी ।

प्रकरण की जांच अभी चल रही है ।

चूंकि श्री राम निवाज सिंह के विरुद्ध प्रकरण की जांच, प्रक्रिया में है अतएव उन्हें निलम्बित रखना उचित था ।

जी हां । ऐसा कोई नियम नहीं है कि निलम्बन आदेश विलम्ब से तामील होने के कारण स्वतः निरस्त हो जाय ।

आदेश दिनांक 24-2-87 के द्वारा श्री राम निवाज सिंह को जांच पूर्ण होने तक अनन्तिम रूप से बहाल कर दिया गया है ।

डा0 एच0 एन0 अधौलिया अधीक्षक टी0 बी0 सेनेटोरियम, सहारनपुर के विरुद्ध कथित शिकायत

*4–डा0 शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि टी0 बी0 सेनेटोरियम, सहारनपुर में 1975 से 1982 तक अधीक्षक श्री अधौलिया के समय में मरीजों के खाने का खर्च 17-18 हजार रु0 प्रतिमाह दिखाया गया है जबकि 1983 से अधीक्षक श्री सिंघल के समय में यह खर्चा केवल 6 हजार रुपया प्रतिमाह आ रहा है ? क्या यह सही है कि अधीक्षक श्री अधौलिया ने पांच छः साल में लगभग 7-8 लाख रुपये का घपला किया है ? क्या यह भी सही है कि इसकी लिखित शिकायत श्रीमती बनदेवी वर्मा कांग्रेस (आई) कार्यकर्ती एस0 बी0 डी0 अस्पताल सहारनपुर द्वारा मंत्री जी से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

डा0 एच0 एन0 अधौलिया, टी0 बी0 सेनेटोरियम, सहारनपुर में अधीक्षक पद पर दिनांक 27-3-76 से 24-6-83 तक कार्यरत रहे । इसी प्रकार डा0 बी0 डी0 सिंघल उक्त सेनेटोरियम में दिनांक 25 जून, 1983 से दिनांक 1-9-84 तक कार्यरत रहे। वर्ष 1975-76 से वर्ष 1982-83 तक डा0 अधौलिया के समय में भोजन पर औसत व्यय रु0 8865.12 पैसे प्रतिमाह रहा न कि रु0 17-18 हजार प्रतिमास। वर्ष 1983-84 व 1984-85 में जब डा0सिंघल अधीक्षक थे, भोजन पर औसत व्यय

रु0 10675.56 पैसे प्रतिमास रहा न कि रु0 6 हजार प्रति मास । अतः स्पष्ट है कि तुलनात्मक दृष्टि से भोजन पर औसत मासिक व्यय 1975-76 से 1982-83 के मध्य कम रहा है। डा0 अधौलिया द्वारा भोजन पर किये गये व्यय के किसी घपले का शासन को कोई ज्ञान नहीं है ।

जी हां, श्रीमती वनदेवी नहीं वरन् श्रीमती वचन देवी वर्मा ने लिखित शिकायत की थी, किन्तु शिकायत में लगाये गये आरोप जांचोपरान्त निराधार पाये गये । वर्णित स्थिति में सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

*5–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[2रे मंगल के ता0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर अन्य प्रान्तों के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

*6–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26 अगस्त, 1985 से 3 अक्टूबर, 1985 तक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर चयन हेतु हुए साक्षात्कार में प्रदेश से बाहर अर्थात अन्य प्रान्तों से शिक्षा प्राप्त बी0 एच0एम0एस0/डी0एच0एम0एस0/डी0एम0एस0 के कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित कराया गया तथा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है ? क्या यह सही है कि अन्य प्रान्तों के अधिकतम अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अन्य प्रान्तों से शिक्षा प्राप्त बी0एच0एम0एस0 के 3, डी0एच0एम0एस0 के 29 तथा डी0 एम0 एस0 के पांच अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में नियमानुसार सम्मिलित किया गया जिसमें से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 1, 4 तथा 1 है ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कृषकों को सब्सीडी एवं समर्थन मूल्य का लाभ देने की योजना

*7–श्री जयदीप सिंह बरार –

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1970-71 को आधार मानकर उन औद्योगिक उत्पादकों, जिनका प्रयोग कृषक करते हैं, के मुख्य सूचकांक में चार सौ प्रतिशत की लगभग वृद्धि हुई है तथा कृषि उत्पादकों के मूल्यों से इस वर्ष से आज तक मात्र एक सौ प्रतिशत के लगभग ही वृद्धि हुई है, इसके फलस्वरूप कृषकों का जीवन स्तर शहरों में रहने वालों के मुकाबिले में लगातार गिरता चला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या कृषि मंत्री जी इस बढ़ते हुए अन्तर को रोकने के लिए किसानों के उपयोग में आने वाले औद्योगिक उत्पादकों पर सब्सिडी देने तथा कृषि उत्पादकों का अधिक मूल्य दिलाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी नहीं ।

सीमान्त एवं लघु कृषकों को सब्सीडी विभिन्न योजनाओं में समय-समय पर दी जाती है तथा कृषकों को कृषि उत्पादकों पर भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है ।

नगर महापालिका, इलाहाबाद के कतिपय क्षेत्रों की सीवर व्यवस्था हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि

*8--श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका को वर्ष 86-87 में सीवर लाइन बिछाने हेतु शासन द्वारा कितना धन किस आधार पर आवंटित किया और क्या शेष पूरे नगर में सीवर लाइन बिछाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

वर्ष 1986–87 में नगर महापालिका, इलाहाबाद को कटरा व अन्य क्षेत्रों की सीवर व्यवस्था ठीक करने हेतु रु0-50 लाख स्वीकृत किया गया था ।

पूरे नगर के लिए सीवर लाइन बिछाने की कोई योजना फिलहाल प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका में सड़कों की सफाई हेतु खरीदी गई मशीन की तिथि एवं धनराशि

*9–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के लिए कब और कितने रुपये की लागत से सड़कों की सफाई करने वाली मशीन खरीदी गयी? क्या यह इस समय चालू हालत में है ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

सड़क सफाई की मशीन, अक्टूबर, 1984 में रुपये 4,84,903·64 पैसे की लागत से क्रय की गयी थी ।

जी हां ।

जनपद आगरा में फिरोजाबाद क्षेत्र के कतिपय गांवों में लगाये गये हैण्ड पम्पों की मरम्मत की मांग

*10–श्री रघुबर दयाल वर्मा –

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम नगला शेख (चंदवार) नगला मुल्ला, उस्मानपुर, गड़ी तिवारी (चंदवार) रामदासपुरा, बरीका नगला वजीरपुर, सेलई, सुजातगढ़ वजीरपुर जहेलपुर, सिकहरा, सेगई, बरामई मडुआ आदि में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु लगाये गये हैण्ड पम्प करीब एक वर्ष से खराब हैं और बंद पड़े हैं, जिससे लोग पानी को तरस रहे हैं? यदि हां, तो क्या उन्हें तुरन्त ठीक कराने का प्रयास किया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*11–श्री शिव नारायण मिश्र –

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित मुंशी पुरवा गांव की आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अपने सीमित संसाधनों से सफाई व्यवस्था

*12–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित मुंशी पुरवा गांव की समस्त भूमि (घरों को छोड़कर) आवास विकास परिषद् द्वारा अधिगृहीत किये जाने के कारण ग्रामवासी विवश होकर मलमूत्र एवं कूड़ा-कचड़ा ग्राम के चारों ओर बनी सड़कों पर फेंकते हैं, जिसके कारण कालोनी में भीषण गन्दगी व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामवासियों की समस्याओं का निराकरण करके कालोनी में व्याप्त गन्दगी दूर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्नगत क्षेत्र में इस समय सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा आवास एवं विकास परिषद् अपने सीमित संसाधनों से वहां सफाई इत्यादि की सीमित व्यवस्था करती है । अब यह क्षेत्र लखनऊ नगर महापालिका की सीमा में आ गया है और इसलिए इन्दिरा नगर कालोनी पालिका को निकट भविष्य में हस्तान्तरित होगी और सफाई की समुचित व्यवस्था सुलभ होगी ।

अलीगंज में स्थापित सघन कृषि कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत शोध कार्यों में प्रयोजित होने वाले कृषि प्रक्षेत्र क्वारिसी के स्थानान्तरण की योजना

*13–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में स्थापित सघन जिला कृषि कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत कृषि संबंधी शोध कार्यों में प्रयोजित होने वाले राजकीय कृषि प्रक्षेत्र क्वारिसी/अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है? यदि हां, तो इस फार्म के अभाव में उक्त योजना के कृषि शोध कार्यों को किस प्रकार सम्पन्न किया जावेगा? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि नगर मध्य स्थित होने के कारण फार्म की भूमि का आवासीय मूल्य करोड़ों रुपये है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में दिये गये पारिश्रमिक का परिवार कल्याण के आयोजनागत कार्यक्रम के अन्तर्गत भुगतान

*14–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सफलता के लिए अपना लक्ष्य पूरा करने वाले और परिश्रम करने वाले अधिकारियों को उन्नाव जिले में माह मार्च, अप्रैल, 1986 में लाखों रुपए के पुरस्कार दिए गए हैं? यदि हां, तो यह धनराशि कहां से आई है और किस मद से व्यय की गयी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1985-86 की उपलब्धियों के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को रु0 49,479-85 के पुरस्कार प्रदान किये गये थे।

इसका प्राविधान आय-व्ययक में परिवार कल्याण के आयोजनागत कार्यक्रम के अन्तर्गत था।

हाथी गली, मथुरा के निवासियों का नगरपालिका की पाइप लाइन बर्स्ट हो जाने संबंधी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

*15–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें हाथी गली मथुरा के निवासियों का रजिस्टर्ड पत्र जिसमें नवम्बर, 86 में वहां के मकानों में बड़ी तादाद में नगरपालिका की पाइप लाइन बर्स्ट हो जाने के कारण फट जाने का उल्लेख करते हुए जांच कराये जाने व सहायता दिये जाने की मांग की गयी थी, प्राप्त हुआ? क्या पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले कई वर्षों से हाथी गली मानिक चौक, कुआ गली गूजरहहा, गलाश्रम टीला सर्वनपुरा नीमगली चबिच्या गुजराना आदि कई मोहल्लों में इसी कारण से सैकड़ों ही मकान फटते चले आ रहे हैं? परन्तु अधिकारियों से लेकर नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद भी न तो उन्हें कोई सहायता दी गयी है, न पाइप लाइनें बदली गयी हैं और न दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

हाथीगली निवासियों का दिनांक 15-11-86 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। परन्तु यह सत्य नहीं है कि मकान नगरपालिका की पाइप लाइन बर्स्ट हो जाने के कारण फटे। पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

सहायता दिये जाने हेतु कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। पाइप लाइन बदल दी गई है व निवासियों के अनुरोध पर उनके निजी जल संयोजन की लाइन के कनेक्शन भी निःशुल्क करा दिये गये हैं।

कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। अतएव कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर महापालिका के आवासीय कालोनियों में सुरक्षा कर्मियों के आरक्षित कोटे

*16—कर्नल केशरी सिंह—

क्या नगर आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1979 में नगरीय आवास कालोनियों में जो 3 प्रतिशत का आरक्षण सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया गया था उसके अधीन गत पांच वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लखनऊ नगर महापालिका के आवासीय कालोनियों में प्रतिवर्ष कितने भूतपूर्व या सेवारत सैनिकों या उनके परिवारों को आवास आवंटित किया गया है? क्या उनका आरक्षित कोटा पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो कितने आवास सुरक्षा कर्मियों को देना बाकी है और इसके पूरा होने में क्या देरी है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी जिले की गुरसराय ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धन एवं व्यय विवरण

*17—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की गुरसराय ग्राम समूह पेयजल योजना के विकास कार्यों हेतु वर्ष 85-86 में आठ लाख तथा वर्ष 86-87 में उन्नीस लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं? यदि हां, तो उक्त धन का उपयोग इस योजना में कहां और किन कार्यों में किया गया है? यदि उक्त धन इस योजना के विकास हेतु व्यय नहीं किया गया है तो क्यों और क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उक्त योजना पर आय-व्ययक में वर्ष 1985-86 में 8 लाख तथा 1986-87 में मात्र 2 लाख रुपये का प्राविधान था, जिसके समक्ष वर्षवार क्रमशः 6.78 लाख रुपये तथा 3.59 लाख रुपये व्यय किये गये, प्रथम वर्ष में सामग्री का समायोजन तथा द्वितीय वर्ष में समायोजन के साथ-साथ 2 नलकूपों का छिद्रण करके योजना का विकास किया गया है।

चूंकि उक्त धन का व्यय उक्त योजना के विकास पर हुआ है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

आवास विकास परिषद् द्वारा सीतापुर में की गई कथित अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच

*18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा सीतापुर में निर्बल आय वर्ग के लिए भूखण्ड तथा आवास निर्माण एवं आवंटन में लूट विषयक प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 20-11-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उस बारे में अब तक क्या

कार्यवाही की गयी? क्या कोई जांच करायी गयी है? यदि हां, तो किससे और क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में मुख्य रूप से आवास एवं विकास परिषद् की सीतापुर आवासीय योजना में भूमि का मूल्य अधिक होने, पंजीकरण की शर्तों को बदल दिये जाने तथा किश्तों की धनराशि बढ़ा दिये जाने की शिकायतें की गई थी।

उन शिकायतों को आवास एवं विकास परिषद् के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

जी हां।

परिषद् से प्राप्त आख्यानुसार अधिशासी अभियन्ता से स्थिति ज्ञात की गई और सीतापुर आवासीय योजना के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई वह उचित पाई गई और इस कारण इस मामले में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री वीरेन्द्र सिंह मतोलिया की जिला अस्पताल अल्मोड़ा में हुई मृत्यु की न्यायिक जांच

*19–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 21 अक्तूबर, 1985 को जिला अस्पताल अल्मोड़ा में श्री वीरेन्द्र सिंह मतोलिया लिपिक भारतीय जीवन बीमा निगम अल्मोड़ा की मृत्यु पेनसिलीन की सुई लगने के तुरन्त बाद हो गयी थी? श्री मतोलिया की सुई लगाने व रिएक्शन होने के बाद तुरन्त उपचार करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी/कर्मचारी की थी और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट के 15 मई, 1986 तक भी उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। श्री वीरेन्द्र सिंह मतोलिया की जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में स्टेप्टो-पेन्सलीन की सुई लगने के बाद एनाफाइलेटिक शाक के कारण मृत्यु हो गयी थी।

डा0 आर0 बी0 सिंह, फिजीशियन तथा श्री अशोक पांडे, फार्मेसिस्ट द्वारा तुरन्त उपचार एवं बचाव का पूर्ण प्रयास किया गया। श्री मतोलिया की मृत्यु के संबंध में जिला अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दिये गये हैं। जांच आख्या अपेक्षित है।

शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

प्रदेश में पेयजल संकट से निपटने के लिए हैण्ड पम्प के अतिरिक्त अन्य व्यवस्था

*20–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेयजल संकट से निपटने के लिए हैण्ड पम्प योजना के अतिरिक्त कोई स्थायी योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

पेयजल संकट से निपटने के लिए हैण्ड पम्प योजना के अतिरिक्त पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

1–डा0 दिनेश जौहरी–

[दिनांक 18-2-86 को अता0 प्र0 सं0 130 द्वारा उत्तरित]

पं0 गोविन्द बल्लभ पंत चिकित्सालय, नैनीताल को बन्द करने का कथित प्रस्ताव

2–श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नैनीताल स्थित पं0 गोविन्द बल्लभ पंत चिकित्सालय को बन्द करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

साधन सहकारी समिति, अलादादपुर, बहराइच के सचिव द्वारा की गई कथित अनियमितता की जांच

3–श्री मयंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के तजवापुर विकास क्षेत्र में अलादादपुर साधन सहकारी समिति पर वहां के सचिव द्वारा किसानों के नाम से फर्जी ऋण हड़प करने तथा अन्य धांधलियों के विरोध में साधन सहकारी समिति के मुख्यालय पर वर्ष 1986 में अनशन किया गया था, जिस पर मजिस्ट्रेट की जांच बैठायी गयी थी? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या मिले तथा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां। अभी जांच हो रही है।

4–श्री विष्णु देव–

[दिनांक 9-9-86 को अता0 प्र0 सं0 159 द्वारा उत्तरित]

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 सुल्तानपुर के सचिव तथा अध्यक्ष के विरुद्ध कथित आरोप पत्र की जांच

5–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0 के सचिव श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव तथा अध्यक्ष श्री हरीश त्रिपाठी के विरुद्ध माह मई, 1985 से माह अगस्त, 1986 तक कितने शिकायती-पत्र भण्डार के

व्यक्तिगत सदस्यों, जनपद के विधायकों तथा भण्डार के संचालक मण्डल के सदस्यों के माध्यम से शासन को प्राप्त हुए हैं जिसमें घोर भ्रष्टाचार, धन दुरुपयोग, अनियमित नियुक्तियां, नियम विरुद्ध सामानों की सप्लाई संस्थानों को किया जाना आदि गंभीर शिकायतें की गयी हैं? क्या उस पर जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, 5 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, सुल्तानपुर के सचिव तथा अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव, सचिव, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार सुल्तानपुर का प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर स्थानान्तरण

6–श्री गौरी शंकर भइया–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव, सचिव, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार जनपद सुल्तानपुर में ए0 डी0 ओ0 सहकारिता के पद पर 6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत रहे जिस बीच इनका ट्रान्सफर बाराबंकी व फैजाबाद किया गया जो निरस्त कर दिया गया और इसके बाद श्रीवास्तव इसी जनपद में प्रतिनियुक्ति पर भण्डार में 1-2-85 से नियुक्त हो गये, इस प्रकार श्रीवास्तव लगभग 8 वर्षों से इसी जनपद में कार्यरत हैं? यदि हां, तो विभागीय नियम के अनुसार सहकारी अधिकारी की एक जनपद में 5 वर्ष से अधिक की सेवा की छूट दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी श्रीवास्तव के अविलम्ब स्थानान्तरण का आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव, सचिव, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0, सुल्तानपुर भण्डार में प्रतिनियुक्ति पर आने से पूर्व सुल्तानपुर जनपद में सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पद पर 6 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रहे। इसी बीच श्री श्रीवास्तव का बाराबंकी, गोण्डा व फैजाबाद को किया गया स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया था बल्कि स्थगित किया गया था।

जनपद सुल्तानपुर से कार्यमुक्त होने के पूर्व श्री श्रीवास्तव की सेवायें संवर्ग प्राधिकारी उ0 प्र0 उपभोक्ता भण्डार केन्द्रीयित सेवा लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर ले ली गयीं और संवर्ग प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0, सुल्तानपुर में सचिव पद पर श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति कर दी गयी। श्री श्रीवास्तव 1-2-85 से उक्त पद पर कार्यरत हैं। प्रतिनियुक्ति पर चले जाने से श्री श्रीवास्तव की सेवायें सरकारी नहीं रही।

श्री श्रीवास्तव का सुल्तानपुर जनपद से फैजाबाद जनपद के लिए स्थानान्तरण नियमानुसार 5 वर्ष की अवधि के बाद कर दिया गया था। जनपद सुल्तानपुर में श्री श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना सरकारी सेवा में नहीं आती है। प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद श्रीवास्तव का स्थानान्तरण किया जायेगा।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोगोपचार एवं बीमारियों की रोकथाम पर औसत खर्च

7–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत कितनी धनराशि प्रतिवर्ष रोगोपचार पर खर्च की जा रही है और कितनी धनराशि प्रति व्यक्ति औसत बीमारियों की रोकथाम पर खर्च हो रही है? क्या यह सही है कि यह राशि उ0 प्र0 के निवासियों के औसत स्वास्थ्य को देखते हुए अपर्याप्त है ? क्या इसको बढ़ोत्तरी पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

रुपया 6.22 की राशि प्रति व्यक्ति औसत रोगोपचार पर रु0 5.14 की राशि प्रति व्यक्ति औसत बीमारियों की रोकथाम पर खर्च की जा रही है।

जी हां। प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में इसको बढ़ाने के लिए शासन प्रयत्नशील है।

श्री डब्लू0 एच0 फारुखी, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय रायबरेली का न्यायालय में जमा किराया

8–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी श्री डब्लू0 एच0 फारुखी, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय रायबरेली किन परिस्थितियों में फायलेरिया कार्यालय में बिना किराया दिये रहते हैं? क्या यह सही है कि उक्त श्री फारुखी को किराया भत्ता मिलता है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री डब्लू0 एच0 फारुखी जिस मकान के हिस्से में रहते हैं उसमें फाइलेरिया कार्यालय नहीं है, मलेरिया कार्यालय उसी मकान के शेष दो तिहाई हिस्से में है। वह किराया न्यायालय में जमा करते हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के विरुद्ध भवन निर्माण के सम्बन्ध में कथित शिकायत

9–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मुंशीगंज जनपद रायबरेली का लगभग 29,000/- रु0 मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली द्वारा वर्ष 1986-87 में गैर कानूनी एवं मनमाने ढंग से खर्च किया गया है जबकि चिकित्सालय भवन जो कमेटी द्वारा निर्मित है, का स्थानान्तरण अभी तक न हो सका है ? यदि हां, तो उक्त पैसे का दुरुपयोग करने वाले उक्त मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986-87 में उक्त भवन निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनाज की भण्डारण क्षमता एवं वर्तमान उपलब्धता

10–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भण्डारागार निगम तथा अन्य स्रोतों से कितना अनाज रखने की व्यवस्था है और कितना अनाज रखने को सरकार को आवश्यकता पड़ती है ? इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रदेश में लगभग 25 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता की आवश्यकता का अनुमान है जिसके विरुद्ध वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, खाद्य-रसद विभाग और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा संचालित भण्डारगृहों में कुल 18,78,861·10 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में 11,38,000 मीटरी टन क्षमता के निर्माण का लक्ष्य है ।

11–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[करण सं0 26(1) के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद में प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों को परिवार कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति तथा किए गए नसबन्दी कार्य का विवरण

12–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के किन-किन प्राइवेट अस्पतालों एवं नर्सिंग होमों को वर्ष 85-86 एवं 86-87 में दिनांक 31 जनवरी, 1987 तक परिवार कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई ? इनमें अलग-अलग कितने केस किए गए ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में 31-1-1987 तक निम्नांकित प्राइवेट अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स को परिवार कल्याण कार्यक्रम आयोजित

करने की अनुमति दी गई तथा उनके द्वारा किए गए नसबन्दी कार्य का विवरण वर्षवार उनके सम्मुख अंकित है :–

प्राइवेट अस्पताल एवं नर्सिंग होम का लाभ	वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के किये गये कार्य का विवरण			
	वर्ष 1985-86		1986-87	
	पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी	पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी
1–सचान नर्सिंग होम	85	137	27	47
2–चिरंजीव नर्सिंग होम	–	–	–	–
3–इलाहाबाद नर्सिंग होम	–	17	–	–
4–विजय क्लीनिक	–	218	–	469
5–निगम नर्सिंग होम	5	14	5	56
6–त्रिवेणी नर्सिंग होम	14	–	–	–
वर्ष 1986-87				
1–अमर नर्सिंग होम	–	–	42	54
2–देवेश नर्सिंग होम	–	–	–	–
3–आदर्श नर्सिंग होम	–	–	–	–
4–जायसवाल नर्सिंग होम	–	–	–	–

भारतीय सैन्य सेवा का लाभ सिविल सर्विस पी0 एम0 एस0 में कार्यरत अधिकारियों को दिये की मांग

13–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान लखनऊ द्वारा लखनऊ सर्विस पी0 एम0 एस0 में कार्यरत अधिकारियों को देने के लिए भारत सरकार के प्रदेश सरकार को कब-कब व कौन आदेश हुए हैं ? उक्त आदेशों का लाभ प्राप्त करने के लिए पी0 एम0 एस0 सेवा में कार्यरत कितने डाक्टरों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और अब तक उनकी सैन्य सेवाओं का लाभ उनको क्यों नहीं प्राप्त हो सका है ? क्या कुछ ऐसी भी दरख्वास्तें हैं जिन पर स्वास्थ्य मंत्री एवं वित्त मंत्री के आदेश वर्ष 1980 से 1985 के बीच हो भी चुके हैं ? यदि हां, तो किन-किन डाक्टरों के ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जल संस्थान, लखनऊ द्वारा ठेकेदार के असंतोषजनक कार्य पर बिल भुगतान में विलम्ब

14–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान लखनऊ द्वारा लखनऊ शहर के मोहल्ले, छितवापुर, ए0 पी0 सेन रोड, मवइया, मकबूलगंज, हिवेट रोड, हुसैनगंज, लाटूश रोड, अमीनाबाद, राजाजीपुरम्, अलीगंज, निशातगंज तथा महानगर में पुराने जल आपूर्ति के कनेक्शनों में प्राइवेट लाइसेंसदार प्लम्बरों (ठेकेदारों) से माह

जून/जुलाई, 1985 में ठेके पर मीटर लगवाये थे ? यदि हां, तो कुल कितने मीटर लगवाए गए ? क्या इन ठेकेदारों को उपरोक्त कार्यों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? मंत्री जी इन ठेकेदारों का भुगतान कब तक करायेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

लखनऊ जल संस्थान द्वारा ठेके पर 579 जल संयोजनों में 3 लाइसेंस प्राप्त प्लम्बरों (ठेकेदारों) के माध्यम से मीटर लगाए गए थे । इनमें से दो लाइसेंस प्लम्बरों (ठेकेदारों) के बिलों का भुगतान कर दिया गया है किन्तु एक लाइसेंस प्लम्बर (ठेकेदार) का कार्य अपूर्ण एवं असन्तोषजनक होने के कारण अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया गया है । संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यों को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करायें ताकि उसके संबंधित बिल के भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाय ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण आदेश

15–श्री शारदा प्रताप–

श्री बलराम यादव द्वारा पूछे गए प्रथम सत्र 1986 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री उत्तर में उल्लिखित पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी आदेश प्रशासनिक आधार पर हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर (आगरा) की कतिपय मलिन बस्तियों की सुधार योजना

16–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के ग्राम पुनरायच टेढ़ी बगिया, जीवन नगर, नगला रामबल, नगला मोहन, मोलई मोहम्मदपुर, साहगरा, छलेसर आदि गांव नगर महापालिका आगरा में आते हैं और यह हरिजन एवं पिछड़ी जाति बाहुल आबादी के हैं ? यदि हां, तो मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत खरंजा बिजली पानी सफाई आदि के नाम पर अब तक क्या कार्य किया गया ? क्या मंत्री जी इन ग्रामों में पानी पीने के नल, बिजली सफाई, खरंजा आदि कराने की व्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इन क्षेत्रों में अभी तक नगर महापालिका द्वारा मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया जा सका है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1987-88 में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पुनरायच में खरंजा, नाली, मार्ग प्रकाश एवं पानी की लाइन की व्यवस्था हेतु रु0 42,57,028 का प्राविधान है और इन कार्यों के हेतु निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं । ग्राम

शहदरा तथा नगला बिहारी, मंजरा मोलई मुहम्मदपुर में क्रमशः मार्ग प्रकाश व्यवस्था तथा खरंजा का कार्य भी प्रगति पर है। 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण भी हो चुका है।

आजमगढ़ की टाउन एरिया जीयनपुर की टूरिंग टाकीज से अवशेष कर की वसूली

17–श्री राम जनम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टाउन एरिया जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ में सन् 1980 से आज तक चल रहे चल चित्र गृह पर लगभग 22,000 (बाइस हजार) रुपए कर के रूप में अवशेष है ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त धनराशि की वसूली किस अधिकारी की लापरवाही के कारण नहीं हुई ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी अधिकारी के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही करेगी और अवशेष की वसूली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया जीयनपुर में वर्ष 1981 से टूरिंग टाकीज चल रहा है। इस पर जनवरी, 1982 से आरोपित लाइसेंस शुल्क का 825 रुपए और गृहकर, व्यापार व्यवसाय आजीविका कर का रुपए 500 अवशेष है। वर्ष 1986 में टाउन एरिया द्वारा टूरिंग टाकीज पर 5 रुपए प्रति शो की दर से लगाया गया कर रुपए 20,040 अवशेष है, जिसके संबंध में टूरिंग टाकीज के प्रबन्धक ने आपत्ति प्रस्तुत की है, जिसके निस्तारण की कार्यवाही टाउन एरिया द्वारा अग्रसर है।

धनराशि की वसूली न होने हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र प्रबन्धक जमुनाबाद (खीरी) द्वारा रोकड़ बही में की गई अनियमितताओं की जांच

18–श्री मूल चन्द–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1986 के दौरान लखनऊ मण्डल के भू0 पू0 लेखाधिकारी ने राजकीय कृषि फार्म जमुनाबाद (खीरी) की कैश रसीदों पर धोखाधड़ी से सरकारी धन व्यवहरन का मामला अपनी चैकिंग में पाया था और उनके हस्ताक्षरों वाली रसीदें रोकड़ बही आदि स्थानान्तरण के समय वहां के तत्कालीन मैनेजर ने बदल दिया था ? यदि हां, तो उक्त मैनेजर के विरुद्ध चल रही जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1986 में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र जमुनाबाद (खीरी) में गेहूं की नीलामी की कैश रसीद न काटने उसे रोकड़ बही में न लेने तथा रसीद में हेर फेर करने आदि की अनियमितताएं प्रकाश में आई थीं। प्रक्षेत्र प्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 26-5-87 द्वारा कृषि निदेशक को उपलब्ध कराई गई है। जांच आख्या पर यथोचित निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र जमुनाबाद (खीरी) द्वारा की गई नीलामियों की धनराशि में कथित शासकीय क्षति

19–श्री मूल चन्द—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जुलाई, 1986 से फरवरी, 1987 तक राजकीय कृषि प्रक्षेत्र जमुनाबाद पर विभागीय नीलामियों में कुल कितने रुपये की शासकीय क्षति हुई है, उसके लिये कौन दोषी है और हानि की प्रतिपूर्ति किस प्रकार से की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

राजकीय बीज सम्वद्धर्न प्रक्षेत्र, जमुनाबाद, खीरी पर माह जुलाई, 1986 फरवरी, 1987 तक की गयी विभागीय नीलामियों में कुल 3,96,766 48 रु0 की धनराशि प्राप्त हुयी । नीलामियों से कोई शासकीय क्षति नहीं हुयी । अतः किसी के दोषी होने अथवा हानि की प्रतिपूर्ति कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की नीति के विरुद्ध कृषि विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति

20–श्री मूल चन्द—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के विरुद्ध इस समय कृषि विभाग के कौन-कौन अधिकारी अपने गृह मण्डल, गृह जनपद अथवा पुनः तैनाती स्थान पर कार्यरत हैं और क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एटा-मूंग क्रय के मामले में श्री तारा सिंह के विरुद्ध नवीनतम जांच आख्या पर निर्णय

21–श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक (कृषि) बरेली ने एटा-मूंग क्रय के मामले में एक बार अपनी रिपोर्ट में श्री तारा सिंह को वर्ष 85-86 में दोषी बताते हुये कृषि निदेशक को लिखा था तथा अपनी दूसरी रिपोर्ट में पुनः उक्त अधिकारी को दोष-रहित माना था ? यदि हां, तो कौन सी रिपोर्ट सही है तथा दो प्रकार की आख्या के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जांच अधिकारी की प्रथम रिपोर्ट में कुछ कमियां होने के कारण पुनः जांच कराई गई है । नवीनतम जांच आख्या पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षक, राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, मेरठ के विरुद्ध कथित आरोप

22–श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म मेरठ के अधीक्षक पद का वर्तमान धारक उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी का उक्त पद शासन द्वारा स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को लखनऊ व हरदोई जनपदों में लाखों

रुपयों की शासकीय क्षति करने के उपरान्त तथा विजिलेन्स जांच चलते रहते हुये भी उनकी नियुक्ति उस पद पर मेरठ में की गई और उनको निलम्बन के तीन माह के भीतर ही बहाल कर दिया ? क्या यह भी सही है कि खरीफ 1986 में धान की कटाई उन्होंने मेरठ कृषि अनुसंधान फार्म पर बिना क्राप्स कटिंग मनमाने ढंग से करा ली है ? उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अधीक्षक, राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, मेरठ का पद वर्ग-2 का है किन्तु वर्तमान में वर्ग-3 का पदधारी उक्त पद पर तैनात है ।

अधीक्षक, राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, मेरठ के पद पर वर्तमान में नियुक्त कर्मचारी कभी लखनऊ में तैनात नहीं रहा । वह फार्म अधीक्षक के पद पर हरदोई में तैनात रहा किन्तु उनके विरुद्ध शासकीय क्षति का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । उसके विरुद्ध विजिलेन्स जांच का भी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । वह कभी निलम्बित नहीं किया गया अतः बहाली का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

खरीफ 1986 फसल की कटाई उपकृषि निदेशक-कम प्रभारी अधिकारी, मेरठ के आदेशानुसार क्राप कटिंग के बाद की गई, अतः फार्म अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 रनवीर सिंह का लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित किए जाने का विवरण एवं पी0-एच0 डी0 के सम्बन्ध में रिट याचिका

23—श्री रमाकान्त यादव—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में कार्यरत हुये डा0 रनवीर सिंह को वर्ष 1970 से अब तक कब-कब लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित किया गया तथा कितने महीने पश्चात् प्रत्येक बार उनके स्थानान्तरण को निरस्त कर दिया गया तथा निरस्तीकरण के क्या कारण रहे हैं ? क्या इस अधिकारी ने श्रेणी-2 में कार्यरत रहते हुये जाली पी0 एच0 डी0 डिग्री ग्रहण की ? आगे कितने वर्षों तक इन्हें लखनऊ में ही तैनात रखा जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

डा0 रनवीर सिंह अराजपत्रित पद पर दिनांक 1-1-68 से 9-7-76 तक लखनऊ में तैनात रहे । दिनांक 10-7-76 से राजपत्रित पद पर तैनाती के पश्चात लखनऊ जनपद से बाहर उनका तीन बार स्थानान्तरण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:—

1—आदेश दिनांक 8-11-77 द्वारा हमीरपुर जनपद में ।
2—आदेश दिनांक 31-7-81 द्वारा गाजीपुर जनपद में ।
3—आदेश दिनांक 30-6-83 द्वारा झांसी जनपद में ।

उपर्युक्त में से केवल गाजीपुर जनपद के स्थानान्तरण आदेश 31-7-86 को शासनादेश दिनांक 25-8-86 द्वारा निरस्त किया गया था। शेष स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन किया गया है । श्री सिंह को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी0 एच0 डी0 की उपाधि प्रदान की गयी और उन्हीं की निशप्ति दिनांक 5-2-80 द्वारा वापस ली गयी

जिसके विरुद्ध श्री सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय से रिट याचिका दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । श्री सिंह का इस वर्ष लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जनपद सीतापुर में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र मुद्रासन पर स्वीकृत आगणन के अनुसार निर्माण कार्य भुगतान

24—श्री रमाकान्त यादव—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी श्री शशि भूषण त्रिपाठी ने उक्त जनपद के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र मुद्रासन व जलालपुर के निर्माण कार्यों में दरारें पड़ने एवं घटिया सामान लगाने पर भी इन्जीनियर के सत्यापन की रिपोर्ट के बिना सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान दे दिया है ? यदि हां, तो क्या शासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सीतापुर जनपद के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र मुद्रासन पर निर्माण कार्य ने स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य किया गया तथा किये गये कार्य का भुगतान मण्डलीय सहायक कृषि अभियन्ता (प्रसार) के सत्यापन के उपरान्त किया गया ।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, जलालपुर, के निर्माण कार्य का भुगतान, यांत्रिक सहायक एवं वरिष्ठ यांत्रिक सहायक की रिपोर्ट पर किन्तु मण्डलीय सहायक कृषि अभियन्ता (प्रसार) के सत्यापन के बिना, जिला कृषि अधिकारी सीतापुर श्री शशिभूषण त्रिपाठी ने किया। मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मेडिकल कालेज मेरठ के लिए जनरेटर प्राप्त कराने की तिथि एवं उपयोग

25—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज मेरठ में आपरेशन थियेटर के लिए जनरेटर कब क्रय किया गया था और उसकी क्रय धनराशि क्या थी एवं इस जनरेटर का उपयोग न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मेडिकल कालेज, मेरठ के आपरेशन थियेटर में एक जनरेटर सार्वजनिक निर्माण विभाग से दिनांक 26 अक्टूबर, 1979 को हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त हुआ था जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार बराबर किया जा रहा है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ, मेडिकल कालेज में दन्त विभाग को आवन्टित धन

26—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मेडिकल कालेज में दन्त विभाग को पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना अनुदान दिया गया ? क्या यह सही है कि दिया गया अनुदान, पब्लिक हेल्थ सैन्टर के अनुपात में भी कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मेडिकल कालेज, मेरठ के दन्त विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिछले 3 वर्षों में निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई :—

वर्ष	रुपये
1984–85	3,000
1985–86	2,095
1986–87	1,845

राजकीय मेडिकल कालेजों के विभागों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से तुलना करना सुसंगत नहीं है ।

किसानों को दिये गये अल्पकालीन ऋण पर फसल बीमा योजना एवं मुआविजा

27–श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को दिये जाने वाले अल्प कालीन ऋण पर फसल बीमा की किश्त अनिवार्य रूप से काटी जाती है? यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में किसानों को उनकी फसल हानि पर फसल बीमा से लाभ मिल पाता है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत धान, गेहूं व मोटे अनाज सहित दलहनी, तिलहनी फसलों के लिए दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण का बीमा किये जाने का प्राविधान है। योजनानुसार इन फसलों के लिए प्राप्त किये गये अल्पकालीन ऋण पर फसल बीमा की किश्त अनिवार्य रूप से काटे जाने का प्राविधान है।

प्रत्येक क्षेत्र के लिए फसल विशेष की गत पांच वर्षों की औसत उपज के आधार पर थ्रेशओल्ड उपज निर्धारित की जाती है। यदि वर्ष विशेष में किसी क्षेत्र में फसल विशेष की वास्तविक औसत उपज थ्रेशओल्ड उपज से कम आती है तो जिस अनुपात में यह कमी आती है उस अनुपात में किसानों को मुआविजा का लाभ दिया जाता है।

28–दीप चन्द्र सोनकर–

[2रे सोमवार के अता0 प्र0सं0 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जनपद के कतिपय विकास खण्डों में चावल विकास योजना के तहत जल निकासी हेतु धन का आवंटन

29–श्री हर्ष वर्धन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपनिदेशक कृषि गोरखपुर, मण्डल गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या 6046/निर्माण (विभिन्न) (योजना) दिनांक 21 फरवरी, 1986 द्वारा गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड फरेन्दा, बृजमनगंज, एवं लक्ष्मीपुर में चलने वाली धान की आगामी विकास योजना के सन्दर्भ में परियोजनाधिकारी कृषि, गोरखपुर को पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो पत्र के तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

संदर्भित पत्र में माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र के आधार पर उप कृषि निदेशक गोरखपुर ने परियोजना अधिकारी, गोरखपुर को यह निर्देश दिए कि विकास खण्ड फरेंदा, बृजमनगंज एवं लक्ष्मीपुर चावल विकास योजना के अन्तर्गत है, जिनमें जल निकासी हेतु धन का प्राविधान उनको किया जा चुका है। माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 11-2-86 का संदर्भ देते हुए उन्हें सुझाव के अनुसार यह निर्देश दिए कि संदर्भित क्षेत्रों में बहने वाले बवह नाला के दोनों ओर बोरो धान की खेती को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 5 कि0मी0 तक की सफाई के लिए गंडक समादेश के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही कृत कार्यवाही से उप निदेशक (कृषि) एवं माननीय सदस्य विधान सभा को भी अवगत कराने की भी व्यवस्था करें। वर्ष 1985–86 में योजना के अन्तर्गत नाले की सफाई हेतु कोई प्राविधान एवं धन का आवंटन न होने के कारण सफाई नहीं की जा सकी।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका छिबरामऊ (फर्रुखाबाद) का स्थानान्तरण

30–श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-8-85 जिसकी प्राप्ति पत्र संख्या 3083/बी0 आ0 ई0 पी0 रा0 मं0 नं0 वि0/85 दिनांक 9-8-85 द्वारा स्वीकार की गई थी, पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका छिबरामऊ को कार्यालय आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 1985 द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय नगर पालिका छिबरामऊ (फर्रुखाबाद) में आग लगने से नष्ट हुए अभिलेखों का विवरण एवं जांच कार्यवाही

31–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 मार्च, 1982 को कार्यालय न0 पा0 छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में आग लगी थी ? यदि हां, तो इस घटना में पालिका के किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कौन-कौन अभिलेख व सम्पत्ति नष्ट होना बताया गया था ? क्या इसकी जांच अ0 जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो यह जांच किस स्तर पर है तथा कब तक पूर्ण होगी एवं जांच पत्रावली तथा क्षति विवरण किस अधिकारी के पास है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। नगर पालिका के नष्ट हुये अभिलेख व सम्पत्ति के विवरण जो प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये हैं, संलग्न हैं। जी हां, उक्त जांच अपर जिलाधिकारी द्वारा की गयी है। जांच पूर्ण कर ली गई है तथा जांच के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 94-95 पर)

साधन सहकारी समिति लि0 पिपरा मैनतापुर विकास खण्ड सांधा जनपद बस्ती के विरुद्ध अनियमितता की जांच

32–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या कृषि मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-3-86 जो साधन सहकारी समिति लि0 पिपरा मैनतापुर विकास खण्ड सांधा जनपद बस्ती द्वारा 1 नवम्बर, 85 से 3 फरवरी, 86 तक सीमान्त एवं लघु कृषकों को वितरित किये गये उर्वरक में घोर अनियमितता से सम्बन्धित उसकी जांच कराने हेतु था, 14 मार्च, 1986 से 1 अप्रैल, 1986 के बीच में प्राप्त हुआ है और जिसे मंत्री जी ने सचिव कृषि विभाग को जांच कराने हेतु भेजा था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा जांच करायी गयी? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच किया और जांच आख्या क्या है?

श्री अरूण कुमार सिंह–

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-3-86 जिसमें साधन सहकारी समिति लि0 पिपरामैनतापुर विकास खण्ड सांधा, जनपद बस्ती के सचिव द्वारा माह जनवरी/फरवरी में जो अनुदान की खाद पी0सी0एफ0 के बस्ती गोदाम से उठाई गयी थी, के वितरण में घोर अनियमितता से सम्बन्धित था, 14-3-86 को जांच हेतु प्राप्त हुआ जिसे सचिव कृषि को जांच हेतु भेजा गया था। कृषि विभाग द्वारा जांच करायी गयी। उक्त जांच श्री एच0एन0पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी, विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, गोरखपुर क्षेत्र ने की। जांच में पाया गया कि श्री रविन्द्र नाथ सिंह, सचिव ने रु0 55,651·30 पैसे की खाद का फर्जी वितरण दिखाया था।

जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका छिबरामऊ के कर्मचारियों के भविष्य निधि के संबंध में अनियमितता के आरोप का परीक्षण

33–श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका छिबरामऊ में कर्मचारियों की भविष्य निधि से पैसा निकाल कर लगभग तीन लाख रुपया के राष्ट्रीय बचत पत्र वर्ष 1985–86 में खरीदे गये? यदि हां, तो क्या प्रत्येक कर्मचारी का भविष्य निधि से ऋण प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत आवेदन पत्र हैं और क्या नियमानुसार अधिशासी अधिकारी की आख्या पर प्रभारी अधिकारी व प्रशासक से ऋण स्वीकृत हैं? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र किन-किन तिथियों के हैं तथा अधिशासी अधिकारी की आख्या किस तारीख की है व प्रभारी अधिकारी व प्रशासक द्वारा किस-किस तिथि को आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त राष्ट्रीय बचत पत्र पोस्टमास्टर से न खरीद कर व्यक्तिगत एजेन्ट से खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

मामले का परीक्षण कराया जा रहा है।

सेवा निवृत्त श्री कृष्ण प्रसाद सिंह सिफ्ट इन्चार्ज वाटर वर्क्स अमानीगंज फैजाबाद के देय धन की भुगतान व्यवस्था

34–श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्णा प्रसाद सिंह, सिफ्ट इंचार्ज वाटर वर्क्स, अमानीगंज, जिला फैजाबाद का दिनांक 31-12-1981 को रिटायरमेंट हुआ? यदि हां, तो क्या उक्त अवकाश प्राप्त कर्मचारी को रिटायरमेन्ट के पश्चात् फण्ड, ग्रेच्युटी, बीमा आदि का धन दे दिया गया और क्या उक्त व्यक्ति को पेंशन दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन कब तक अवकाश प्राप्त कर्मचारी को फण्ड ग्रेच्युटी बीमा आदि की धनराशि प्रदान कर देगा तथा पेंशन कब तक दे दी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। फण्ड का अन्तिम भुगतान दिनांक 10-3-87 को किया जा चुका है बीमे का दावा, बीमा कम्पनी के स्तर पर विचाराधीन है जिसका निस्तारण शीघ्र होने की आशा है। उस समय पालिका कर्मचारियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य नहीं थी, अतः उक्त कर्मचारी को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किया जाना संभव नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

35–श्री शारदा प्रताप–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर महापालिका गोरखपुर द्वारा दुकानों के आवंटन में बरती गई अनियमितता की जांच आख्या

36–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 8-4-86 को नगर महापालिका गोरखपुर द्वारा दुकानों के आवंटन में घोर अनियमितता बरतने सम्बन्धी पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या इस संदर्भ में जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा क्या मंत्री जी उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

जी हां।

प्रशासक, नगर महापालिका गोरखपुर से प्राप्त जांच आख्या संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 96 पर)

जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया गोसाईगंज के कतिपय मोहल्लों के सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग

37–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया गोसाईगंज के गोसाइगंज तथा कटरा मोहल्लों में सार्वजनिक शौचालयों की हालत बहुत ही दयनीय है जिससे उक्त मुहल्लों के नागरिकों विशेषकर महिलाओं को बड़ा कष्ट है और गन्दगी के कारण बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है ? क्या यह सही है कि

उक्त शौचालयों का निर्माण बहुत ही घटिया स्तर का कराया गया है? यदि हां, तो पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने तथा जनहित में प्रश्नगत शौचालयों का नये सिरे से शीघ्र निर्माण कराने में शासन को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, शौचालयों की स्थिति ठीक नहीं है।

जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया कमेटी, गोसाईगंज के मोहल्ला कटरा के शौचालय का निर्माण काफी पूर्व में हुआ था जिसका निर्माण घटिया स्तर का होने का प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु वर्ष 85 में निर्मित गोसाईगंज के महिला शौचालय के निर्माण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पायी गयी है जिसकी जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा टाउन एरिया कमेटियों को शौचालयों के निर्माण हेतु सामान्यत: किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। शौचालयों के निर्माण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व टाउन एरिया कमेटी, गोसाईगंज का है।

जनपद उन्नाव के पुरवा पी0 एच0 सी0 के उच्चीकरण का प्रस्ताव

38–हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा पी0 एच0 सी0 के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस केन्द्र के उच्चीकरण का कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है ? क्या इसी तहसील की पी0 एच0 सी0 हिलौली का भवन गत कई साल से बन रहा है ? यदि हां, तो उसे कब तक बन जाना चाहिए था और समय पर न बन सकने में मुख्य बाधायें क्या हैं ?

जी नहीं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

भवन पूर्ण है जिसमें कतिपय त्रुटियां हैं। इनका निराकरण किया जाना है।

उन्नाव शहर के लिए जल निगम द्वारा ड्रेनेज व्यवस्था लागू करने में धनाभाव के कारण विलम्ब

39–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव शहर के लिए क्या कोई ड्रेनेज व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि जल निगम अथवा किसी अन्य अधिकरण ने कोई ड्रेनेज और सीवेज योजना बनाई थी? यदि हां, तो उक्त ड्रेनेज योजना क्यों नहीं लागू की गई?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जल निगम द्वारा वर्ष 1986 में नालों के एक हिस्से को पक्का करने तथा नालों की मरम्मत एवं सुधार हेतु क्रमशः रु0 5 लाख तथा रु0 62 लाख के पूर्वानुमान तैयार किये गये हैं।

धनाभाव के कारण योजना लागू नहीं की जा सकी ।

श्री राम नारायण सिंह, तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी, वाराणसी को शिकार करने के आरोप में चेतावनी

40—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 25 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी, जनपद वाराणसी (श्री राम नारायन सिंह) जनपद मिर्जापुर के जरगी बांध पर सरकारी जीप द्वारा चिड़ियों का शिकार करते हुए पकड़े गये थे जिसकी जांच तत्कालीन उप निदेशक, कृषि श्री एस0 एन0 सिंह ने की थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम नारायण सिंह, तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी, वाराणसी दिनांक 25-12-81 को जरगी बांध, जिला मिर्जापुर में शिकार करते हुए पकड़े गये थे। यह जांच श्री एस0 पी0 सिंह, तत्कालीन उप कृषि निदेशक, वाराणसी द्वारा की गयी थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री सिंह इस मामले में आंशिक रूप से सम्बद्ध होने के दोषी पाये गये जिसके फलस्वरूप उन्हें चेतावनी दी गई।

श्री राम नारायण सिंह को उप निदेशक कृषि रक्षा, लखनऊ के पद पर नियमित प्रोन्नति

41—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान उपनिदेशक, कृषि रक्षा उ0 प्र0 लखनऊ (श्री राम नारायन सिंह) गोरखपुर जनपद में कब जिला कृषि रक्षा अधिकारी थे? क्या वे जनपद गोरखपुर में अपने कार्यकाल में क्षति दुर्विनियोग गबन आदि करने के आरोप में निलम्बित हुए थे ? यदि हां, तो श्री सिंह को बिना दोष मुक्त किये उनकी प्रोन्नति उपनिदेशक, कृषि रक्षा के पद पर करने का क्या कारण है इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री राम नारायण सिंह, तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी, गोरखपुर जनपद में दिनांक 16-1-70 से 30-6-75 तक कार्यरत रहे। श्री सिंह दिनांक 26-8-72 द्वारा निलम्बित किये गये और शासनादेश दिनांक 31-12-73 द्वारा उन्हें पदारूढ़ किया गया उन्हें एक चेतावनी दी गई तथा शासनादेश दिनांक 25-2-77 द्वारा निलम्बन अवधि को ड्यूटी पर मानते हुए देय वेतन दिया गया श्री सिंह की श्रेणी-1 में पदोन्नति वर्ष 1984 में चयन समिति की संस्तुति पर उपयुक्त पाए जाने पर की गई। इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

श्री अशर्फी लाल, प्रयोगशाला प्राविधिक, प्रसूति गृह रेडक्रास, कैसरबाग, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

42–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रसूति गृह रेडक्रास, कैसरबाग, लखनऊ में कार्यरत श्री अशर्फी लाल, प्रयोगशाला प्राविधिक के विरुद्ध मा0 विधायकगण कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह, डा0 दिनेश जौहरी का दिनांक 5 सितम्बर, 1986 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रसूति गृह, रेडक्रास, कैसरबाग, लखनऊ में कार्यरत श्री अशर्फी लाल, प्रयोगशाला प्राविधिक के विरुद्ध मा0 विधायकगण कुमार मानवेन्द्र सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह व डा0 दिनेश जौहरी का दिनांक 5 सितम्बर, 1986 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में जांच कराई गई। आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। शिकायती पत्र दिनांक 5-9-1986 की प्रतिलिपि संलग्न है।

श्री अशर्फी लाल का स्थानान्तरण पहले उन्नाव के लिये किया गया था, परन्तु उन्होंने उस पर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 97 पर।)

जनपद बाराबंकी की कतिपय साधन सहकारी समितियों के निलम्बित सचिवों की कार्य स्थिति

43–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की साधन सहकारी समिति खेवयी, फतेहपुर खती बहार, मंधवा जलालपुर, कोतवाधाम, चमरौली व किन्हौली के सचिव काफी समय से निलम्बित हैं ? क्या यह सही है कि इनसे समितियों का चार्ज नहीं लिया गया है और सहायक निबन्धक, बाराबंकी के मौखिक आदेश से काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त सचिवों के विरुद्ध क्या आरोप हैं और उनसे चार्ज क्यों नहीं लिया जा रहा है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रश्नगत सचिवों के निलम्बन की स्थिति निम्न प्रकार है —

क्र0सं0	साधन समिति का नाम	सचिव के निलम्बन की तिथि
1	खेवयी	24-4-86
2	फतेहपुर खतीबहार	7-2-86
3	मधवा जलालपुर	14-11-86
4	कोतवा धाम	19-6-86
5	चमरौली	8-7-86
6	किन्हौली	5-12-86

साधन समिति किन्हौली तथा खतीबहार के सचिवों का चार्ज हो गया है। साधन समिति मधवा जलालपुर का चार्ज हो रहा है। चमरौली तथा कोटवाधाम के सचिव फरार हैं उनका चार्ज नहीं हो सका है। साधन समिति खेवयी के सचिव को 26-3-87 को बहाल कर दिया गया है। जिला सहायक निबन्धक, बाराबंकी द्वारा निलम्बित सचिवों को कार्य करते रहने के मौखिक/लिखित निर्देश नहीं दिये गये थे ।

निलम्बित सचिवों के विरुद्ध क्षेत्र से फरार रहने, कार्य में रुचि न लेने, धन अपहरण तथा आर्थिक अनियमितताओं के आरोप हैं। निलम्बन काल में उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता है।

डा0 कीर्ति सिंह, कार्यवाहक कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद को आफिशिएटिंग एलाउन्स का नियमित भुगतान

44—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में डीन के पद पर वर्ष 1976 से कार्यरत डा0 कीर्ति सिंह ने कुलपति के अवकाश पर या बाहर रहने पर कार्यवाहक कुलपति का भी कार्य किया था ? यदि हां, तो क्या श्री सिंह द्वारा 10 प्रतिशत अनुमन्य प्रतिकर भत्ता के स्थान पर 20 प्रतिशत का अनियमित रूप से प्रतिकर भत्ता लेकर विश्वविद्यालय में हजारों रुपये की गम्भीर वित्तीय अनियमितायें की गयी हैं ? यदि हां, तो इस प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार प्रस्तावित करेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

डा0 कीर्ति सिंह नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में डीन के पद पर दिनांक 1-2-77 से कार्यरत हैं, न कि वर्ष 1976 से।

डा0 कीर्ति सिंह को प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन से कुलपति के कर्तव्यों का सम्पादन किये जाने पर मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से आफिसिएटिंग एलाउन्स का भुगतान किया गया, जो अनियमित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा किये गये विज्ञापन के उद्देश्य, माध्यम एवं व्यय विवरण

45—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 86 से दिसम्बर, 86 के मध्य आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में विज्ञापन के मद में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा किस महीने में किस प्रकार का विज्ञापन किन-किन समाचार पत्रों में किस उद्देश्य से दिया गया है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में जनवरी, 1986 से दिसम्बर, 1986 तक विज्ञापन में कुल रु0 98,401 व्यय किया गया। किस मांह में किस प्रकार का विज्ञापन किन-किन समाचार पत्रों में किन उद्देश्य से दिया गया, इसका विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 98-100 पर)

नगरपालिका भदोही (वाराणसी) में वर्कचार्ज में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध

46–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत नगर-पालिका भदोही में सन् 1973 से 32 ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जो शासन द्वारा पद सृजन की कार्यवाही न होने से नियमानुसार मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं? यदि हां, तो पद सृजन की कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं और कब तक पद सृजन की कार्यवाही होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। 34 ऐसे कर्मचारी नगर पालिका, भदोही में वर्ष 1972 से 78 के बीच की अवधि से कार्यरत हैं जिनके पद सृजित नहीं हैं।

नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगा होने तथा नगर पालिकाओं में कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करने की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण उक्त कर्मचारियों के लिए पदों का सृजन नहीं हो सका है। प्रतिबन्ध हटने एवं स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित हो जाने के पश्चात उक्त पदों के सृजन की कार्यवाही की जायेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दयानगर (बस्ती) में डाक्टर के रिक्त पद

47–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक डिस्पेंसरी दयानगर, विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती जो अब उच्चीकृत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया गया है, में डाक्टर का पद कब से रिक्त है और अब तक वहां डाक्टर न भेजे जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय एलोपैथिक डिस्पेंसरी, दयानगर, विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया गया है। इसमें डाक्टर का पद 1 जून, 1986 से रिक्त है। प्रदेश में चिकित्साधिकारियों की कमी के कारण अब तक वहां किसी डाक्टर की तैनाती नहीं की जा सकी है।

राजकीय महिला चिकित्सालय, खांसी (बस्ती) में लेडी डाक्टर के रिक्त पद

48–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला चिकित्सालय, खांसी, जनपद बस्ती के लेडी डाक्टर का पद कब से रिक्त है? इस पद को भरे जाने हेतु क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय महिला चिकित्सालय, बांसी, जनपद बस्ती में लेडी डाक्टर का पद दिनांक 21-8-86 से रिक्त है। शासन द्वारा जनपद बस्ती में दो महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी जिन्होंने अपनी योगदान रिपोर्ट अभी तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को प्रस्तुत नहीं की है जिस कारण उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

वाराणसी नगर महापालिका में लहरतारा को छोड़कर कतिपय अन्य वार्डों के लिए मुख्य सीवर बिछाने की योजना

49–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के वार्ड नं0 36, 37, 38, 39, 40 एवं लहरतारा में सीवर की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वाराणसी नगर महापालिका के वार्ड नं0 36, 37, 38, 39, 40 में मुख्य सीवर बिछाये जाने की एक योजना है।

धनाभाव के कारण लहरतारा क्षेत्र के लिये अभी कोई सीवर योजना नहीं बनाई गयी है।

आजाद सहकारी समिति लि0 बरेली के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच कार्यवाही एवं नये सचिव की नियुक्ति

50–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उन्हें आजाद सहकारी आवास समिति लि0 बरेली के कुछ सदस्यों द्वारा समिति में व्याप्त अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग के संबंध में दिनांक 27 मई, 1986 को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच क्षेत्रीय लेखाधिकारी से कराई गई और जांच से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनसे प्रशासक को अवगत कराते हुए उन पर आगे कार्यवाही करने के लिए दिनांक 19-2-87 को निर्देशित कर दिया गया है । समिति में सचिव के पद पर आदेश दिनांक 11-5-87 के द्वारा एक नया व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम दास चेक मैन, नगर भूमि सीमा रोपण विभाग, बरेली की सेवाकाल में मृत्यु पर उनके आश्रित की नियुक्ति

51–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राम दास जो कि नगर भूमि सीमा रोपण

विभाग, बरेली में चेकमैन पद पर कार्यरत थे, की एक दुर्घटना में दिनांक 7-3-86 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो उनके स्थान पर उनके पुत्र लक्ष्मन प्रसाद की नियुक्त दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

श्री लक्षमण प्रसाद की नियुक्ति कर दी गई है ।

सव0 श्री जगलाल, चपरासी नगरपालिका, बरेली द्वारा भरे गये घोषणा पत्रों के अनुसार आर्थिक लाभों का भुगतान

52–डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली स्थित नगर महापालिका में कार्यरत श्री जगलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का देहान्त दिनांक 19 मई, 1985 को हो गया था एवं उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री राधेलाल ने स्वयं की नियुक्ति एवं अपने स्व0 पिता की ग्रेच्युटी, प्रॉविडेन्ट फण्ड एवं अन्य लाभों के लिये आवेदन किया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री राधेलाल को अपने पिता के स्थान पर नियुक्ति दिलाने एवं समस्त लाभों का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां, । श्री राधे लाल ने सेवा में लिये जाने तथा अन्य आर्थिक लाभों के लिये आवेदन पत्र दिया था ।

मृतक श्री जगलाल ने अपने जीवन काल में ही दिनांक 28-2-85 को एक घोषणा पत्र भरा था जिसमें उन्होंने अपने दत्तक पुत्र श्री मुन्ना लाल व पौत्र श्री अशोक को अपने भविष्य निधि व वेतन आदि आर्थिक लाभ दिये जाने का उल्लेख किया था । उक्त परिस्थिति में श्री राधे लाल को उनके पिता के स्थान पर नियुक्ति दिलाने व अन्य लाभों का भुगतान करना सम्भव नहीं है ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा पोतरा कुण्ड के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत अनुदान

53–श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण पोतरा कुण्ड का जीर्णोद्धार कर रहा है ? यदि हां, तो शासन ने सर्वप्रथम जीर्णोद्धार हेतु अनुदान कब दिया था ? कुण्ड पर कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा अब तक की प्रगति क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

अनुदान की धनराशि जनवरी, 1986 में दी गई ।

जीर्णोद्धार का कार्य सितम्बर, 1986 में आरम्भ किया गया । लगभग सम्पूण कार्य कराया जा चुका है परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कुछ कार्य कराया जाना शेष है ।

मथुरा नगर पालिका से बाहर बनी कालोनियों को नगरपालिका में लेने सम्बन्धी प्रस्तावित पत्र

54–श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर बनी

कुछ कालोनियों के निवासियों ने इन को मथुरा नगरपालिका के अन्दर लेने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं जिनको जिलाधिकारी, मथुरा ने अपनी संस्तुति के साथ स्वीकृति हेतु शासन के पास भेजा है ? यदि हां, तो उन कालोनियों के नाम क्या हैं ? शासन अपनी स्वीकृति कब तक प्रदान कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जिलाधिकारी, मथुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय या नगरपालिका, मथुरा के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है और न उन्होंने शासन को भेजा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ की कतिपय तहसीलों में एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के यात्रा भत्ता सम्बन्धी बीजक का भुगतान

55—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 1985 के पांचवें गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 41 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में तह0 मुनस्यारी डीडीहाट व चम्पावत में दिनांक 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1983 के बीच सेवारत एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों में से किन-किन चिकित्साधिकारियों को उनके द्वारा नवम्बर, 1982 से 31 दिसम्बर, 1983 के बीच सेवारत अपने-अपने संबंधित उप मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में यात्रा भत्ता देय (बिल) यथाविधि यथा समय जमा करने के उपरान्त भी उल्लिखित देयों का भुगतान सरकार द्वारा 1नवम्बर, 1986 व 1 अप्रैल, 1987 तक नहीं किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील एवं मुन्स्यारी में दिनांक 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1983 के बीच सेवारत किसी एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी का यात्रा-भत्ता देयक (बिल) भुगतान हेतु शेष नहीं है ।

तहसील डीडीहाट में कार्यरत डा0 एच0 सी0 पाठक द्वारा नवम्बर, 1982 से 31 दिसम्बर, 1983 के मध्य की गई सरकारी यात्राओं के चार यात्रा देयकों का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है, जिसके सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नलकूप एवं सीपार्ड योजना के ट्यूब पम्पों की कथित असफलता एवं नीति बनाने की मांग

56—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम द्वारा प्रदेश में बनाये गये नलकूप एवं सीपार्ड योजना के ट्यूब पम्प 1-1-80 से अब तक असफल हुए हैं ? यदि हां, तो इससे शासन को कितनी वित्तीय हानि हुई है ? इस प्रकार की वित्तीय क्षति रोकने हेतु क्या शासन कोई नीति बनायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय में वर्क चार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं आरक्षण नीति

57—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम मुख्यालय में कुल कितने वर्कचार्ज अधिष्ठान के कर्मचारी कार्यरत हैं ? इन कर्मचारियों की नियुक्ति कब-कब और किस प्रक्रिया द्वारा की गयी ? क्या इन नियुक्तियों में अनु० जाति के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय में कुल-27 वर्कचार्ज अधिष्ठान के कर्मचारी कार्यरत हैं ।

इन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 1977 से 1986 के मध्य विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई ।

जी नहीं । वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित श्रेणी में न, होकर कार्य विशेष के लिए की गयी । अतः उसमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम में सेवा नियमावली बनने से पूर्व एवं बाद में कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदोन्नति की अलग-अलग नीति

58—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम प्रशासन ने जल निगम के गठन के पश्चात कुल कितने तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों को मुख्यालय सम्वर्ग में क्षेत्रीय सम्वर्ग से स्थानान्तरित किया है ? यह स्थानान्तरण किस नियम अथवा सेवा नियमावली के अन्तर्गत किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्रीय सम्वर्ग के मनचाहे कनिष्ठ कर्मचारियों को मुख्यालय सम्वर्ग में स्थानान्तरण कर पदोन्नति कर दी गई ? यदि हां, तो क्या वरिष्ठ कर्मचारियों को भी उसी तिथि से पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जल निगम के सृजन के पश्चात जल निगम प्रशासन कुल 42 तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों को क्षेत्रीय सम्वर्ग से मुख्यालय सम्वर्ग में स्थानान्तरित किया है ।

जल निगम के सृजन के समय निगम की कोई सेवा नियमावली नहीं थी । अतः मुख्यालय में कार्यों की अप्रत्याशित बृद्धि के कारण कार्यों को सुचारुरूप से सम्पादित करने हेतु तृतीय श्रेणी के कनिष्ठ पदों पर क्षेत्रीय संवर्ग के अनुभवी लिपिकों, जो मुख्यालय में निजी व्यय पर आना चाहते थे, बुला लिया गया । जल निगम की तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की वर्ष, 1981 में बनी सेवा नियमावली अनुमोदन निगम निदेशक मण्डल द्वारा किया जा चुका है इसके बाद से क्षेत्रीय सम्वर्ग से मुख्यालय में लिपिक वर्ग में कोई स्थानान्तरण नहीं किये गये ।

क्षेत्रीय संवर्ग से आये इन कर्मचारियों को मुख्यालय संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारण करने हेतु वर्ष 1978 में एक उच्च स्तरीय समिति बनी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय संवर्ग से स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता क्षेत्रीय संवर्ग से समाप्त करके मुख्यालय संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित कर दी जायेगी तथा जो कर्मचारी इस शर्त पर मुख्यालय में समायोजित नहीं होना चाहते हैं वे वापिस क्षेत्रीय संवर्ग में जा सकते हैं । इस प्रकार जिन कर्मचारियों ने उक्त शर्त पर मुख्यालय संवर्ग में रहना स्वीकार किया उनकी वरिष्ठता मुख्यालय संवर्ग में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की गई और उसी वरिष्ठता के अनुसार उनकी पदोन्नति की गई ।

जी नहीं ।

क्षेत्रीय एवं मुख्यालय संवर्ग में अलग-अलग वरिष्ठतानुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ड्रग इन्सपेक्टरों के स्वीकृत पद एवं नियुक्ति संख्या

59–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने ड्रग इन्सपेक्टरों के पद हैं तथा इनमें से कितने पदों पर नियुक्त हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

इस समय प्रदेश में ड्रग इन्सपेक्टरों के कुल 46 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 32 पदों पर ड्रग इन्सपेक्टर तैनात हैं ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों के नाम एवं अनुमानित व्यय तथा निर्माण अवधि

60–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी में है कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण आवासीय कालोनियां बना रहा है? यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं तथा वे कितनी-कितनी लागत की हैं एवं कब तक बन कर तैयार हो जावेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

इनके नाम राँची बांगर आवासीय योजना तथा महाविद्या आवासीय योजना हैं। इन आवासीय योजनाओं पर क्रमशः लगभग तीन करोड़ एवं दो करोड़ रुपये की लागत आयेगी । ये कालोनियां लगभग दो वर्ष में बनकर तैयार हो जायेंगी।

61–श्री अफजाल अंसारी–

[3रे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री सर्वेश्वर सिंह, चुंगी अधीक्षक, नगर पालिका, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

62–श्री मित्रसेन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना सिंह, सदस्य भा0 क0 पा0 फैजाबाद का चुंगी अधीक्षक, नगर पालिका, फैजाबाद श्री सर्वेश्वर सिंह के विरुद्ध दिनांक 4-11-85 को प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, फैजाबाद व अधिकारी

प्रशासन फैजाबाद को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी तथा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

विभागीय अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी।

श्री सर्वेश्वर सिंह दोषी नहीं पाये गये।

नगर पालिका, बाराबंकी के प्रभारी अधिकारी को अधिनियम के अनुसार प्रदत्त अधिकार एवं नियुक्ति

63–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर पालिका, बाराबंकी के प्रभारी अधिकारी को किसी भी प्रकार के वित्तीय या अन्य अधिकार नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो प्रभारी अधिकारी की यहां पर नियुक्ति का क्या औचित्य है? इस समय प्रभारी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कौन अधिकारी कर रहा है और क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर पालिका अधिनियम, 1966 के प्राविधान के अनुसार प्रभारी अधिकारी नगर पालिका के वही अधिकार होते हैं, जिनका प्रतिनिधायन उन्हें प्रशासक द्वारा किया जाय । अधिकारों के प्रतिनिधायन न किये जाने की स्थिति में पालिका से से सम्बन्धित उन कृत्यों का निर्वहन प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो प्रशासक द्वारा उन्हें समय-समय पर सौंपे जाते हैं वर्तमान प्रभारी अधिकारी की लम्बी अस्वस्थता के कारण प्रशासक द्वारा उन्हें वित्तीय एवं अन्य अधिकारों का प्रतिनिधायन नहीं किया गया है।

सहकारी समितियों को गोदाम के रख रखाव हेतु अपने सदस्यों से बिल्डिंग फण्ड वसूल करने के निर्देश

64–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारी समितियों द्वारा गोदाम (बिल्डिंग) के नाम पर सदस्यों से बिल्डिंग फंड वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वसूली को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां । निबन्धक ने अपने परिपत्र संख्या–सी-34/क्रय-विक्रय/84-85 दिनांक 22-12-84 द्वारा सहकारी समितियों को अपने भवन/गोदाम ठीक ढंग से रखने, उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने तथा अन्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्हें अपने सदस्यों से बिल्डिंग फण्ड वसूल करने के निर्देश दिये थे। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रदेश के 13 जनपदों में बिल्डिंग फण्ड वसूल किया गया/जाता है। वसूली को समाप्त करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फैजाबाद के स्थानान्तरण की कार्यवाही

65–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद अयोध्या के मेले की दुर्घटना के दिनांक 10 नवम्बर, 86 को मुख्य मंत्री जी घटना स्थल पर गये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को जिला अस्पताल फैजाबाद में उपचार में लापरवाही बरतने के लिए वरिष्ठ अधीक्षक, जिला अस्पताल फैजाबाद को निलम्बित करने का आदेश दिया था? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, जिला अस्पताल, फैजाबाद में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के उपचार में हुई उदासीनता के परिणामस्वरूप माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, फैजाबाद के स्थानान्तरण करने के आदेश दिये थे। समस्त परिस्थितियों को देखते हुए उनके निलम्बन के स्थान पर विभागीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है जिसके निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरण पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ जल संस्थान की दीवार गिरने से महिला की मृत्यु, परिवार को मुआवजा एवं नौकरी की मांग

66–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान की दीवार गिरने से किस महिला की मृत्यु हुई थी, क्या उसके पति का इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें मिला है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र में मृतक के पति ने शासन से क्या मांग की है तथा उसके प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमता पद्मा सेठ–

जी हां।

प्रार्थना पत्र में, रु0 50,000/- मुआवजा तथा पुत्र को जल संस्थान, लखनऊ में नौकरी देने की मांग का उल्लेख है। पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच महाप्रबन्धक, लखनऊ जल संस्थान एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम से करायी गयी है।

67–श्री शारदा प्रताप–

क्या यह सही है कि मृतका के पति के प्रार्थना पत्र के साथ भूतपूर्व सांसद श्री झारखण्डे राय एवं श्री राजकुमार राय का भी पत्र उन्हें मिला है? यदि हां, तो श्री झारखण्डे राय एवं श्री राजकुमार राय के पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

पत्रों में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गयी।

लखनऊ जल संस्थान की दीवार गिरने से दोषी अभियन्ताओं को दण्डित किये जाने की मांग

68–श्री शारदा प्रताप–

लखनऊ जल संस्थान की जो दीवार गिरी है क्या इसमें दोषी पाये गये अभियन्ता को दण्डित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जांचोपरान्त दीवार गिरने के मामले में जल संस्थान के अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अतः उन्हें दण्ड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

69–70–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

[उत्तर गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 188–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत अनुदान की सदस्य वार खर्च सम्बन्धी जानकारी की मांग

71–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण को वर्ष 86-87 एवं अप्रैल, 87 तक कितने रुपये प्राप्त हुए और किन-किन मदों में खर्च किये गये एवं किन-किन कार्यों को निविदा द्वारा कराया गया और किन कार्यों को बिना निविदा के?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महापालिका को एजेन्सी बनाने एवं प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ लेने की कथित शिकायत

72–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गोरखपुर महापालिका को कार्य करने के लिए एजेन्सी बनायी है और क्या यह सच है कि नगर महापालिका, गोरखपुर ने विकास प्राधिकरण गोरखपुर से स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर लिया है? यदि हां, तो विकास प्राधिकरण ने इस कार्य को स्वयं क्यों नहीं कराया?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

73–श्री विजय सिंह राणा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मण्डी समिति द्वारा सा0 नि0 विभाग आगरा को सड़क निर्माण हेतु दी गई धनराशि का व्यय एवं अवशेष धन का विवरण

74–श्री विजय सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति के धन से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई आगरा जनपद में धौधूपुरा से करमना तक की सड़क

के लिए मण्डी समिति से सा0 नि0 वि0 को कितना रुपया दिया गया था और कितना रुपया व्यय हुआ? क्या मण्डी समिति की कुछ धनराशि अभी तक सा0 नि0 वि0 पर शेष है? यदि हां, तो इस धनराशि से सड़क को पक्का कराये जाने की प्रक्रिया आरम्भ न करने का कारण क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

धांधूपुरा से करमना तक की सड़क पर खड़न्जा लगवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को रु0 1·20 लाख दिया गया था जिसमें से रु0 1,00,321-75 व्यय हुआ तथा रुपये 19,678-25 अभी सा0 नि0 वि0 पर शेष है। ठेकेदार पर विभाग द्वारा दिनांक 20-12-79 को रु0 1,389 जुर्माना लगाया गया इस प्रकार उक्त मद में कुल रु0 21,067-25 शेष है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा में ताज नगरी योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूखण्डों को विकसित किया जाना

75–श्री विजय सिंह राणा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आगरा में ताज नगरी के नाम से प्रस्तावित नई आवासीय कालोनी का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हो रहा है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा? इस योजना में कितने आवासीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है? क्या इस योजना का आगे भी विस्तार किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ताज नगरी योजना में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा भूमि का विकास करके आवासीय, व्यवसायिक, समुदायिक एवं पर्यटन हेतु भूखण्ड अभी विकसित किए जा रहे हैं।

चूंकि अभी भूमि का विकास किया जा रहा है। अतः प्रस्तावित आवासीय भवनों के निर्माण की संख्या बताया जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ नगर पालिका के अन्तर्गत ईश्वरी मुहल्ले की सीवर व्यवस्था में व्यय तथा चालू होने का समय

76–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले मोहल्ले बागपत गेट, अब्बू का मकबरा व ईश्वरपुरी में वर्ष 1984 में सीवर लाइन डाली गयी थी? यदि हां, तो उसमें कितना धन व्यय किया गया? सीवर लाइन कब चालू की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मेरठ नगर महापालिका द्वारा मुहल्ला ईश्वरी में वर्ष 1984 में केवल स्टेट बैंक कालोनी में सीवर लाईन डाली गयी है। इस पर रु0 27,270·25 पैसे का व्यय हुआ। यह 20-7-1984 से चालू है।

लखनऊ शहर के छोटे चांदगंज के कतिपय नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जे हटाये जाने हेतु दायर वाद

77–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा समय-समय पर नगर को स्वच्छ रखने हेतु जो निर्देश दिए गए हैं उसके उपरान्त भी लखनऊ शहर के **छोटे चांदगंज मुहल्ले में कोठी सं0 ए-27 के बगल वाले छोटे चांदगंज के नजूल के प्लाट पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने के उपरान्त भीषण प्रदूषण उत्पन्न कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित स्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षार्थ उक्त अवैध अतिक्रमण को समाप्त करके स्वच्छता प्रदान करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

श्रीमती पद्मा सेठ–

लखनऊ शहर के छोटे चांदगंज स्थित कोठी संख्या–ए-27 के बगल में नजूल प्लाट संख्या–3033 व 3045 (भाग) पर वर्तमान समय में श्रीमती बन्नो का अनधिकृत कब्जा है । अतिचारी उक्त भूमि पर गायें, भैंसें पालकर दूध का व्यापार करते हैं । उक्त नजूल भूमि खाली कराये जाने हेतु पी0 पी0 एक्ट में वाद दायर कर दिया गया है।

78–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी (श्री दोहरे) के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

79–श्री रणजीत–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी (श्री दोहरे) के भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र 151 दिनांक 30-8-86 उन्हें व कृषि सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

80–श्री रणजीत–

[4थे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री संवरु राम टाउन एरिया घोसी, आजमगढ़ की भूमि पर अवैध निर्माण हटाने हेतु नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस

81–श्री विष्णु देव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-10-85 का कस्बा घोसी (कटरा) टाउन एरिया घोसी जनपद आजमगढ़ के स्थायी निवासी श्री संवरु राम पुत्र श्री दौलत राम की जमीन (बांस खूंटी पथनारि, खाद गड्ढा व पुरानी आबादी) पर थी बुद्धि सागर व बाबू लाल पुत्रगण श्री मुरली ने अवैध निर्माण करा लिया है जिसकी सूचना दिनांक 15-10-85 को टाउन एरिया प्रशासन को दे दी गई थी ? यदि

हां, तो उपयुक्त अवैध निर्माण हटाने के लिए टाउन एरिया प्रशासन ने क्या कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगरपालिका एक्ट की धारा 185 के अन्तर्गत नोटिस दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद की कुल भूमि में सम्मिलित भूमि का ब्योरा

82–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 5वें मंगलवार को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं0 12 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत बताई गई भूमि 163.96 एकड़ में कौन-कौन सी भूमि सम्मिलित है तथा कितनी-कितनी भूमि अलग-अलग है ? नगरपालिका सीमा में प्रश्नोत्तर के समय कितनी नजूल भूमि थी और किस-किस गांव में थी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका, छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद की सीमा के अन्तर्गत बताई गई 163.96 एकड़ भूमि में नजूल, नगरपालिका, राजकीय सम्पत्ति तथा अन्य भूमि सम्मिलित है, जो अलग-अलग क्रमशः 4.10 एकड़, 105.27 एकड़, 32.14 एकड़, तथा 22.45 एकड़ है ।

नगरपालिका सीमा में प्रश्नोत्तर के समय 4.10 एकड़ नजूल भूमि थी । यह भूमि दबेवरमपुर टाउन एरिया तथा असालतनगर टाउन एरिया में है ।

नगरपालिका छिबरामऊ के नजूल भूमि के संबंध में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद का कथित पत्र

83–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के वायरलेस सं0 मीमो/एल0 वी0 सी0/इक्कीस-मिस0/83-84 दिनांक 10-2-84 के जवाब में प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, छिबरामऊ द्वारा संख्या मेमो/न0 पा0 छिबरामऊ दिनांक 13 जनवरी, 1984 को यह सूचना दी गई थी कि नगरपालिका छिबरामऊ के अन्तर्गत कोई भी नजूल भूमि नहीं है अतः वांछित सूचना शून्य है ? यदि हां, तो नगरपालिका छिबरामऊ की सीमा 10-2-84 को क्या थी अर्थात् पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किन स्थानों पर सीमा समाप्त होती थी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

84–श्री मुलायम सिंह यादव–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

85–श्री महरम सिंह–

[करण सं0 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक कमालगंज के कतिपय ग्रामों हेतु नियोजन समितियों की संस्तुति एवं धन उपलब्धता पर स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना

86–श्री महरम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के ब्लाक कमालगंज के बढ़पुर ताल ग्राम तथा राजेपुर में ऐसे काफी संख्या में ग्राम हैं जिनमें स्वास्थ्य उप केन्द्र नहीं हैं जबकि जनसंख्या और आवश्यकता के आधार पर स्वास्थ्य उप केन्द्र काफी समय पूर्व स्थापित किए जाने चाहिए थे ? यदि हां, तो उपरोक्त ब्लाकों में महत्वपूर्ण स्थानों पर कब तक उप केन्द्र स्थापित कर उ0 प्र0 सरकार जनता की कठिनाइयों को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उल्लिखित ब्लाकों में 79 उपकेन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । जनसंख्या के आधार पर 98 उपकेन्द्र अपेक्षित हैं, अतः केवल 19 की कमी है ।

शेष केन्द्रों की स्थापना ब्लाक स्तरीय तथा जिला स्तरीय नियोजन समितियों की संस्तुति और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर यथासमय की जायेगी ।

जनपद फर्रुखाबाद के महिला चिकित्सालय छिबरामऊ एवं कायमगंज में अंशकालिक महिला चिकित्सक की नियुक्ति

87–श्री महरम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जनपद के गुरुसहायगंज, कमालगंज, राजेपुर, छिबरामऊ तथा कायमगंज चिकित्सालयों में महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है जबकि वहां की जनता द्वारा लम्बे समय से महिला डाक्टर की नियुक्ति के लिए मांग होती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन चिकित्सालयों में अतिशीघ्र महिला डाक्टर की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद फर्रुखाबाद के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय (पुरुष), गुरुसहायगंज तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमालगंज एवं राजेपुर में महिला चिकित्सक का पद नहीं हैं । अतः वहां महिला डाक्टरों की नियुक्ति किए जाने का प्रश्न नहीं उठता । महिला चिकित्सालय, छिबरामऊ एवं कायमगंज में अंशकालिक महिला चिकित्सक पहले ही नियुक्त हैं ।

प्रदेश में कुल आलू का उत्पादन एवं क्रय योजना तथा भण्डारित मात्रा

88–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 1985-86 में आलू का कितना उत्पादन हुआ ? कितना आलू सरकार ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदा और कितना शीतगृहों में रखा गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश में वर्ष 1985-86 में 40,72,739 टन आलू का उत्पादन हुआ ।

आलू के बाजार भाव अच्छे होने के कारण एजेंसियों को आलू समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय हेतु उपलब्ध नहीं हुआ ।

शीतगृहों में अनुमानतः 16.14 लाख टन आलू भण्डारित किया गया था ।

प्रदेश के अस्पतालों में स्टाफ के मानकों में संशोधन हेतु गठित समिति के सदस्य तथा धन की उपलब्धता पर समिति की संस्तुति पर विचार

89–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के अस्पतालों में स्टाफ के मानकों में संशोधन करने हेतु विगत वर्षों में शासन ने कोई समिति गठित की थी ? यदि हां, तो उक्त समिति में कौन-कौन और कितने सदस्य हैं तथा उसकी रिपोर्ट क्या है ? क्या उक्त रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए फर्रुखाबाद जनपद स्थित सिविल अस्पताल लिजीगंज में मरीजों की संख्या को देखते हुए डाक्टरों की संख्या में वृद्धि तथा एक्सरे एवं शल्य चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । प्रदेश के चिकित्सालयों में स्टाफ के मानकों के संशोधन हेतु शासनादेश संख्या–यू0 ओ0 308 सेक-2/पांच-4(89)/84, दिनांक 11-1-85 द्वारा एक समिति गठित की गई श्री तत्पश्चात् शासनादेश संख्या–2442 सेक-2/पांच-4(89)/84, दिनांक 25-6-85 द्वारा पुनः एक लघु समिति गठित की गई । समितियों के सदस्यों की सूची संलग्न है ।

इन समितियों ने मरीजों की संख्या तथा अस्पतालों में शैय्याओं के अनुपात में विभिन्न श्रेणी के पदों तथा चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाये जाने की संस्तुति की ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 101 पर ।)

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद्, जौनपुर द्वारा नियोजित नईगंज गृह निर्माण योजना का निरस्तीकरण

90–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जिले में उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा नियोजित नईगंज गृह निर्माण योजना परिषद् द्वारा निरस्त कर दी गई है ? यदि हां, तो संबंधित भू-स्वामियों को उनकी भूमि वापस करने के संबंध में कौन सी प्रक्रिया तथा शर्त निर्धारित की गई है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

यह बिन्दु विचाराधीन है ।

झांसी जिले की मौंठ, एरच, गरौठा में मुख्य पाइप लाइन बढ़ाने का मामला जल संस्थान के विचाराधीन

91–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की मौंठ, एरच, गरौठा एवं टोड़ी फतेहपुर टाउन एरिया में जल संस्थान की मुख्य पाइप लाइनों को नगर के बढ़े हुए हिस्सों में भी बढ़ाए जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

झांसी जिले के मोंठ, एरच, गरौठा में नगर के बढ़े हुए हिस्सों में मुख्य पाइप लाइन को बढ़ाए जाने हेतु व्यय अनुमान एवं प्राक्कलन झांसी जल संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है । टोड़ी फतेहपुर में पाइप लाइन नहीं लगाई गई है । अतः उसके विस्तार का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के चन्दनपुर साधन सहकारी समिति में दूसरा गोदाम बनाने में बरती गयी अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

92–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के चन्दनपुर साधन सहकारी समिति में दूसरा गोदाम कब बना ? क्या पहले गोदाम की क्षमता के अनुरूप माल रखने के बाद नए की आवश्यकता थी ? यदि नहीं, तो नया गोदाम क्यों बनाया गया ? क्या यह सही है कि उक्त सोसाइटी के नए भवन के संबंध में मानक पर निर्माण कार्य न होने के कारण वर्ष 1986 जून व जुलाई में कोई जांच ए0 आर0 तथा विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद नगर महापालिका के प्रशासक द्वारा टैगोर टाउन के मकान गिराये जाने संबंधी आदेश के क्रियान्वयन की जानकारी की मांग

93–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर महापालिका के प्रशासक ने 26 सितम्बर, 1986, 3 अक्टूबर, 1986 तथा 24 अक्टूबर, 1986 को टैगोर टाउन स्थित मकान नं0 69 को गिराए जाने के संबंध में आदेश पारित किए थे ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

94—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

बरेली नगर में स्थित सिटी इम्प्रूवमेन्ट पार्क की मरम्मत

95–डा0 दिनेश जौहरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे मंगल के अतारांकित प्रश्न सं0 107 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में स्थित सिटी इम्प्रूवमेन्ट पार्क जिसको ठीक कराने में चार माह का समय दिया गया था, आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है एवं पार्क की सड़कों के निर्माण बाउण्डरी वाल की मरम्मत एवं रंगाई पुताई व रख-रखाव हेतु कोई भी कदम नहीं उठाया गया है ? क्या मंत्री जी पार्क के सुधार हेतु तुरन्त आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सिटी इम्प्रूवमेंट पार्क की सड़क के निर्माण हेतु न्यूनतम निविदादाता के नाम ठेका दिनांक 30 मई, 1986 को स्वीकृत किया गया था । ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण पार्क में कार्य नहीं हो सका । ठेकेदार की जमानत जब्त कर ठेका निरस्त करके दूसरे को ठेका देने की कार्यवाही प्रगति पर है । पार्क के सुधार हेतु शीघ्र ही कार्य शुरु हो जायेगा ।

कार्यवाही हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठेगा ।

नगर महापालिका गोरखपुर में परिषद् रोड पर बनी दुकानों के आवंटन हेतु कथित अग्रिम धनराशि

96–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि केशव प्रसाद निवासी 100, बेंतिया हाता, आवास विकास कालोनी गोरखपुर दिनांक 18-1-84 को रसीद संख्या 08380 से मु0 1,500-00 रुपया नगर महापालिका, गोरखपुर में, जिला परिषद् रोड पर परिषद् भवन से सटे बनने वाली दुकानों के आवंटन हेतु अग्रिम धनराशि जमा की थी? यदि हां, तो क्या दुकानें बनवाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

यहां 21 दुकानें बनवायी गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटी, महराजगंज की आवंटित धनराशि के व्यय में कथित अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र पर जांच

97–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के महाराजगंज कस्बे को टाउन एरिया घोषित किये जाने के पश्चात् अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? क्या आवंटित टाउन एरिया विकास हेतु विभिन्न मदों में खर्च कर दी गयी है ?क्या मंत्री जी को टाउन एरिया कमेटी महराजगंज को शासन द्वारा प्रदत्त धन के दुरुपयोग की शिकायत भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटी, महाराजगंज (अब नगरपालिका) को अब तक कुल 6,75,028 रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है ।

सड़क अनुदान की मद को छोड़कर अन्य मदों में आवंटित समस्त धनराशि खर्च कर दी गई है । जी हां, शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में टाउन एरिया के सचिवों को स्थानान्तरित किये जाने की शासन की नीति

98–श्री हर्ष वर्धन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया के सचिवों की एक

ही स्थान पर नियुक्ति के संबंध में क्या शासकीय नीति है ? उक्त नीति का अनुपालन गोरखपुर जनपद की आनन्दनगर टाउन एरिया के सचिव की नियुक्ति के संबंध में किन कारणों से नहीं हो पा रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

शासन द्वारा एक ही जनपद की टाउन एरिया कमेटियों में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सचिवों को मण्डल की अन्य जनपद में स्थानान्तरित किए जाने की नीति इस वर्ष निर्धारित की गई है । उक्त नीति के अंतर्गत जनपद गोरखपुर की आनन्दनगर टाउन एरिया कमेटी के सचिव के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी ।

99–श्री सरदार सिंह–

[3रे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 173 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर व फैजाबाद तथा बनारस मण्डल में लम्बी अवधि तक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण में शासन की नीति की जानकारी की मांग

100–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर व फैजाबाद तथा बनारस मण्डल में 12 वर्ष के बाद भी कितने अधिकारी व कर्मचारी एक ही मण्डल में कार्यरत हैं और उसका क्या औचित्य है जबकि शासनादेशानुसार 12 वर्ष के बाद एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण करने का प्राविधान है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के कृषि फार्मों पर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 व वर्ग-3 के कर्मचारियों की तैनाती में शासकीय नीतियों के अनुरूप आरक्षण

101–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में करीब 134 कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि फार्मों पर वर्ग-2 व ग्रुप-3 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार आरक्षित कोटा पूर्ण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कृषि फार्मों पर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 व वर्ग-3 के कर्मचारियों की तैनाती किये जाने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई आरक्षित कोटा नहीं है ।

आरक्षण वर्तमान शासकीय नातियों अनुरूप ही किया जाता है ।

कृषि विभाग में कृषि निदेशक के पद हेतु निर्धारित मानक तथा वर्तमान निदेशक श्री बी0 एन0 त्यागी की वैकल्पिक व्यवस्था

102–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कृषि निदेशक के पद पर नियुक्ति का शासन ने क्या माप दण्ड निर्धारित किया है ? क्या वर्तमान कृषि निदेशक श्री वी0 एन0 त्यागी की उस माप दण्ड के अंतर्गत नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं,

तो क्यों ? उच्चतम न्यायालय द्वारा वरिष्ठता के आधार पर एवं शासनादेश के मापदंड के अनुसार श्री के0 बी0 सिंह को कृषि निदेशक के पद पर न रखने का क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कृषि निदेशक के पद पर भर्ती यू0 पी0 एग्रीकल्चर सर्विस क्लास-1 के स्थायी और ऐसे स्थानापन्न अधिकारियों में से, जो निदेशक के ठीक नीचे के पद पर हो और जिन्होंने ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाती है ।

कृषि निदेशक के पद पर डा0 बी0 एन0 त्यागी की तैनाती जनहित में काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में की गयी है।

कृषि सेवा श्रेणी-1 के अधिकारियों की ज्येष्ठता का विवाद मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद एटा के जलेसर में अस्पताल बनाने की मांग

103–श्री प्रेम पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र जलेसर, जनपद एटा में वर्ष 1986 की जिला योजना के अंतर्गत 30 बेड का हास्पिटल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त 30 बेड का हास्पिटल कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, सचिव, जिला सहकारी बैंक, गोण्डा का गबन के आरोप में निलम्बन पर न्यायालय से स्थगन

104–श्री राम जनम यादव–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सचिव, जिला सहकारी बैंक गोण्डा (श्री एस0 के0 श्रीवास्तव) के विरुद्ध उनके जनपद गोण्डा व बाराबंकी की पूर्व सेवा अवधि में क्रमशः चार लाख व एक करोड़ दस लाख रुपये की सरकारी धन के गबन का मामला सिद्ध पाया गया था और मामला अभी चल रहा है, जिसके फलस्वरूप उन्हें फैजाबाद में स्थानान्तरित भी किया गया था और बाद में उनकी सेवायें भी समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उन्हें पुनः उनके गृह जनपद गोण्डा में नियुक्त किया गया? क्या यह सही है कि उक्त सचिव द्वारा वर्तमान स्थान गोण्डा तैनाती के लिए विभाग के अधिकारियों को, अपने को बाराबंकी का मूल निवासी बताया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच करा कर संबंधित सचिव को तत्काल निलम्बित करके उनकी पारिवारिक सम्पत्ति की वृद्धि के स्रोतों की भी जांच कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

जिला सहकारी बैंक लि0, गोण्डा में श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, सचिव की पूर्व कार्यावधि में उनके विरुद्ध मु0 11,72,790=00 रु0 का अधिभार प्रस्तावित किया गया

था परन्तु अधिभार की कार्यवाही में मात्र रुपया 25=00 का अधिभार उनपर निर्धारित किया गया है । जिला सहकारी बैंक लि0 बाराबंकी में गबन/अपहरण/वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित निम्न आरोप श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध सही पाये गये थे ।

(1) वर्ष 1977-78 में विशिष्ट सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर बैंक की नौ शाखाओं में रु0 8,38,772=10 का अपहरण व रु0 32,140—00 का अस्थाई अपहरण व रु0 2,36,916=46 का दुर्विनियोग किया गया तथा रु0 1,09,096=17 के संबंध में अनियमितता की गयी अर्थात कुल रुपया 12,16,924=73 की क्षति बैंक को पहुंचाने के लिये श्री श्रीवास्तव को जिम्मेदार ठहराया गया ।

(2) वर्ष 1978-79 के लेखा परीक्षा में रु0 23,33,507=22 गबन की धनराशि व रु0 20,65,728=22 धन के दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आये ।

उक्त के अतिरिक्त गम्भीर अनियमितताओं व संदिग्ध भुगतान के क्रमश: रु0 53,00,378-38 व रु0 18,505-85 के मामले प्रकाश में आये जिसके लिये श्री श्रीवास्तव आरोपित किये गये ।

(3) श्री कृष्ण गोपाल भटनागर शाखा प्रबन्धक, रामसनेही घाट जिन्हें गबन के आरोप में दिनांक 23-6-79 को स्थानान्तरित किया गया, को तत्परता से कार्य न करके उन्हें शाखा में दिनांक 12-7-79 तक कार्यरत रहने का अवसर दिया गया । श्री भटनागर ने दिनांक 28-6-79 को रु0 90,000 व 29-6-79 को रु0 40,000 व रु0 35,646-00 का गबन किया ।

श्री श्रीवास्तव उक्त गबन को रोकने में असफल रहे और उन्होंने उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिसके लिये उन्हें दोषी माना गया।

जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी की जांच के आधार पर श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण कर उन्हें निलंबित किया गया जिसके विरुद्ध वे माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यरत हैं ।

उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मानवीय दृष्टिकोण से विशेष परिस्थितियों में श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद गोण्डा में अग्रिम आदेशों तक किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

निलंबन के विरुद्ध श्री श्रीवास्तव माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर कार्यरत हैं। अतएव किसी प्रकार की कार्यवाही से न्याय में हस्तक्षेप होगा ।

105—श्री राम नरेश यादव—

[2रे मंगलवार के ता0 प्र0 सं0 171 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

महिला चिकित्साधिकारी सिरसा गंज, मैनपुरी द्वारा निजी चिकित्सा करने के विरुद्ध शिकायत पर स्थानान्तरण की मांग

106—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट एलोपैथिक डिस्पेन्सरी सिरसागंज,

मैनपुरी में ही महिला चिकित्साधिकारी तैनात है, का सिरसागंज में ही नर्सिंग होम तथा निजी चिकित्सा गृह है और वहां पर वह रोगियों की निजी चिकित्सा और आपरेशन करती है? यदि हां, तो क्या उक्त महिला चिकित्साधिकारी को निजी चिकित्सा अनुमन्य है? यदि नहीं, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त महिला चिकित्सा अधिकारी, सिरसागंज की ही रहने वाली है ? यदि हां, तो उन्हें उसी स्थान पर क्यों तैनात किया गया ? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पी0 एम0 एच0 एन0 सम्वर्ग में शासनादेशानुसार आरक्षण की नीति

107–चौधरी भगवती प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के कोई ऐसे आदेश है कि सभी पदों पर आरक्षण कोटा शीघ्र पूरा करने के लिए सेवा नियमावलियों में बाधक नियमों में परिवर्तन किये जायं ? यदि हां, तो पी0 एम0 एच0एन0 संवर्ग में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

शासनादेश संख्या 15/25/1973-रा0एकी0 दिनांक 10 मई, 1976 के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था है । पी0एम0एच0एन0 संवर्ग में चयन आयोग के माध्यम से ही किया जाता है एवं आरक्षण के विषय में पूर्ण सूचना अधियाचन के साथ आयोग को उपलब्ध कराई जा चुकी है । आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त संख्या के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण यह रिक्तियां पूर्णता भरी नहीं जा सकीं ।

पी0 एम0 एस0 संवर्ग के सृजन का समय तथा सेवा नियमावली

108–चौधरी भगवती प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में पी0 एम0 एस0 संवर्ग का सृजन कब हुआ था ? क्या इस संवर्ग की सेवा नियमावली बना ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक बना ली जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पी0एम0एस0 संवर्ग वर्ष 1964 के पूर्व सृजित पी0एम0एस0 (1) एवं पी0एम0एस0 (2) संवर्गों के संविलियन से गठित किया गया था । इस संवर्ग की सेवा नियमावली अभी नहीं बनी है । इस नियमावली को अन्तिम रूप देने में अभी कुछ समय लगने की संभावना है ।

पी0एम0एच0एस0 में प्रोन्नति हेतु सेवा अवधि बढ़ा देने पर पात्रता क्षेत्र से बाहर निकलने वाले अनु0 जाति/जन जाति के अधिकारियों की स्थिति

109–चौधरी भगवती प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 86 तक पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कितने अनुसूचित जाति/जन जाति के महिला व पुरुष अधिकारी अलग-अलग उपलब्ध थे ? दिनांक 28-7-86 को जारी कार्यालय

ज्ञाप सं0-4308 सक-3/पांच के कारण इनमें से कितने सीनियर स्केल में प्रोन्नति से वंचित रह गये ? इस स्केल में अनेक आरक्षित पद रिक्त होते हुए भी इन अधिकारियों को पात्रता क्षेत्र से बाहर निकालने के उद्देश्य से उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माह जून, 86 तक पी0एच0एम0एस0 संवर्ग में 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के निम्नलिखित महिला व पुरुष चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध थे :-

महिला– 3

पुरुष 20

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-7-86 द्वारा नियमित सेवा अवधि 12 वर्ष कर दिए जाने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया :–

महिला– 3

पुरुष 13

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-7-86 सभी वर्ग के अधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है अतः केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को पात्रता क्षेत्र से बाहर निकालने का कोई उद्देश्य शासन का नहीं है ।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में स्पेशल ग्रेड के पदों पर चयन हेतु आरक्षण नीति

110–चौधरी भगवती प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में स्पेशल ग्रेड की 40 रिक्तियों को भरने के लिए माह मई, 86 में प्रोन्नति चयन समिति की बैठक बुलाई गई थी ? यदि हां, तो उन 40 पदों में से कितने आरक्षित पद थे जिन पर अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारियों की प्रोन्नति की जानी थी ? उसके विपरीत कितने अधिकारी उपलब्ध थे और कितने की प्रोन्नति स्पेशल ग्रेड में की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । मई, 86 में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में स्पेशल ग्रेड के 42 पदों को भरने के लिए चयन समिति की बैठक हुई थी ।

उक्त संवर्ग में कुल 143 पदों के विरुद्ध 26 अनुसूचित जाति तथा 2 पद अनुसूचित जनजाति के आरक्षित श्रेणी में आते हैं जिनमें से 9 पद अनुसूचित जाति व 1 पद पर अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं । अतः उक्त पदों के चयन हेतु 17 अनुसूचित जाति 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को अग्रणीत करते हुए सामान्य वर्ग के अधिकारियों से तदर्थ रूप से भरा गया । चयन का मापदण्ड ''श्रेष्ठता'' है एवं चयन के मापदण्ड के आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी चयनित नहीं हुआ । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में उच्चतर पदों पर नियमित प्रोन्नतियां एवं मापदण्ड

111–चौधरी भगवती प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी0एच0एम0एस0 संवर्ग में उच्चतर पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियां होती हैं ? यदि हां, तो क्या इन तदर्थ प्रोन्नतियों का आधार ज्येष्ठता होती है जैसा कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 3963/2-बी-50-1955 दिनांक 27-12-1956 में इंगित है ? यदि हां, तो कार्मिक के निर्देशों को नजर अन्दाज करने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में अब नियमित प्रोन्नतियां होती हैं । कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2908 का-1-83 दिनांक 22-3-84 के परिप्रेक्ष्य में चयन का मापदण्ड ''ज्येष्ठता'' रखा गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

112–श्री हर्ष वर्धन–

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दवाओं के विक्री हेतु जारी लाइसेंस

113–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से पांचों तहसीलों में कितने फुटकर एवं थोक दवाओं के बिक्री के लाइसेंस दिए गए हैं और तहसील शाहगंज में कुल फुटकर एवं थोक दवाओं के कितने लाइसेंसी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला चिकित्सालय जौनपुर में वार्ड ब्वाय के लिए यूनिफार्म की मांग

114–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय में जो वार्ड ब्वाय स्थाई या अस्थाई रूप से कार्यरत हैं उनको विभागीय यूनीफार्म नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

चिकित्सालयों में कार्यरत वार्ड-ब्वाय एवं ऐसे अन्य समकक्ष कर्मियों को यूनीफार्म स्वीकृत नहीं है ।

उ0प्र0 जल निगम के वर्तमान प्रबन्धक निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने का औचित्य

115–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक श्री एस0 के0 शर्मा जल-निगम उ0 प्र0 का कार्यकाल एक वर्ष पुनः और बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो दुबारा कार्यकाल बढ़ाने का औचित्य क्या था ? क्या विभाग के योग्य एवं कार्य कुशल अभियन्ताओं के असन्तोष को देखते हुए शासन अविलम्ब श्री शर्मा को पदच्युत करने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

जी हां ।

चूंकि उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति की अवधि नियमों में निर्धारित नहीं है, अतः श्री शर्मा की कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए प्रबन्ध निदेशक पद पर उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया जाना उपयुक्त समझा गया है ।

उपरोक्त कारणों से श्री शर्मा को उक्त पद से पदच्युत करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का विरचन

116–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से योजनाओं में प्राविधान था, उस प्राविधान को बदल-कर टंकियों की क्षमता 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दी गयी जिससे कि ग्रामीणों को घरेलू कनेक्शन दिए जा सकें परन्तु स्टैन्ड पेयजल स्टैण्ड पोस्टों से ही दिया जा रहा है और घरेलू कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन इच्छुक व्यक्तियों को घरेलू कनेक्शन देने की व्यवस्था अविलम्ब बनाने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का विरचन 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से किया जा रहा है ।

जी नही,

प्रश्न नहीं उठता ।

धन की उपलब्धता के अनुसार जल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के उपरांत ही यह संभव हो सकेगा ।

लखनऊ मध्य क्षेत्र में कूड़ाघर बनाने के सम्बन्ध में शासन की नीति

117–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में कितने कूड़ेघर प्रस्तावित हैं तथा कितनों का निर्माण हो चुका है एवं कितने शेष हैं और इनका निर्माण कार्य कब तक हो जायेगा ? इन्हीं में बिरहाना पुल के पास जहां पर कि सड़क पर कूड़ा डाला जाता है, के कूड़े घर का निर्माण क्यों नहीं कराया गया जबकि यह चार-बाग जाने का मुख्य मार्ग है तथा जनता को कूड़े पर से होकर जाना पड़ता है ? क्या मंत्री जी इस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इस क्षेत्र में कूड़ेघर बनवाए जाने की कोई भी योजना नहीं है ।

बिरहाना पुल के पास सड़क को चौड़ा करने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रगति पर है इसलिये फिलहाल वहां कूड़ाघर बनना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मध्य क्षेत्र के कतिपय मोहल्लों में सीवर लाइन की व्यवस्था करने की मांग

118–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र स्थित कितने ऐसे मोहल्लों हैं जिनमें अभी भी सीवर लाइन नहीं डाली गई तथा वर्ष 1987-88 में कितने मोहल्लों में इसका प्रस्ताव है ? ऐशबाग, स्वीपर कालोनी, खजूहा, रामलीला मैदान तथा कदीम, भदेवा बिल्लौचपुरा, कुण्डरी, सहादतगंज आदि मोहल्लों में अभी तक क्यों नहीं पड़ पायी जबकि जनता परेशान होती जा रही है ? क्या मंत्री जी तुरन्त इसकी व्यवस्था हेतु आदेश देने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ मध्य क्षेत्र स्थित नालों की सफाई कराने की मांग

119–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1986-87 में लखनऊ मध्य क्षेत्र स्थित कितने नालों की सफाई की व्यवस्था नगरमहापालिका द्वारा कराई गई है ? क्या जनता की शिकायत अभी पूर्ववत् है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे तथा संबंधित अधिकारी पर कठिन कार्यवाही हेतु आवश्यक कदम उठायेंगी व दुबारा नालों की सफाई करवाने हेतु आदेश प्रदान करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्नगत वर्ष में किसी भी नाले की सफाई महापालिका द्वारा नहीं कराई गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा मध्य क्षेत्र में स्थित कतिपय मोहल्लों की जल निकासी व्यवस्था की मांग

120–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा मध्य क्षेत्र में स्थित बिल्लौचपुरा हरिजन बस्ती, स्वीपर कालोनी भदेवा, चिताखेड़ा, कुण्डरी रकाबगंज, बिरहाना, जोशीटोला, छेदा खास पुरवा और बिरहाना चौराहे से रेलवे क्रासिंग तक जहां कि पानी भरा रहता है, जल निकासी का कार्य 1986 में पूरा कराना था परन्तु आज तक नहीं हो पाया इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या मंत्री जी इसे तुरन्त पूरा करने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्नगत क्षेत्र की जल निकासी हेतु अभी तक कोई योजना नहीं बनी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

121–श्री मैनेजर सिंह–

[2रे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ के बागपत स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन की व्यवस्था

122–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत मेरठ स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक्सरे मशीन कब क्रय की गयी थी इस मशीन को अब तक प्रयोग में न लाये जाने के क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

एक्सरे मशीन दिनांक 7-6-85 को क्रय करने के आदेश दिये गये थे । मशीन 27-8-85 को प्राप्त हो गयी थी । जो दिनांक 19-9-85 को स्थापित करा दी गयी है तथा प्रयोग में है।

123–श्री राम नरेश यादव–

[दिनांक 18-6-87 को अता0 प्र0 सं0 70 द्वारा उत्तरित]

124–श्री राम नरेश यादव–

दिनांक 18-6-87 को अता0 प्र0 सं0 71 द्वारा उत्तरित]

125–126–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

नैनीताल स्थित पौनी शेड नामक भवन कब्जे में लेने हेतु ताला तोड़ने सम्बन्धी पुलिस में लिखाई रिपोर्ट की जानकारी की मांग

127–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल विकास प्राधिकरण नैनीताल को सरकार की ओर से नैनीताल स्थित पौनी शेड नामक भवन अधिगृहीत/कब्जे में लेने हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त भवन का ताला तोड़कर (दिनांक 28 मई, 86 को) सरकारी सम्पत्ति बाहर फेंकने के संबंध में मल्लीताल थाने में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा पुलिस रिपोर्ट लिखाई गयी ? यदि हां तो उपरोक्त विषय में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा में जल संस्थान के क्षेत्रीय पम्पिंग स्टेशनों पर कथित अतिक्रमण

128–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में जल संस्थान के

क्षेत्रीय पम्पिंग स्टेशनों पर भारी अतिक्रमण हो रहे हैं? यदि हां, तो उनको हटाने की क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस कार्य में पम्पिंग स्टेशनों के कर्मचारी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्पेसीफिकेशन के अनुसार आगरा की सड़कों का निर्माण कार्य

129–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका आगरा के निर्माण विभाग द्वारा निम्न स्तर के सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो मार्च, 1987 में कितनी राशि का भुगतान किन-किन सड़कों के निर्माण में किया गया ? क्या इनकी टेक्निकल सेल से जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं । मार्च, 1987 में जो सड़कों के निर्माणसुधार कार्य किये गये हैं वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य

130–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि अलीगढ़ जनपद में सिकन्दराराऊ मण्डी परिषद् द्वारा ग्राम जिरोली के हीरा सिंह, महमूदपुर तथा नोरक्षाइशेपुर के लिए निर्माण कराये गये सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जीर्ण हो गये हैं ? इन मार्गों पर लेपन स्तर का कार्य कराकर पक्का कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मण्डी शुल्क की आय से निर्मित सम्पर्क मार्गों का रख-रखाव किया जा सकता है ।

जी हां, मरम्मत कार्य हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ नगर की सड़कों के मरम्मत कार्य में प्रगति

131–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर की प्रमुख सड़कें फिर से बनवाने के लिए कुछ माह पूर्व इस तरह से तोड़ दी गयी हैं कि पैदल भी चलना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो वह कितने समय तक बना दी जायेगी और इसमें विलम्ब करने वाले अधिकारी व कर्मचारी जो दोषी हों उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर की दो प्रमुख सड़कों को चौड़ा करके कारपेंटिंग का कार्य प्रगति पर था जो पूरा हो गया है । नगर के कुछ सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य भी जून, 87 तक पूर्ण हो जाने की आशा है । इससे यातायात में कुछ असुविधा का होना स्वाभाविक था । सड़कों के बनवाने में न तो कोई विलम्ब हुआ है और न ही कोई इसके लिये दोषी है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, सहकारी संघ बाजना, मथुरा के विरुद्ध गबन के सम्बन्ध में आरोपित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी की मांग

132–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15-10-86 को सचिव सहकारी संघ बाजना, जनपद मथुरा श्री राम जी लाल शर्मा द्वारा वर्ष 1982-83 में बाजना सहकारी संघ ने बीस हजार रुपया गबन के बारे में कोई शिकायती पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरूण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

एक्स-रे मशीन रेडियोलाजिस्ट व एक्स-रे टेक्नीशियन की व्यवस्था हेतु पत्र

133–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 18-12-86 को मांट उच्चीकृत अस्पताल जनपद मथुरा के लिए एक्स-रे मशीन रेडियोलाजिस्ट व एक्सरे टेकनिशियन की व्यवस्था हेतु पत्र दिया था? यदि हां, तो यह सुविधा मांट उच्चीकृत अस्पताल पर कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से आवश्यक प्रस्ताव व धन स्वीकृत होने के उपरान्त ही प्रश्न में उल्लिखित सुविधायें उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांट में उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

श्री देवी दयाल, सदस्य कृषक सहकारी समिति लि0 भारतपुर, बांदा को बकायेदार घोषित किये जाने संबंधी शिकायती पत्र

134–श्री राम सजीवन–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री देवीदयाल पुत्र राम सुमेर साकिन भरथौल एवं सदस्य कृषक सहकारी समिति लि0 भारतपुर जिला बांदा ने सहायक निबंधक सहकारिता बांदा को 15-4-87 को एक प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायत की है कि उसने 13-6-85 को अपना कुल देय ऋण 6919.00 रुपये अदा कर दिया था जिसकी रसीद बुक संख्या 442795 है? किन्तु बाद में उसे बकायादार घोषित कर दिया गया था? यदि हां, तो ऐसा क्यों? उक्त शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गई तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री अरूण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर की नगर पालिकाओं को स्वीकृत अनुदान

135–श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद सीतापुर की नगरपालिकाओं को वर्ष 1986–87 में कितना-कितना धन ग्राण्ट के रूप में प्राप्त हुआ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद सीतापुर जिले की नगरपालिकाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुदान वर्ष 1986–87 में स्वीकृत किये गये:–

नगरपालिका का नाम	धनराशि रु0 में
सीतापुर	10,82,000
बिसवां	22,70,000
नैमिषारण्य-मिश्रित	15,90,000
खैराबाद	शून्य
महमूदाबाद	शून्य
लहरपुर	2,00,000

अलीगढ़ की सिकन्दराराऊ नगर पालिका को स्वीकृत अनुदान एवं कार्य

136–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की सिकन्दराराऊ नगरपालिका को वर्ष 1986–1987 में कुल कितना सड़क अनुदान प्राप्त हुआ और उससे कौन से कार्य नगरपालिका क्षेत्र में कराये गये?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वित्तीय वर्ष 1986–87 में नगरपालिका, सिकन्दराराऊ को रु0 3,70,000 का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था।

उक्त अनुदान से निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं:–

(1) मो0 नौरंगाबाद पश्चिमी में श्री डी0पी0 सारस्वत वाली गली, श्री विजय भारत कुल श्रेष्ठ वाली गली, श्री पण्डित श्री राम शर्मा वाली गली, श्री रमेश चन्द सक्सेना व श्री अशोक कुमार सक्सेना वाली गली में तथा मो0 पूरनगंज स्थित श्री चिन्ता मणि वाली गली में खड़ंजा व नालियों का निर्माण।

(2) मो0 नौरंगाबाद पूर्वी स्थित हरिजन बस्ती में खड़ंजा व नाली निर्माण।

(3) मो0 गौसगंज में श्री हुक्म सिंह यादव के मकान से नीम वाली गली तक खरंजा व नाली का निर्माण।

(4) मो0 मटकोटा में श्री बून्दू बैण्ड वालों की गली, श्री भंवर पाल सिंह वाली गली, श्री जय प्रकाश गुप्ता के मकान से श्री शिव दयाल सक्सेना के मकान तक खरंजा व नाली निर्माण।

(5) मो0-मटकोटा में खजूर वाली मस्जिद से कफील खां के मकान तक खड़ंजा व नाली का निर्माण।

नगर पालिका बस्ती के वर्तमान लेखाकार से नियमानुसार भवन किराये की कटौती

137–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्तमान लेखाकार नगरपालिका बस्ती 1-9-82 से कन्या जू0 हाई स्कूल भवन (पालिका भवन) के एक हिस्से में रह रहे हैं? यदि हां, तो क्या नियमानुसार वेतन का 10 प्रतिशत आवासी किराया भुगतान कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि पालिका के भवन में रहते हुए भी भवन का किराया 10 प्रतिशत देने के बजाय अक्टूबर, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक 30 रु0 प्रतिमाह हाउस रेन्ट एलाउन्स पालिका से इन्होंने प्राप्त किया है? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर पालिका बस्ती के वर्तमान लेखाकार नवम्बर, 1983 से कन्या जू0 हाई स्कूल भवन (पालिका भवन) के एक खाली कमरे में रह रहे हैं, और उनके वेतन से नियमानुसार भवन किराये की कटौती की जा रही है। अक्टूबर 1982 से अक्टूबर 1983 तक की अवधि का मकान किराया भत्ता लेखाकार द्वारा प्राप्त किया गया, क्योंकि उक्त अवधि में वे पालिका भवन में नहीं रहे।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी की कतिपय साधन सहकारी समितियों में उच्चादेशानुसार सचिवों की तदर्थ नियुक्ति

138–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 लखनऊ से स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए जिला सहायक निबन्धक बाराबंकी द्वारा सैधपुर, बघौली, चमरौली, सरांय डुनौली खजुरी, सुढियामऊ मियांगंज अनगरी आदि साधन सहकारी समितियां में तदर्थ आधार पर नियुक्त सचिवों से कार्य कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अरूण कुमार सिंह–

साधन सहकारी समिति लि0 सैफपुर बन्धोली, सरायदुनोली, सुढियामऊ मियांगंज अनवारी समितियों में निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के अन्तर्गत आंकिकों/सहायक आंकिकों को सचिव पद का कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। साधन सहकारी समिति लि0 चमरौली में कैडर का सचिव कार्यरत है, साधन सहकारी समिति लि0 खजुरी में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 24-9-86 के अन्तर्गत सचिव कार्यरत हैं। सचिव की कमी के कारण।

जिला सहायक निबन्धक, बाराबंकी का कार्यकाल एवं उनके द्वारा सचिवों के निलम्बन, बहाली एवं स्थानान्तरण की संख्या

139–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में कार्यरत सहकारी समितियां के निबन्धक कितने दिनों से उस जनपद में कार्यरत हैं? उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितनी साधन सहकारी समितियों के सचिवों को निलम्बित किया, कितनों को बहाल किया और कितनों को स्थानान्तरित किया ? क्या सहायक निबन्धक द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये निलम्बनों, बहाली व स्थानान्तरण की जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा करायी जायगी ?

श्री अरूण कुमार सिंह–

वर्तमान जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी जनपद में दिनांक 19-7-86 से कार्यरत हैं।

अपने कार्यकाल में सचिव जिला प्रशासनिक कमेटी, बाराबंकी एवं जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी ने साधन सहकारी समितियों के 29 सचिवों के निलम्बन, 3 सचिवों की बहाली एवं 61 सचिवों के स्थानान्तरण आदेश पारित किये हैं।

जी नहीं। जांच कराने का कोई आधार नहीं है।

जनपद बांदा के कस्बा बसौदा में पानी की टंकी बनवाने का मामला विचाराधीन

140–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल संकट को दूर करने के लिए बांदा जनपद के कस्बा बसौदा में पानी की टंकी बनवाने के लिए सर्वे कराकर प्राक्कलन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

वर्ष 1987–88 के अन्तर्गत प्रयास किया जा रहा है।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कतिपय विभागों की स्थापना की तिथि एवं मजदूरों की संख्या का विवरण

141–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत अभियंत्रण विभाग, बायोसाइंस विभाग सब्जी विज्ञान विभाग तथा सांख्यकीय अनुभाग की स्थापना कब हुयी तथा प्रत्येक विभाग/अनुभागों में मजदूरों की कितनी-कितनी संख्या कब से कार्यरत है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत कृषि अभियन्त्रण विभाग, बायोसाइंस विभाग, सब्जी विज्ञान विभाग तथा सांख्यकीय अनुभाग की स्थापना की तिथि उनमें कार्यरत मजदूरों की संख्या तथा उनकी कार्यविधि निम्नलिखित तालिका में उनके सम्मुख अंकित है :—

विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	मजदूरों की सं0	कार्यविधि
कृषि अभियंत्रण विभाग	अक्टूबर, 1978	शून्य	–
बायो साइंस विभाग	तदैव	शून्य	–
सब्जी विज्ञान विभाग	तदैव	शून्य	–
सांख्यकीय अनुभाग	तदैव	शून्य	–

142–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत मृदा प्लान्ट विभाग, प्लान्ट पैथालाजी अनुभाग, क्राप फिजियोलाजी, वाटर मैनेजमेंट अनुभाग तथा भाषा अनुभाग की स्थापना कब हुई एवं इन विभागों/अनुभागों में कार्यरत मजदूरों की कुल कितनी-कितनी संख्या है और वे कितने समय से कार्यरत हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत मृदा विज्ञान विभाग, प्लान्ट पैथालाजी विभाग, क्राप फ़िजियोलाजी, वाटर मैनेजमेंट अनुभाग तथा भाषा विभाग की स्थापना की तिथि, उनमें कार्यरत मजदूरों की संख्या तथा कार्यविधि निम्नलिखित तालिका में उनके सम्मुख अंकित है :—

विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	मजदूरों की संख्या	कार्यविधि
मृदा विज्ञान विभाग	अक्टूबर, 1978	शून्य	--
प्लान्ट पैथालाजी विभाग	तदैव	शून्य	--
क्राप फिजियोलोजी	तदैव	शून्य	--
वाटर मैनेजमेंट अनुभाग	वर्ष, 1982	शून्य	--
भाषा विभाग	जनवरी, 1984	शून्य	--

143–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत शस्य विज्ञान विभाग, कृषि अर्थशास्त्र अनुभाग, पशु विज्ञान विभाग एवं पुस्तकालय अनुभाग की स्थापना कब-कब हुई थी, एवं प्रत्येक विभागों/अनुभागों में श्रमिकों/मजदूरों की कुल कितनी-कितनी संख्या है तथा वे कब से कार्यरत हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत शस्य विज्ञान विभाग, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, पशु विज्ञान विभाग एवं पुस्तकालय अनुभाग की स्थापना की तिथि, उनमें कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की संख्या तथा

कार्यविधि निम्नलिखित तालिका में उनके सम्मुख अंकित है :—

विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	श्रमिकों/ मजदूरों की संख्या	कार्यविधि
शस्य विज्ञान विभाग	अक्टूबर, 1978	शून्य	--
कृषि अर्थशास्त्र विभाग	तदैव	शून्य	--
पशुविज्ञान विभाग	तदैव	शून्य	--
पुस्तकालय अनुभाग	वर्ष, 1977	8	
	दिसम्बर, 1982 से		1
	जनवरी, 1984 से		1
	जून, 1984 से		1
	फरवरी, 1986 से		1
	मई, 1986 से		2
	जुलाई, 1986 से		1
	दिसम्बर, 1986 से		1
		योग	8

नगर पालिका भदोही, वाराणसी द्वारा जलकर एवं गृहकर के नाम पर की जा रही कानूनी कार्यवाही के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

144—श्री राज किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, भदोही, वाराणसी द्वारा गृह-कर एवं जल-कर के पुनर्निरीक्षण के नाम पर की जा रही गैर कानूनी कार्यवाही के खिलाफ वाराणसी जिले के विरोधी दलों द्वारा दिनांक 4-6-1986 को जिलाधिकारी, वाराणसी को दिये गये ज्ञापन की प्रतिलिपि शासन को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक अस्पताल खोलने हेतु शासन की वर्तमान नीति

145—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के प्रा0 स्वा0 केन्द्र आराजी लाईन पिन्डरा, सेवापुरी एवं हरहुआ के अन्तर्गत 1990 तक कितने और कहां-कहां एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की योजना है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार एलोपैथिक औषधालय की स्थापना अब नहीं की जाती है वरन् प्रति 3000 ग्रामीण जनसंख्या पर जिला योजनान्तर्गत एक नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति एवं आवश्यक पाँरव्यय उपलब्ध कराये जाने पर की जाती है। आराजी लाईन, पिन्ड्रा सेवापुरी तथा हरहुआ की जनसंख्या एवं मानकों के अनुसार आराजी लाईन तथा पिन्ड्रा में प्रत्येक में अधिकतम दो-दो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा सकते हैं। आराजी लाईन में दो तथा सेवापुरी में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा पिन्ड्रा में एक तथा सेवापुरी में दो होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना प्रस्तावित है। चूंकि वार्षिक जिला योजना प्रतिवर्ष बनायी जाती है और जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति निर्धारित मानकों एवं नीति के अनुसार स्थान का चयन करती है, अभी से भावी योजना के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

मलिखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ में नये वार्डों के निर्माण की मांग

146–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलिखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ के पुराने वार्डों की जीर्ण अवस्था के कारण पुनः निर्माण कराने की व्यवस्था तथा मरीजों की संख्या के अनुपात में स्थान कम होने के कारण नये वार्डों का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

वर्तमान में मलिखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ में वार्ड जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं हैं। स्वीकृत शैय्याओं के अनुरूप स्थान उपलब्ध है। नये वार्डों के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के फरेन्दा महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की वैकल्पिक व्यवस्था

147–श्री हर्ष वर्धन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के फरेन्दा महिला चिकित्सालय पर कब से महिला चिकित्सक नियुक्त नहीं है ? क्या जनहित में तत्काल उक्त चिकित्सालय पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

गोरखपुर जनपद के फरेन्दा महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पद दिनांक 22-7-83 से रिक्त चल रहा है। प्रदेश में महिला चिकित्सकों की अत्यन्त कमी के कारण उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक को तत्काल तैनाती किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला अस्पताल, गोरखपुर को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह एक महिला चिकित्साधिकारी को सप्ताह में तीन दिन महिला चिकित्सालय, फरेन्दा में अग्रिम आदेश तक उपचार हेतु भेजें।

148–डा0 दिनेश जौहरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

वाराणसी नगरमहापालिका के अन्तर्गत निर्मित कालोनियों की संख्या एवं उनके विकास का दायित्व तथा कर वसूली का विवरण

149–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के अन्तर्गत ऐसी कितनी कालोनियां हैं जिनका निर्माण विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर आज से दस वर्ष पूर्व हो चुका है ? उक्त कालोनियों की सड़कों की मरम्मत, सीवर की सफाई और सड़कों पर प्रकाश के प्रबन्ध का दायित्व किसका है ? वाराणसी स्थित शिवाजी नगर कालोनी के आवासियों से विकास प्राधिकरण व नगरमहापालिका, वाराणसी ने अब तक कुल कितना रुपया विकास शुल्क, गृहकर, जलकर के रूप में लिया है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

44 कालोनियां ।

कालोनाइजर का है, जिसके लिए कालोनाइजरों द्वारा अनुबन्ध किया गया है।

विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने अब तक विकास शुल्क के रूप में रुपया 6,218.07, नगर महापालिका द्वारा गृह कर के रूप में 55,984.14 तथा जल संस्थान द्वारा जलकर के रूप में रुपया 46,381.53 प्रश्नगत कालोनी के आवासियों से लिया है।

सेवा निवृत्त श्री हरेन्द्र नाथ मिश्र, सहकारी निरीक्षक वर्ग-1/सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के आर्थिक देयों का भुगतान

150–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरेन्द्र नाथ मिश्र जो कि सहकारी पर्यवेक्षक के पद पर बीस वर्षों तक तथा प्रोन्नति पाकर सहकारी निरीक्षक एवं सहायक विकास अधिकारी वर्ग–2 के पद पर दस वर्षों तक सेवा करने के बाद सहकारिता अनुभाग, जिला नियोजन कार्यालय, देवरिया से दिनांक 30-6-78 को सेवा निवृत्त हुए हैं, अब तक उनको ग्रेच्युटी तथा पेंशन न मिलने का क्या कारण है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, श्री हरेन्द्र नाथ मिश्र, सहकारी निरीक्षक वर्ग-2/सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पद पर स्थायी न होने के कारण पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं। श्री मिश्र के विरुद्ध पडरौना, सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, देवरिया में एक गबन का मामला सहकारी न्यायाधिकरण में विचाराधीन होने के कारण ग्रेच्युटी की स्वीकृति में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के स्तर से विलम्ब हो रहा है ।

साधन सहकारी समिति लि0 धमनीखेड़ा, विकास खंड बीघापुर, जनपद उन्नाव के सचिव द्वारा ऋण न होने पर भी वसूल किये जाने की शिकायत

151—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुन्दर पुत्र अंगनू निवासी ग्राम भैरंमपुर, पो0 पाटन, जनपद उन्नाव का दिनांक 11-5-86 को भेजा हुआ पत्र सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उन्नाव को प्राप्त हुआ है जिसमें साधन सहकारी समिति लि0 धमनीखेड़ा, विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव के सचिव द्वारा रु0 1075-00 ऋण न होने पर भी उनसे जबरदस्ती वसूल किये जाने की शिकायत की गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां,

जांच तथा आबीट्रेटर के निर्णय के अनुसार सदस्य पर लगा ऋण उसके खाते से समाप्त कर दिया गया है।

सेवा निवृत्त श्री रामदेव मिश्र, नगर महापालिका, कानपुर को कार्यालय अधीक्षक के पद का लाभ आदि देने की मांग

152—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रशासक, नगर महापालिका, कानपुर ने अपने पत्र संख्या 12/रिप्र-160/64/क दिनांक 19-5-86 के द्वारा उप सचिव, उ0 प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-7, लखनऊ के शासकीय पत्र संख्या 4523ए/11-7-8 दिनांक दिसम्बर, 1985 के पत्र के उत्तर में सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक (श्री राम देव मिश्र) नगर महापालिका, कानपुर को कार्यालय अधीक्षक के पद पर का वेतन निर्धारण करने और तदुपरान्त उसके भुगतान करने की संस्तुति करते हुए अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

मामले में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री राम देव मिश्र को कार्यालय अधीक्षक के पद का वेतन लाभ आदि देना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

प्रशासक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कर निर्धारण एवं कर वसूली सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन

153—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी गजट उ0 प्र0 असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग—4 खण्ड (ख) दिनांक 3 मई, 1983 नगर विकास अनुभाग—4 द्वारा राजस्व एवं प्रशासकीय सेवा को अलग-अलग किया गया है ? यदि हां, तो राजस्व सेवा के कर अधीक्षकों का निर्धारण अधिकारी एवं मुख्य कर अधिकारी के क्या कार्य एवं अधिकार हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

ये अधिकारी प्रशासक के नियंत्रण एवं निर्देशन में मूल्यांकन, कर निर्धारण, कर वसूली आदि से सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करते हैं।

154–श्री रणजीत–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद गोरखपुर में पेयजल की पूर्ति हेतु पाइप लगाने हेतु स्थायी निकायों को धन का आवंटन

155–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष गोरखपुर जिले के स्थानीय निकायों ने पेयजल की पूर्ति के लिए जल निगम को पाइप लगाने हेतु 50 लाख रुपया दिया था? यदि हां, तो उसे जल निगम को देने का क्या औचित्य था जबकि स्थानीय निकाय उससे कम दर पर पाइप लगाने के लिए तैयार था?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की टाउन एरिया पुरवा एवं मौरावां को नगरपालिका घोषित किये जाने की मांग

156–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले की 18 हजार जनसंख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील केन्द्र मा0 मुन्सिफ की अदालत, पावर हाउस आदि से युक्त टाउन एरिया पुरवा को तत्काल नगरपालिका घोषित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसी जिले की 16 हजार आबादी वाली टाउन एरिया मौरावां को नगर पालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रस्ताव नहीं आया।

सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

प्रस्ताव नहीं आया।

जनपद एटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धपुर के रख रखाव हेतु धन स्वीकृति का प्रस्ताव

157–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धपुर के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु वर्ष 86-87 वर्ष में कितना धन स्वीकृत किया गया तथा उक्त स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कब करायी गई है एवं इसमें कितना धन व्यय हुआ ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद एटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धपुर की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 86-87 में कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया। अतः उसकी मरम्मत एवं रंगाई पुताई कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

158–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

सहकारी समिति पुरैनी तथा साधन सहकारी समिति हरई, इलाहाबाद के विलय के उपरान्त श्री त्रिलोकी नाथ सचिव/मंत्री से चार्ज लेने में विलम्ब

159–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति पुरैनी तथा साधन सहकारी समिति हरई, तहसील करछना, जिला इलाहाबाद का विलय हो चुका है? क्या त्रिलोकी नाथ सचिव, हरई के पास सभी कागजात हैं लेकिन चार्ज अभी तक नहीं लिया जा सका है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस कारण से पुरैनी साधन सहकारी समिति को तीन लाख का घाटा उठाना पड़ रहा है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

श्री त्रिलोकी नाथ समिति के सचिव/मंत्री के पास समिति के कागजात थे किन्तु समिति के तत्कालीन सरपंच श्री भोला नाथ पांडे ने श्री त्रिलोकी नाथ से सभी कागजात अपने चार्ज में ले लिये थे । चार्ज दिलाने हेतु जिला सहायक निबन्धक ने दिनांक 8-12-82 को सहकारी अधिनियम की धारा 37(1) के अन्तर्गत आदेश दिया था, जिसका कार्यान्वयन न हो सका। सरपंच की मृत्यु हो चुकी है।

जी नहीं ।

जनपद बलिया के विकास खण्डों में बीज भण्डारों की संख्या एवं सीयर व नगरा में अतिरिक्त बीज भण्डार बनाने का प्रस्ताव

160–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सीयर नगरा व रतनपुरा विकास खण्डों में कितने कृषि गोदाम हैं ? जनपद के दूसरे विकास खण्डों में कितने-कितने हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सीयर, नगरा व रतनपुरा जैसे पिछड़े व किसान बहुल इलाके में सरकार कब तक किसानों की सुविधा के अनुसार अतिरिक्त कृषि गोदाम राज्य सेक्टर से स्थापित करने पर विचार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बलिया जनपद के सीयर विकास खण्ड में दो, नगरा में चार तथा रतनपुरा में दो कृषि बीज भण्डार हैं।

जनपद के कुल 18 विकास खण्डों में 36 बीज भण्डारों की सूची संलग्न है।

केन्द्र पोषित विशेष चावल उत्पादन योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर व नगरा में दो-दो और रतनपुरा में तीन अतिरिक्त बीज भण्डार बनाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 102 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के मायावती में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था द्वारा चिकित्सालय स्थापना का समय एवं अनुदान व्यवस्था

161—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में मायावती नामक स्थान में रामकृष्ण मिशन नामक संस्था द्वारा चिकित्सालय कब से चलाया जा रहा है? सरकार इस चिकित्सालय को कब से आर्थिक अनुदान या अन्य सहायता देती आ रही है? क्या इस धर्मार्थ संस्था द्वारा किये जा रहे उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधा को ध्यान में रखते हुये सरकार अपनी अनुदान राशि में वृद्धि करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद-पिथौरागढ़ में मायावती नामक स्थान में प्रश्नगत संस्था सन् 1903 से चल रही है। शासन द्वारा उक्त संस्था को समय-समय पर अनुदान स्वीकृत किया गया है। अंतिम बार वर्ष 1983-84 में संस्था को अनुदान स्वीकृत किया गया था। जनवरी, 1984 में संस्था के अध्यक्ष ने यह सूचित किया था कि वे बगैर आर्थिक सहायता के अस्पताल को चला सकते हैं और उन्हें दी जाने वाली सहायता किसी अन्य जरूरतमन्द संस्था को दे दी जाय। इसलिए संस्था को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। इन परिस्थितियों में संस्था को अनुदान दिए जाने या उसमें वृद्धि किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद्, जल संस्थान एवं नगर पालिकाओं द्वारा जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण की व्यवस्था

162—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण की व्यवस्था जल निगम के अतिरिक्त अन्य किन-किन विभागों द्वारा की जा रही है? क्या उन्हें जानकारी है कि भिन्न-भिन्न विभाग/संस्था में यह कार्य भिन्न दरों पर कर रही है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जल सम्पूर्ति व जलोत्सारण का कार्य एक मात्र विशेषज्ञ विभाग जल निगम द्वारा ही कराये जाने हेतु शासनादेश 1986 में निर्गत हुए थे? यदि हां, तो उस आदेश का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्रीमती पद्मा सेठ—

विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद्, जल संस्थान एवं नगर महापालिकाओं द्वारा भी करायी जा रही है।

शासन को इसकी जानकारी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांट (मथुरा) में रोगियों के भर्ती की संख्या एवं उपचार व्यवस्था

163–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत अस्पताल मांट में अगस्त, 1986 से अप्रैल, 1987 तक कोई मरीज भर्ती किये गये ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि अधीक्षक उच्चीकृत अस्पताल मांट ने जो अस्पताल में स्थाई रूप से नहीं रहते अपनी परेशानी को बचाने के लिए अगस्त, 1986 से अप्रैल, 1987 के बीच अनेकों मरीजों को जिला अस्पताल मथुरा को रिफर किया? यदि हां, तो कितने मरीजों को और इनका औचित्य क्या था?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांठ में अगस्त, 1986 से अप्रैल, 1987 तक विभिन्न रोगों से ग्रस्त 22 रोगियों को उपचारार्थ तथा 152 अन्य महिलाओं को नसबंदी आप्रेशन हेतु भर्ती किया गया था। अधीक्षक, ने उपर्युक्त अवधि में 22 मरीजों को जिला चिकित्सालय मथुरा को संदर्भित किया था। जिला चिकित्सालय को उक्त रोगियों को संदर्भित किये जाने का कारण उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांठ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी तथा एक्सरे मशीन का उपलब्ध न होना था।

जनपद गोरखपुर में छूट पर लघु सीमान्त कृषकों को उर्वरक की व्यवस्था

164–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में माह नवम्बर-दिसम्बर, 1985 में छूट पर लघु सीमान्त कृषकों को आधे दाम पर उर्वरक दी गयी थी ? यदि हां, तो जिन कृषकों ने नकद दाम देकर उर्वरक क्रय किया था, उनको उसी समय आधे दाम की छूट दी गई? यदि हां, तो क्या कारण है कि जिन कृषकों ने सहकारी समिति द्वारा अनुदान की उर्वरक ऋण पर क्रय किया था उनको अभी तक छूट नहीं दी गई, जिसके कारण उनके ब्याज की दर बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको छूट दिलायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

जी हां, उनको उसी समय छूट दे दी गयी।

142.34 लाख रुपये की छूट इस मद में देय थी जिसमें से 82.26 लाख रुपये की छूट दी जा चुकी है। शेष की व्यवस्था की जा रही है। छूट न मिलने के कारण ब्याज दर में वृद्धि नहीं की गयी है, ब्याज अवश्य बढ़ रहा है।

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटी, पिपराइच की पांच हरिजन बस्तियों हेतु आवास निर्माण कराने की मांग

165–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्डों के ग्रामों में बसे हुए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये आवास निर्माण की सुविधा प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया पिपराइच की पांच हरिजन बस्तियों में हरिजनों के लिये आवास निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटी, पिपराइच की पांच हरिजन बस्तियों में हरिजनों के लिये आवास निर्माण कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू है।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराईच एवं भटहट की हरिजन बस्तियों हेतु मानक के अनुसार हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था

166–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराईच के ग्राम भैंसहा व ग्राम बहरामपुर तथा विकास खण्ड भटहट के ग्राम जंगल डोमरी नं0 1, जंगल डोमरी नं0 2 एवं ग्राम जैनपुर में अधिक गहराई वाले पेयजल से हैण्ड पम्प उक्त ग्रामों के सभी टोलों एवं हरिजन बस्तियों में लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम के कौन-कौन से टोले एवं हरिजन बस्तियां ऐसी हैं जहां यह हैण्ड पम्प नहीं लगाए गए हैं ? क्या सरकार उन सभी टोलों एवं हरिजन बस्तियों में पेयजल के अधिक गहराई वाले हैण्ड पम्प लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराईच के ग्राम भैंसहा व बहरामपुर में क्रमशः 27 एवं 1 तथा विकास खण्ड भटहट के ग्राम जंगल मोडी नं0–1, जंगल डोमरी नं0 2 व जैनपुर में क्रमशः 27, 24 व 13 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं जिनमें हरिजन जनसंख्या हेतु लगे हैण्ड पम्प भी शामिल हैं।

सूची संलग्न है।

शासन की नीति के अनुसार ग्रामों में 250–300 व्यक्तियों हेतु एक हैण्डपम्प लगाया जा रहा है। प्रत्येक टोले में हैण्डपम्प लगाने की नीति नहीं है। जनसंख्या के आधार पर किसी ग्राम में लगने वाले हैण्डपम्प की संख्या उक्त मानक के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 103 पर)

सेवा निवृत्त स्व0 डा0 के0 एन0 सिन्हा, मेडिकल आफिसर इन्चार्ज, डफरिन अस्पताल नजीबाबाद, बिजनौर के आर्थिक देयों का भुगतान

167–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 श्रीमती के0 एन0 सिन्हा, मेडिकल आफीसर इन्चार्ज डफरिन अस्पताल, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर ने दिनांक 2-4-74 को अवकाश प्राप्त किया था, तत्पश्चात उनकी मृत्यु भी हो गयी थी परन्तु अभी तक उनके जी0 पी0 एफ0 का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्रीमती सिन्हा की जी0 पी0 एफ0 राशि का भुगतान उनके परिवार के सदस्यों को कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को तत्काल निर्देश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

स्व0 डा0 (श्रीमती) के0 एन0 सिन्हा के जी0 पी0 फण्ड की राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पहले ही आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और कतिपय सूचनायें स्व0 डा0 सिन्हा के परिवार के सदस्य से मांगी गई थी, जो उनसे प्राप्त नहीं हुई है।

टाउन एरिया बांसी, बस्ती को सड़क निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति

168–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बांसी टाउन एरिया की सड़कों के निर्माण हेतु धन आवंटित करने के लिए दिनांक 26 दिसम्बर, 85 को भेजा हुआ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं।

परन्तु मा0 सदस्य का दिनांक रहित एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में उन्हें दिनांक 20 मार्च, 1987 को अवगत कराया जा चुका है।

टाउन एरिया बांसी को वर्ष 1985-86 में रु0 3.50 लाख का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया है।

जनपद आगरा में सहकारी समिति बमरौली कटारा से बांटी गई छूट की खाद से लाभान्वित किसान एवं छूट की कुल धनराशि

169–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में सहकारी समिति बमरौली कटारा से वर्ष 1983-84 व 1984-85 व 85-86 में फासफोरस व पोटास वाली खादों पर शासन द्वारा दी गयी छूट से कितने किसान लाभान्वित हुए और कुल छूट की धनराशि क्या है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

आगरा जनपद में सहकारी समिति बमरौली कटारा से वर्ष 1984-85 व 1985-86 में फासफोरस व पोटास वाली खादों पर शासन द्वारा दी गई छूट से 349 किसान लाभान्वित हुए। छूट की धनराशि 47,098-10 रुपये थी।

वर्ष 1983-84 में उक्त समिति से फासफोरस व पोटास वाली खादों पर शासन द्वारा दी गयी छूट से कोई किसान लाभान्वित नहीं हुआ।

जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार समिति द्वारा अस्पतालों में सफाई, भोजनादि की व्यवस्था का दायित्व

170–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों में स्वच्छ वातावरण रोगियों, कमरों, बिस्तरों, बाथरूमों, भोजनालयों पर प्रतिदिन कितना व्यय कराने का प्राविधान है? क्या जिला चिकित्सालयों की देखभाल के लिए शासन ने कोई समिति बनाई है? यदि हां, तो उनका दायित्व क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में स्वच्छ वातावरण, रोगियों, कमरों, बिस्तरों, बाथरूमों, भोजनालयों पर प्रतिदिन रु0 3,70,057·00 (रु0 तीन लाख सत्तर हजार सत्तावन मात्र) व्यय कराने का प्राविधान है।

जी हां। जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार समिति का गठन शासन द्वारा किया गया है। इसका दायित्व अस्पतालों/औषधालयों में रोगियों के देखे जाने, सफाई, औषधि वितरण, रोगियों के आहार, औषधि भण्डार तथा अस्पताल के कर्मचारियों के व्यवहार का निरीक्षण करना है।

जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में सफाई तथा स्वच्छता की विशेष व्यवस्था

171–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर का उनके द्वारा विगत दो वर्षों के अन्तर्गत कितनी बार आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और क्या-क्या कमियां पाई गयी है? क्या यह सच है कि जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर के मुख्य द्वार पर ही चिकित्सालय के अन्दर भीषण गन्दगी का साम्राज्य बना हुआ है, जिसके दूषित वातावरण से रोगियों एवं अभिभावकों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, रोगियों के कमरों के सामने गन्दे पानी का जल भराव है जिससे मच्छरों का भीषण प्रकोप है जबकि सफाई एवं स्वच्छता के नाम पर प्रतिदिन धन व्यय किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या जनहित में वहां कोई वरिष्ठ अधिकारी की कमेटी भेजकर तथ्यों की जानकारी करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

कोई आकस्मिक निरीक्षण नहीं किया गया है।

अस्पताल की सफाई तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रोगियों के कमरों के सामने कहीं भी जल भराव नहीं होता है।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु भेजी गई योजनाएं

172–श्री महरम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जनपद में गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए फर्रुखाबाद जिलाधिकारी द्वारा जुलाई, 86 से 31 मार्च, 1987 तक कई योजनायें शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई है? यदि हां, तो कब-कब और क्या-क्या योजनायें कितनी-कितनी धनराशि की स्वीकृति के लिए भेजी गई है? क्या शासन ने किसी योजना को स्वीकृति दी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मुख्य मंत्री जनपद से प्राप्त समस्त योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर प्रदूषण की कार्यवाही के तुरन्त प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 29-9-86 को निम्नलिखित दो योजनायें शासन को भेजी गई थी :–

1–स्नान हेतु सीढ़ियों तथा निरीक्षण गृह का निर्माण (अनुमानित लागत रुपये 30·83 लाख)

2–दस शवदाह गृहों एवं विश्राम स्थल, नल तथा शौचालयों का निर्माण (अनुमानित लागत रुपये 11.68 लाख). केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य न होने के कारण जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 3-12-86 को एक पुनर्गठन प्राक्कलन अनुमानित लागत रुपये 51.75 लाख शासन को भेजा गया इस प्राक्कलन में दो भाग हैं। भाग एक में घटियाघाट में सीढ़ियों, फर्श तथा महिलाओं हेतु कमरे का निर्माण का कार्य अनुमानित लागत रुपये 29.75 लाख प्राविधानित था । भाग-2 में शमशान घाट फतेहगढ़ में 10 शवदाह प्लेट-फार्म का निर्माण विश्राम घाट का निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, घटियाघाट से शमसानघाट तक सड़क का निर्माण, शवदाह हेतु लकड़ी की दुकान का निर्माण, अनुमानित लागत रुपये 22.00 लाख था। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद से गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु जलोत्सारण लोकास्ट सैनिटेशन, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की योजनायें शासन को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विरचित फतेहगढ़ में गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु रु0 229.97 लाख की सीवर योजना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण भेजी जा चुकी है। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना संभव होता है।

जनपद फर्रुखाबाद में गंगा के प्रदूषण को रोकथाम हेतु धन की मांग

173–श्री महरम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद में गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार से जो धन आवंटित किया गया वह पर्याप्त नहीं है ?क्या मुख्य मंत्री फर्रुखाबाद, जनपद में गंगा प्रदूषण को रोकने के लिये केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकार से कम से कम 10 करोड़ रु0 की धनराशि आवंटित कराने का विचार करेंगे ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

धन की आवश्यकता स्वीकृत योजनाओं पर निर्भर करती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व आरम्भ हुई ।)

स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथि तथा मेरठ की घटनाओं की जांच हेतु सर्वदलीय सदस्यों की समिति गठित किये जाने की मांग

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, परसों हम लोगों ने यहां धरना दिया था और मुझे उम्मीद थी कि सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में किसी निश्चित तारीख की घोषणा करेगी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मेरठ और अलीगढ़ के दंगों के संबंध में कोई सदस्यों की सर्वदलीय कमेटी के गठन करने की घोषणा करेगी, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं किया गया । अत: अब हमें मजबूर होकर फिर धरना पर जाना पड़ेगा ।

(लोक दल ''ब'' और जनता पार्टी के सारे सदस्य सदन में फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे ''तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेइमानों की सरकार बदल दो ।)''

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

(धरना वाले सदस्य अपने स्थान से नारा लगाते रहे कि ''तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की सरकार बदल दो ।'')

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल .....

माननीय नेता विरोधी दल ने अपने स्थान पर बैठे ही बैठे पीछे श्री राम नरेश यादव की ओर इशारा कर दिया।)

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, अभी सदन में एक सवाल आया था जिस पर सरकार की तरफ से उत्तर में कोई स्पष्ट बात नहीं आ रही थी । जानबूझ कर सरकार तथ्यों को छिपा रही थी । शतरुद्र प्रकाश प्रयास कर रहे थे मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर पाने के लिये । इसी बीच माननीय शतरुद्र प्रकाश के निलम्बन का प्रस्ताव आ गया । मेरा प्रस्ताव है कि शतरुद्र प्रकाश का निलम्बन वापस लिया जाय ।

(धरना वाले सदस्य बराबर अपना नारा दोहराते रहे ।)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

जब तक ये लोग ''फ्लोर'' के अन्दर बैठे हुए हैं आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी । आप तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं, सब जानते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(धरना वाले सदस्य नारा लगाते रहे कि ''तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जो सरकार दंगा करवाये वह सरकार निकम्मी है ।'')

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य तमाम दलों के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी धरना पर बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह किया जाय कि वे लोग अपने स्थान पर जांय और जो आज का कार्यक्रम कार्यसूची में है उसे सम्पादित होने दें । जो इस देश की जनता ने बोझ हमारे कंधों पर डाला है उसे हम पूरा कर सकें । इस प्रदेश की जो ज्वलन्त समस्याएं हैं, उनको हम पूरा कर सकें । इसका मतलब है कि जनता की ज्वलन्त समस्याओं पर ये लोग बात करना नहीं चाहते हैं । मैं चाहूंगा कि आप सभी विरोधी दलों के नेताओं से अनुरोध करें कि वे इन लोगों से अपना स्थान ग्रहण करने के लिये कहें ।

(धरना वाले सदस्य बराबर अपना नारा दोहराते रहे ।)

---

*वक्ता ने भीषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप मेरा सहयोग करिये जिससे कि ये लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर लें । सदन को व्यवस्थित करने में आप हमारी मदद करिये । माननीय कल्यान सिंह जी, सदन को व्यवस्थित करने में आप भी मेरी मदद करिये ।

(धरना वाले सदस्य बराबर अपना नारा दोहराते रहे ।)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इस सदन का कुछ शिष्टाचार है । जब मा0 उपाध्यक्ष ने नेता विरोधी दल को पुकारा था तो उनको खड़ा होना चाहिये था । शिष्टाचार तो यही कहता है और यही शिष्टाचार का तकाजा है, लेकिन आप (नेता विरोधी दल की ओर इशारा करके) कुछ और सोचते हों तो बात दूसरी है ।

(व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, सरकार इस बात के लिये कह रही है कि इन लोगों से हमें अनुरोध करना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रश्नकाल के समय में इस बात की मांग की गयी कि जितने भी चुनाव होने हैं, उनको कराने के लिये सरकार स्पष्ट घोषणा करें । प्रश्नकाल के समय भी सरकार इस मसले को टालती रही, इसलिये मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि चुनाव की तारीख निश्चित करे । हाई कोर्ट का जो फैसला हो चुका है, उसके अनुसार कब चुनाव कराये जा रहे हैं, सरकार इस बात की घोषणा कर देती है, तो यह धरना वापस हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री कल्यान सिंह जी, सदन में व्यवस्था बनाये रखने में मेरी मदद करें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, ...

(धरना पर बैठे माननीय सदस्य नारे बाजी करते रहे -"तख्त बदल दो राज बदल दो बेइमानों का राज बदल दो ।" "जो सरकार दंगे करवाती है, वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है ।)"

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधा घन्टे तक के लिये स्थगित कर दी गयी ।

1 बजकर 7 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि सदन का स्थगन श्री उपाध्यक्ष ने 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है ।

तदुपरान्त सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनःआरम्भ हुई ।)

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 7 सूचनायें डा0 दिनेश जौहरी, श्री शारदा नन्द अंचल श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री बदन सिंह, श्री अमीर आलम खां, श्री हर्ष वर्धन श्री राम सजीवन की मैंने स्वीकार की है । शेष सभी 8 सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया ।

(व्यवधान के कारण नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें पढ़ी नहीं गयी)

औचित्य के प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के सभी प्रश्नों को मैंने अस्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (सप्तम संस्करण) के करण 14 (3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1987 के प्रथम सत्र (दिनांक 2 मार्च, 1987 से 10 मार्च, 1987 तक) में नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सदन व्यवस्थित नहीं है (व्यवधान) यह कार्यवाही नियमित नहीं है (घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पहले सदन को व्यवस्थित कराईये ।

(मद संख्या 10, 11 में श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री काशी सिंह ऐरी का नाम पुकारने पर और माननीय सदस्यों के खड़े न होने पर (व्यवधान) आगे की मद ली गयी ।)

(घोर व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना सदन को दे रहा हूं । (व्यवधान) पढ़ी हुई मानी जाय । (व्यवधान) (ठीक है, की आवाजे) (व्यवधान) कार्य

† छापा नहीं गया ।

मंत्रणा समिति की सिफारिश सदन में पढ़ी हुई मानी गयी जो इस प्रकार है:-

[विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 जून, 1987 की बैठक में सिफारिश की है कि सदन का दिनांक 25 जून से 1 जुलाई, 1987 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय:-

25 जून, 1987 गुरुवार-1-मई, 1987 में मेरठ में हुई घटनाओं के संबंध में अवशेष चर्चा-2 घंटा

2-वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पहला दिन)

3-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण-45 मिनट

26 जून, 1987 शुक्रवार-वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (दूसरा दिन)

27 जून, 1987 शनिवार
28 जून, 1987 रविवार
} बैठक नहीं होगी ।

29 जून, 1987 सोमवार-1-वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (तीसरा दिन)

2-वित्तीय वर्ष 1981-82 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण ।

30 जून, 1987 मंगलवार-1-वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (चौथा दिन)

2-उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा

3-इंटरमीडियेट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा

1 जुलाई, 1987 बुधवार-1-वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पांचवा एवं अंतिम दिन)

2-उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण अर्नान्तिम रूप से 45 मिनट]

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने अभी सदन में दी है, से सदन सहमत है ।

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने अभी सदन में दी है और जिस पर माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित नहीं है यह कैसे हो रहा है ....(घोर व्यवधान)

सदन में भोजन अवकाश का समय निर्धारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 15 को आंशिक रूप से निलम्बित करते हुये वर्तमान सत्र के प्रत्येक उपवेशन में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अधीन रहते हुये सामान्यतया अपराह्न 1 बजकर 45 मिनट से अपराह्न 2 बजकर 45 मिनट तक भोजनावकाश रहेगा ।

(घोर व्यवधान के साथ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 15 को आंशिक रूप से निलम्बित करते हुये वर्तमान सत्र के प्रत्येक उपवेशन में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अधीन रहते हुये सामान्यतया अपराह्न 1 बजकर 45 मिनट से अपराह्न 2 बजकर 45 मिनट तक भोजनावकाश रहेगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करता हूं ।

(व्यवधान)

---

†दिनांक 30 जून, 1987 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

कार्यस्थगन की सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

माननीय कल्यान सिंह जी अब मेरठ पर चर्चा शुरु करें । (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही अव्यवस्ला के दौरान किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ऐसे सदन कैसे चलेगा (व्यवधान) आज यहां पर जंगल का राज्य हो गया है। इसको व्यवस्थित करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारा व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुन रहे हैं । जब सदन व्यवस्थित नहीं है तो जब से आपने कार्यवाही शुरु की है वह सब पूरी की पूरी अनियमित है। (व्यवधान) इस समय की सारी कार्यवाही नियमानुकूल नहीं हुई है। हमारी नियमावली साफ कहती है कि जब तक माननीय सदन व्यवस्थित नहीं होगा कोई कार्यवाही नहीं होगी । माननीय सदस्य यहां बीच में बैठे हैं आप कैसे कार्यवाही चला रहे हैं। यह सब अवैधानिक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

मैंने बार-बार माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि माननीय सदस्य अपना-अपना आसन ग्रहण करें, लेकिन वह अपना आसन ग्रहण नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(व्यवधान) आपने नियमावली का अनादर किया है । संविधान का अनादर किया है । परिपाटी और परम्पराओं का अनादर किया है, इसलिए आपका नाम इतिहास में और सरकार का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा । इसलिए आप पहले व्यवस्था दें तभी आप कोई कार्यवाही करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

मैं अनुरोध करता हूं कि जो माननीय सदस्य सदन के फ्लोर में बैठे हैं, वे सदन को छोड़ें । (व्यवधान)

फ्लोर में बैठे माननीय सदस्य सदन का त्याग करें ।

मैं फ्लोर में बैठे माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सदन का त्याग करें । (व्यवधान)

फ्लोर में बैठे माननीय सदस्य सदन नहीं छोड़ते हैं, तो मैं सभी सदस्यों, जो फ्लोर में बैठे हैं, इंगित करता हूं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर आप व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सत्र की शेष कालावधि के लिए सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष –

मैं सर्वश्री अचल सिंह, अतर सिंह यादव, कमलेश कुमार पाठक, गया प्रसाद वर्मा, जवाहर सिंह यादव, नरेश पाल सिंह, फरीद महफूज किदवई, फसीउर्रहमान, बलवीर सिंह यादव, बलराम यादव, बाबू राम यादव, बालेश्वर, बुनियाद हुसैन अंसारी, बेनी प्रसाद वर्मा, महाराज सिंह चौधरी, मुलायम सिंह यादव, राम जनम, राम शरण दास, शारदानंद अंचल, गौरी शंकर भइया, जमुना प्रसाद बोस, राकेशधर त्रिपाठी, राम गोविन्द चौधरी, कुंवर रेवती रमण सिंह, विष्णुदेव, वीरेन्द्र सिंह, श्री प्रकाश, हर्ष वर्धन, रामचन्द्र बख्श सिंह, राम सजीवन, कौशिक रमा शंकर, मो0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां, अकबर हुसैन बाबर, राज किशोर सिंह, अकबर अहमद (डम्पी), दुर्गा प्रसाद यादव, भगवती सिंह, हफीज भारती को इंगित करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को अभी माननीय उपाध्यक्ष ने इंगित किया है उन्हें वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी रखा है क्या सदन उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह) —

मान्यवर, आप सारी कार्यवाही गलत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी।

1 बजकर 52 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए और स्थगित कर दी है।

तदुपरान्त 2 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेइमानों का राज बदल दो के नारे लगाये गये।)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वेल को छोड़कर अपना आसन ग्रहण करें।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

मार्शल से मैं कहूंगा कि वह इन माननीय सदस्यों से अनुरोध करें कि वह सदन का त्याग करें।

(मार्शल फ्लोर पर गये और उन्होंने फ्लोर पर बैठे माननीय सदस्यों से अनुरोध किया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जिस समय 15 मिनट के लिये सदन स्थगित किया गया था उसके पूर्व मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसका निर्णय आपने क्या दिया। मान्यवर, वह पूरी कार्यवाही अनियमित है, उस समय सदन अव्यवस्थित था।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र प्रकाश जी सदन से निष्कासित हो चुके हैं लेकिन बैठे हैं, यह क्या व्यवस्था है?

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री को पुकारा गया।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं प्रस्तावित करता हूं कि चूंकि माननीय सदस्य जिन्हें सदन की सेवा से निलंबित किया गया है, वे बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी सदन के परिसर से बाहर नहीं गये हैं,

और चूंकि माननीय सदन के उक्त निर्णय का अनुपालन आवश्यक है और इसके लिये विधान भवन रक्षक दल अपर्याप्त है,

अतः यह सदन मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है कि वे उक्त प्रयोजन के लिये जब तक आवश्यकता हो अपेक्षित पुलिस बल की सहायता लें।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, सदन उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(शोर)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

25 जून, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

संलग्नक

नगर पालिका की सम्पत्ति तोड़ने व फोड़ने एवं अभिलेखों को नष्ट करने व जलाने तथा उठाकर ले जाने वाले अभिलेखों व सामान की सूची जो प्रभारी अधिकारी नगर पालिका छिबरामऊ द्वारा दाखिल की गयी है।

1—कार्यालय के किवाड़ व खिड़कियां तोड़ी गयी।

2—सरकारी गजट।

3—पालिका साईकिस की रिम, व गद्दी, विद्युत बल्ब, कार्यालय में लगे हुए स्वीच आदि।

4—मीटर रीडिंग बुके 1965 से 1980-81 तक।

5—स्टाफ बुकें जलकल 1965 से 1981 तक।

6—मीटर रिपेयरिंग रजिस्टर।

7—कन्डम रजिस्टर।

8—कुर्सी 5 लकड़ी हत्थेदार नाईलोन की बुनी।

9—लोहे के पाइप वाली दो कुर्सी।

10—लकड़ी की एक मेज।

11—जल संयोजक पत्रावलियां व0 नं0 1 से लेकर 1266 तक।

12—कोर्ट एवं रेवन्यू स्टाम्प रजिस्टर एक।

13—दो जल मापक यंत्र।

14—रसीद बहियां ए0 ए0 सी0 किताब नं0 190, 194, 203 (क) बुक नं0 194 में।

15—1 से लेकर 38 तक जारी रसीद नं0 39 से लेकर 100 तक बगैर जारी।

(ख) बुक नं0 203 में 1 लगायत 6 तक जारी रसीद नं0 1 से लेकर 100 तक जारी।

(ग) बुक नं0 190 पूर्ण जारी की हुई।

15—जलकर बिल बुके जिनकी मात्रा याद नहीं जलकर के बिल वितरित हुई काउन्टर कापियां एवं जलकर बिल बुकें वगैर जारी हुई।

16—एक सीलिंग पंखा 46 संसार ब्रांड सी 3 जो 69028 जिसके तीन ब्लेड 1 रेगुलेटर 1 फिर का पाइन गायब हैं पंखों की मीटर मौजूद हैं।

17–जल मूल्य (जलखपत) के डिमाण्ड एवं कनेक्शन रजिस्टर वर्ष 66 से लेकर 80-81 तक के बिलकुल फाड़कर एवं जल-कर नष्ट कर दिया।

18–कुल एग0 ए0 सी0 5 प्रपत्र बुके नहीं मिली जो समस्त जारी शुदा हैं जिनका पैसा पालिका कोष में जमा किया जा चुका है।

19–हैण्ड पाइप वास्ते अग्रिम धनराशि 500/- वाला भुगतान बाउचर वर्ष 80-81 का है।

20–जल मूल्य की बकाया फाइल मेज पर रखी थी, को जलाकर नष्ट कर दी गयी।

21–एक स्याही की बोतल।

22–एक डिब्बा कार्बन।

23–एक लोहे की कुर्सी तथा 3 लकड़ी की कुर्सी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

जांच आख्या

शासकीय पत्र संख्या 240 सी0 एम0 ए/11-7-86-11 जी (24)/86 दिनांक 18-6-86 जो जच्चा बच्चा केन्द्र के निकट बनी दुकानों के आवंटन में अनियमितता बरते जाने के संबंध में है पर आप के आदेश दिनांक 21-6-86 के संदर्भ में निम्न आख्या प्रेषित है। उक्त पत्र के साथ सदस्य विधान सभा श्री जनार्दन ओझा का पत्र दिनांक 8-4-86 की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि अमर नाथ पुत्र मिठाई द्वारा दिनांक 14-10-83 को 3005/- रुपये एवं 13-3-84 को 500/- रुपये दुकान आवंटन के संबंध में जमा कराया गया है और उसे दुकान आवंटित नहीं की गयी है।

दिनांक 14-10-83 को प्रार्थी श्री अमरनाथ द्वारा रसीद नम्बर-20302/48 द्वारा 5/- रु0 प्रार्थना पत्र की कीमत के रूप में जो कोवादह शापिंग काम्पलेक्स में दुकान आवंटन हेतु था जमा किया था उसके बाद इनके द्वारा कोई भी धनराशि जमा नहीं की गयी है। रसीद नं0-20302/48 जिसकी फोटो कापी प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त हुई है के अवलोकन मात्र से स्पष्ट हो जा रहा है कि रसीद पर अंक में जहां 5/- रुपया लिखा गया है उसके पहले 300/- रुपये बढ़ा करके 3005/- रुप्ये लिखा गया है इसी तरह से अक्षर में जहां (Rs. five only) रसीद लिखने वाले के हस्तलिपि में लिखा गया है उसके पहले (three thousand) बढ़ा दिया गया है। जो रसीद की फोटो कापी देखने मात्र से स्पष्ट हो जा रहा है। इस संबंध में लेखा विभाग से जो जानकारी प्राप्त की गयी थी लेखाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 15-7-86 से स्पष्ट है कि उक्त रसीद द्वारा दिनांक 14-10-83 को मात्र 5/- रुपये फार्म की कीमत जमा हुआ है। जो जच्चा बच्चा केन्द्र का नहीं था।

प्रार्थना पत्र में दिनांक 13-3-84 को 500/- रुपये जमा करने की बात कही गयी है। 500/- रुपये धनराशि जमा वाले की रसीद की फोटो कापी भी प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त हुई है। रसीद की फोटो कापी देखने से यह जाहिर हो रहा है कि रसीद नं0 1/08380 दिनांक 13-3-84 द्वारा 500/- रुपये की धनराशि जमा किया गया है। इस संबंध में निवेदन करना है कि संबंधित रसीद के संबंध में बी0 आर0 के0 जहां से सभी रसीदें जारी होती हैं कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बी0 आर0 के0 द्वारा नगर महापालिका गोरखपुर में उक्त रसीद किसी को भी निर्गत नहीं की गयी है तथा लेखाधिकारी की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि रसीद नं0 08380 दिनांक 13-3-84 द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रसीद नं0 20302/48 दिनांक 14-10-83 द्वारा मात्र 5/- रुपये जमा किया गया है तथा रसीद नं0-1/08380 दिनांक 13-3-84 द्वारा कोई धन जमा नहीं किया गया है। रसीद बिल्कुल फर्जी है। जच्चा बच्चा केन्द्र पर नगर महापालिका द्वारा दुकानें बनवायी गयी थी लेकिन प्रार्थी ने कोई औपचारिकता पूर्ण नहीं किया था। जिसके कारण प्रार्थी की दुकान आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थी द्वारा फर्जी रसीदें प्रस्तुत कर अनायास यह मामला उठाया गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0सं0 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

38–विधान भवन, लखनऊ
दूरभाष 35939/
दिनांक 5 सितम्बर, 1987

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

महोदय,

मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रसूति गृह रेडक्रास केसरबाग, लखनऊ में श्री अशर्फी लाल प्रयोगशाला प्रविधिक के पद पर कार्यरत हैं ।

(1) श्री लाल इस प्रसूति गृह पर लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं ।

(2) श्री लाल सदर लखनऊ के वासी हैं और इस क्षेत्र में स्थित पाली क्लीनिक नर्सिंग होम में बराबर 7 से 10 बजे सायंकाल प्राइवेट परीक्षण का कार्य देखते हैं।

(3) श्री लाल प्रसूति गृह पर प्राइवेट परीक्षण का कार्य करते हैं क्योंकि वहां पर तैनात लिपिक श्री पार्थेश्वर दीक्षित का इनके ऊपर पूरा हाथ है।

(4) श्री लाल और दीक्षित दोनों व्यक्ति मिलकर वहां पर नियुक्त समस्त कर्मचारियों को डरा धमका कर बकाया धन भुगतान वितरण करने में काफी धन मेहनताने के रूप में लेते हैं अगर किसी कर्मचारी ने आनाकानी मेहनताना देने में की तो उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं क्योंकि समस्त भुगतान का वितरण इन्हीं के द्वारा होता है ।

(5) श्री लाल के प्राइवेट परीक्षण के संबंध में पाली क्लीनिक नर्सिंग होम सदर लखनऊ की दो परीक्षण रिपोर्ट की फोटो स्टेट कापी साथ में संलग्न हैं ।

अतः आपसे सबल शब्दों में निवेदन करता हूं कि श्री लाल का जनपद लखनऊ से स्थानान्तरण कर उक्त आरोपों की जांच कराने का आदेश संबंधित अधिकारियों को देने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करा दें ।

सादर

भवदीय,
ह0/- कुंवर मानवेन्द्र सिंह
सदस्य विधान सभा

डा0 दिनेश जौहरी
सदस्य विधान सभा

श्याम बिहारी सिंह
सदस्य विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

परिशिष्ट 'क''

क्रम-सं0	माह एवं वर्ष	समाचार-पत्र का नाम	विज्ञापन का उद्देश्य
1	जनवरी, 86	लोक अदालत के आयोजन के समय प्रकाशित होने वाली स्मारिका, स्मारिका (गोल्डेन जुबली सिलिबरेशन कमेटी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन) लखनऊ, स्मारिका प्रकाशित द्वारा अवधी साहित्य संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद।	विश्वविद्यालय की शिक्षा शोध एवं प्रसार सम्बन्धी की गयी उपलब्धियों का विवरण।
2	जनवरी, 86	जनमोर्चा, नए लोग, हम-आप, फैजाबाद	टेंडर नोटिस।
3	फरवरी, 86	जनमोर्चा, नए लोग, हम-आप, फैजाबाद	टेंडर नोटिस
4	फरवरी, 86	दैनिक जागरण, लखनऊ, आज कानपुर नवभारत टाइम्स, लखनऊ, तरुण मित्र, जौनपुर, अवध शोभा, फैजाबाद, जनवार्ता, नई दिल्ली, नवजीवन, लखनऊ, जनसत्ता, लखनऊ, ग्राम लोक-नई दिल्ली, सेवाग्राम, लखनऊ, जनमोर्चा, फैजाबाद, अमेठी समाचार, सुल्तानपुर।	किसान मेला (रबी)
5	मार्च, 86	नये लोग, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस (ई) लखनऊ द्वारा प्रकाशित 'युवा सम्मेलन स्मारिका'	विश्वविद्यालय कार्य की शिक्षा, शोध एवं प्रसार तथा अन्य गतिविधियों की प्रगति सम्बन्धी एक झलक।
6	मार्च, 86	जनमोर्चा, नए लोग, हम-आप, फैजाबाद।	टेंडर नोटिस
7	अप्रैल, 86	वर्कर्स हेराल्ड, लखनऊ, नए लोग, फैजाबाद।	किसान मेला सम्बन्धी विश्वविद्यालय के शोध शिक्षा प्रसार कार्यों की गतिविधियों की प्रगति विषयक एक झलक।
9	मई, 86	नए लोग, जनमोर्चा, फैजाबाद	दीक्षान्त समारोह का प्रेस नोट।
10	मई, 86	जनमोर्चा, फैजाबाद	दीक्षान्त समारोह के अवसर पर शहर से आने वाले अतिथियों को सुविधा हेतु विश्वविद्यालय तक बस उपलब्धता के विषय में।
11	मई, 86	जनमोर्चा, फैजाबाद	टेंडर नोटिस।

12	मई, 86	जनमोर्चा, फैजाबाद	माननीय मुख्य मन्त्री जी के आगमन की सूचना।
13	मई, 86	टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली, दि पायोनियर, लखनऊ, अमृत प्रभात लखनऊ, जनमोर्चा, फैजाबाद।	विश्वविद्यालय में रिक्त पदों का विज्ञापन (विज्ञापन सं0 1/1986)
14	जून, 86	टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ, आज, वाराणसी, जनमोर्चा, फैजाबाद, नए लोग, फैजाबाद।	विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश की सूचना।
15	जुलाई, 86	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ, दैनिक आज, वाराणसी जनमोर्चा, फैजाबाद।	विश्वविद्यालय में रिक्त पदों का विज्ञापन (विज्ञापन सं0 2/1986)
16	अगस्त, 86	तरुण मित्र, जौनपुर, अमृत प्रभात, लखनऊ।	विश्वविद्यालय के शिक्षा, शोध एवं प्रसार सम्बन्धी उपलब्धियों का विवरण।
17	अगस्त, 86	जन मोर्चा, फैजाबाद	टेंडर नोटिस
18	सितम्बर, 86	जनमोर्चा, फैजाबाद	टेंडर नोटिस
19	सितम्बर, 86	हम-आप, फैजाबाद, ग्राम लोक, नई दिल्ली।	विश्वविद्यालय के अन्य शोध, शिक्षा, प्रसार एवं गतिविधियों की प्रगति विषयक एक झलक।
20	सितम्बर, 86	आज, वाराणसी, वर्क्स हेराल्ड, लखनऊ, अमृत प्रभात, लखनऊ, नवभारत टाइम्स, लखनऊ, दैनिक जागरण लखनऊ, जनवार्ता नई दिल्ली, जनमोर्चा, फैजाबाद, त्रिगुट दैनिक, गोंडा सेवाग्राम, लखनऊ।	किसान मेला (खरीफ)
21	अक्तूबर, 86	जनमोर्चा, फैजाबाद	टेंडर नोटिस
22	अक्तूबर, 86	असली भारत, नई दिल्ली (साप्ताहिक), ज्ञानव्यापी, फैजाबाद, जनमोर्चा फैजाबाद।	विश्वविद्यालय को शिक्षा शोध, प्रसार एवं अन्य कार्यों की उपलब्धि विषयक।
23	नवम्बर, 86	स्वतन्त्र भारत–लखनऊ, रामायण मेला के अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका (तुलसीदास) सोशल जस्टिस एन्ड लीगल मूवमेन्ट इन इंडिया के नेशनल सेमिनार–अयोध्या, फैजाबाद द्वारा प्रकाशित स्मारिका।	विश्वविद्यालय के शोध प्रसार, शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों विषयक एक झलक।
24	दिसम्बर, 86	दैनिक जागरण–गोरखपुर, जनमोर्चा एवं नए लोग, फैजाबाद।	विश्वविद्यालय में रिक्त पदों का विज्ञापन (विज्ञापन सं0 3/1986)
25	दिसम्बर, 86	जनमोर्चा–फैजाबाद, नए लोग, फैजाबाद।	रामायण मेला के अवसर पर प्रकाशित होने वाले विशेषांक में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उपलब्धियों का विवरण।

1	2	3	4
26	दिसम्बर, 86	जनमोर्चा–फैजाबाद नए लोग–फैजाबाद ।	टेंडर नोटिस
27	दिसम्बर, 86	जनमोर्चा–फैजाबाद, नए लोग –फैजाबाद ।	श्रमिकों को काम पर आने सम्बन्धी सूचना ।
28	दिसम्बर, 86	13वीं उत्तर प्रदेश राज्य कबड्डी प्रतियोगिता, फैजाबाद द्वारा प्रकाशित स्मारिका, हम-आप–फैजाबाद आचार्य नरेन्द्र देव शिक्षा निधि समिति नैनीताल द्वारा प्रकाशित विशेषांक ।	विश्वविद्यालय की शिक्षा शोध, प्रसार एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति विषयक एक झलक ।
29	दिसम्बर, 86	जनमोर्चा–फैजाबाद	पशुओं की नीलामी सूचना सम्बन्धी ।
30	दिसम्बर, 86	टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ , हिन्दुस्तान टाइम्स–नई दिल्ली, जनमोर्चा–फैजाबाद ।	विश्वविद्यालय में पी0 एच0डी0 डिग्री हेतु प्रवेश की सूचना ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

शासनादेश संख्या यू0ओ0 308 सेक-2/पांच-4(89)/84, दिनांक-11-1-1985 को गठित समिति के सदस्य ।

1—डा0 के0पी0 गुप्ता, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन	.. ..	अध्यक्ष एवं संयोजक ।
2—अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार)	.. ..	सदस्य
3—अपर निदेशक (नियोजन)	.. ..	सदस्य
4—संयुक्त निदेशक (उपचारिका)	.. ..	सदस्य
5—संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार)	.. ..	सदस्य
6—मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ	.. ..	सदस्य

शासनादेश संख्या 2442 सेक-2/पांच-4(89)/84, दिनांक 25-6-1985 को गठित लघु समिति के सदस्य ।

1—डा0 ए0एस0 गुप्ता, अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार)	.. ..	अध्यक्ष
2—डा0 आर0पी0 सक्सेना, वरिष्ठ अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ		सदस्य
3—श्री हैदर शिकोह रिजवी, कन्सलटेंट वित्त विभाग	.. ..	सदस्य
4—डा0 ऊषा सक्सेना, अधीक्षिका, डफरिन अस्पताल, लखनऊ	..	सदस्य

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 160 का उत्तर पोछे पृष्ठ 80 पर)

बलिया जनपद के प्रत्येक विकास खण्डों में चल रहे बीज भडारों की सूची

1—विकास खण्ड का नाम	2—बीज भण्डारों का नाम
1—हनुमानगंज	1—घरहरा
	2—तीखमपुर
2—दुबहड़	3—दुबहड़
	4—दिरुली
3—बेलहरी	5—बेलहरी
4—सोहांव	6—सोहांव
	7—चितबड़ा गांव
5—गडवार	8—गड़वार
	9—फेफना
	10—रतसड़
6—बैरिया	11—बैरिया
7—मुरली छपरा	12—मुरली छपरा
	13—टोला सीवन राय
8—रसड़ा	14—रसड़ा
	15—पकवाइनार
9—नगरा	16—नगरा
	17—भीमपुरा
	18—बरौली
	19—छितौनी
10—सीयर	20—सीयर
	21—सेमरी
11—रतनपुरा	22—रतनपुरा
	23—हलधरपुर
12—चिलकहर	24—संवरा
	25—कुरेजो
13—बांसडोह	26—बांसडोह
	27—केवरा
14—सेरुआरबा	28—बेरुआरबारी
	29—राजपुर
15—मनियर	30—मनियर
16—पन्दह	31—पन्दह
	32—खेजुरी
17—नवानगर	33—नवानगर
	34—सिकन्दरपुर
18—रेवती	35—रेवती
	36—सहतवा

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं0 166 का उत्तर पीछे पृष्ट 82 पर)

ग्रामवार टोले एवं हरिजन बस्तियों के नाम जहां हैण्ड-पम्प नहीं लगे हैं

विकास खण्ड	ग्राम	टोलों का नाम
1	2	3
1--पिपराइच	मैंसहा	1---मैंसहा खास, 2---मैंसहा (बुल्लाहखां एवं लोहखरी का टोला), 3---छोटी बगहिया, 4---जर्दा हरिजन बस्ती, 5---दशनवां, 6---हरिजन बस्ती (छत्तर का टोला), 7-हरिजन बस्ती (अहिरवली), 8-बाढ़न (लोहखटी टोला) 9-गिदहवां।
2 ,,	बलरामपुर	1-कुरमवल बड़ा टोला पासीहा, 2-हरिजन टोला, 3-छोटी कुर्मवल, 4-मुसई का टोला, 5-चघौरी का टोला, 6-गोबरी का टोला, 7-नवका टोला हरिजन, 8-बरगदही, 9-चौरहिपा 10-बहरामपुर 11-अहरवासी, 12-जर्दा, 13-केवटाना खुर्द जमुना टोला,
3---मटहट	जैनपुर	1-मीरगंज, 2-झगड़हवा, 3-अक्टहवा, 4-खलीफा टोला, 5-रायनगर, 6-जंगली टोला, 7-काजोपुर (नाग), 8-काजोपुर (गत्ती का टोला), 9-पंडित पुरवा, 10-छितौनी, 11-ठाकुर नगर, 12-रघुनाथपुर, 13-माधोपुर, 14-सुन्दरपुर, 14-गोविन्दपुर, 16-फाग टोला 17-भगानपुर, 18-शिवपुर।
4 ,,	जंगल डोमरी नं0 1	1-नरायनपुर, 2-चिनगारी टोला, 3-डिहवा टोला, 4-बाजार टोला, 5-फलहवा टोला।
5--- ,,	जंगल डोमरी नं0 2	1-रेडहवा, 3-कोइरीपुर, 3-खण्डहवा, 4-बरई टोला, 5-सकलदीपपुर, 6-सुचीतपुर, 7-खजुरहवा, 8-मंगलपुर, 9-बेजरिहवा, 10-हैलानी, 21-ठहबनवा, 12-नेऊरपुर, 13-मटियहरवां।

पी0 एस0 यू0 पी0-एल 143 विधान सभा-245-1987-813।